खण्ड-396, अंक-8
सोमवार, 4 आषाढ़, शक संवत् 1912
(25 जून, 1990 ई0)

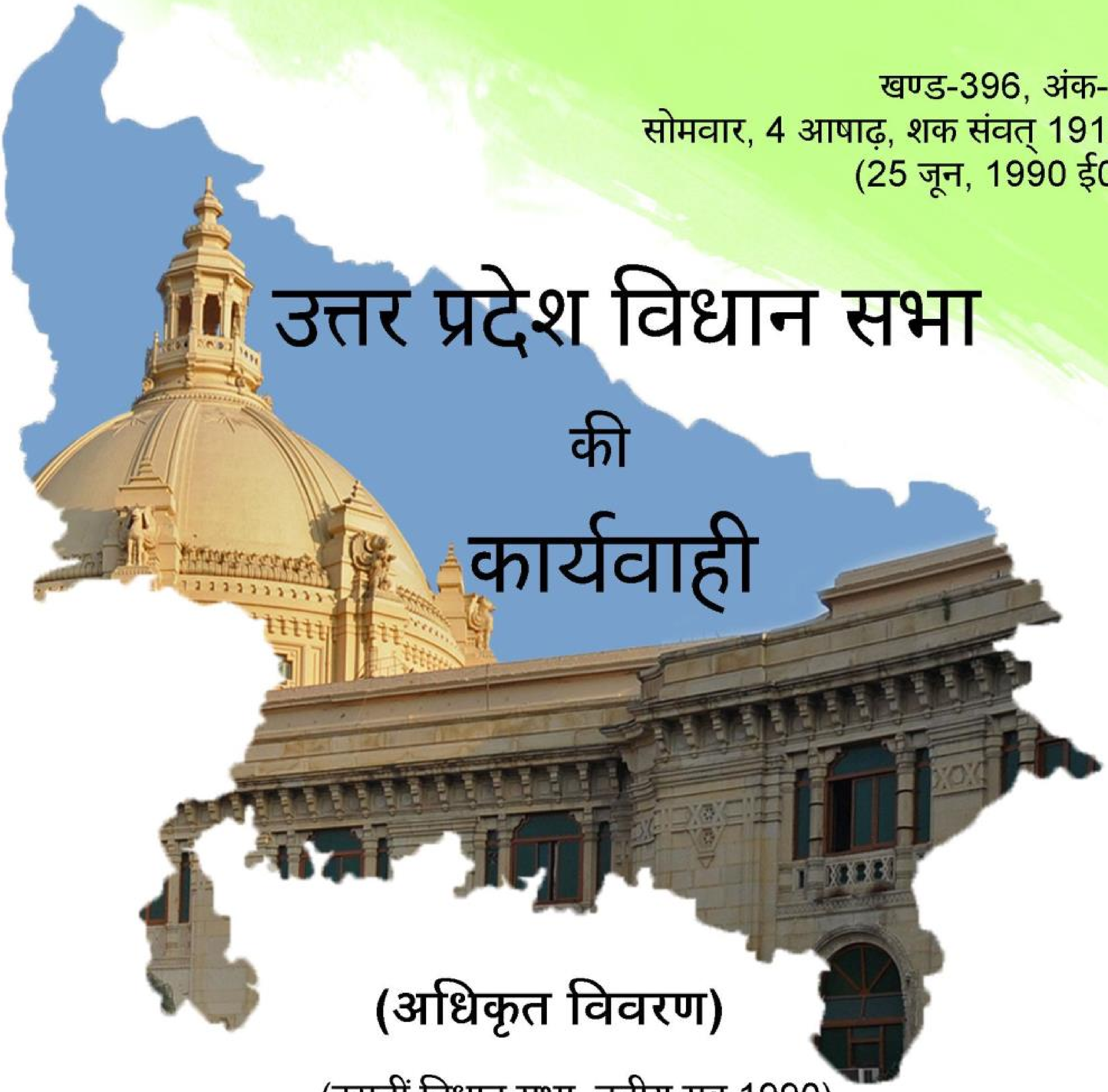

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 396 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय--सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क--ख
प्रश्नोत्तर	ग--घ
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	1--92
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सीतापुर डिपो में अव्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना--	92
लखनऊ शहर में व्याप्त गम्भीर पेय जल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में नहर सण्डीला ब्रांच कट जाने से किसानों को क्षतिपूर्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94
जनपद देवरिया की प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री पर किसानों को बकाया गन्ने के मूल्य का भुगतान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94
सहारनपुर शहर में बन्द पड़े नाले को खोलकर सीवरेज की पानी की निकासी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
प्रदेश में हरिजन उत्पीड़न से घोर असुरक्षा एवं अशांत वातावरण व्याप्त होने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयास	95
नियम 301 की सूचनाओं का समय से उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	96
उन्नाव के जिलाधिकारी द्वारा सत्रकाल में जिला समितियों की बैठक बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	97
जनपद आगरा में घटित घटना के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	98
श्री भोला पाण्डेय द्वारा उन्हें सदन में आने से रोकने एवं दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में विशेषाधिकार हनन की सूचना	100--106
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1990 को वापस लेने हेतु अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	107
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को वापस लेने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	108
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1990 (पुरःस्थापित)	109
उत्तर प्रदेश आमोद और पगकर (संशोधन) विधेयक, 1990 (पुरःस्थापित)	110
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 (पुरःस्थापित) ..	110
कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	110--127
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या--49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या--91 सैनिक कल्याण, अनुदान संख्या--92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण), अनुदान संख्या--93 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) अनुदान संख्या--94 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)--(जारी)	128

बजट चर्चा विलम्ब से आरम्भ होने पर सदस्यों को बोलने हेतु पूर्व निर्धारित समय दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 129

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-91 सैनिक कल्याण, अनुदान संख्या 92-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) अनुदान संख्या--93 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) अनुदान संख्या--94हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग .. (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) 130-148

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित) 149-151

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित) 152-155

विवेकानन्द पाली क्लीनिक, लखनऊ में कर्मचारियों के शोषण अत्याचार, सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना 156

दिनांक 9 मई, 1990 को करेली (इलाहाबाद) में साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा श्री अशोक कुमार की हत्या किये जाने के संबंध में वक्तव्य .. 156-160

प्रदेश के कई जिलों में पेयजल के घोर अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा 160-174

नत्थिया 175-179

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 25 जून, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजकर 2 मिनट पर दिन में उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:--

अख्तर, श्री	गाजियाबाद
अनिल कुमार भारद्वाज, श्री	रामपुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
अशोक कुमार, श्री	बिजनौर
उमाकान्त बाजपेयी, श्री	फतेहपुर
करन चन्द्र सिंह, श्री	नैनीताल
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
किशन गोपाल, श्री	आगरा
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी,	इलाहाबाद
गंगाभक्त सिंह, श्री	हरदोई
गोपाल रामदास, श्री	अल्मोड़ा
गोवर्धन सिंह, श्री	एटा
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
चौधरी शंकर सिंह, श्री	जालौन
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
तेजपाल, श्री	बिजनौर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
धर्मपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल, श्री	बुलन्दशहर
नरेन्द्र पाल सिंह,	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
प्रभूदयाल प्रधान, श्री	मेरठ
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
बदन सिंह, श्री	आगरा
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तर काशी
बलबीर सिंह, श्री	टिहरी गढ़वाल
बहादुर सिंह, श्री	आगरा
बाबूलाल, श्री	हमीरपुर
बाबूलाल सरोज, श्री	प्रतापगढ़
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर, श्री	देवरिया
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
मंजूर अहमद श्री	बरेली
मण्डलेश्वर, श्री	आगरा
महाराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यशपाल, श्री	नैनीताल
यशवन्त, श्री	आजमगढ़
युवराज सिंह, श्री	हमीरपुर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल, श्री	फिरोजाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोण्डा
रघुवर दयाल वर्मा, श्री	फिरोजाबाद
रणजीत सिंह, श्री	देहरादून
रविकान्त गर्ग, श्री	मथुरा
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	बुलन्दशहर
राजकिशोर सिंह, श्री	वाराणसी
राजधारी, श्री	बलिया
राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री	गाजीपुर
राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजेश्वर बंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
राम बचन धुसिया, श्री	बलिया
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, श्री	मैनपुरी
रिछपाल सिंह बंसल, श्री	मेरठ
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
विक्रमादित्य, श्री	बलिया
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

शर्मेन्द्र त्यागी, श्री	मुरादाबाद
शारदा प्रसाद रावत, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिवराज सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती	बदायूं
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	मेरठ
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुबास, श्री	मऊ
सुरेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर
मो० शेख सुलेमान, श्री	बिजनौर
हनुमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 25 जून, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों के समतुल्य वेतन की मांग

**1—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की जेलों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को पुलिस कर्मियों के बराबर वेतन दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो जेल सुरक्षा कर्मियों को कब तक पुलिस कर्मियों के बराबर वेतन दे दिया जायेगा?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

जी हां। विचार के बाद निर्णय लिया जायेगा।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, जेल के अन्दर जो सुरक्षाकर्मी काम करते हैं उनके कार्य और उनकी जिम्मेदारी किसी भी प्रकार से पुलिस कर्मियों से कम नहीं है, बल्कि उनसे ज्यादा ही है। जेल कर्मियों का वेतन पुलिस कर्मियों के बराबर करने का प्रश्न कई वर्षों से विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और इस पर निर्णय कब तक हो जायेगा? क्या सिद्धान्त रूप में माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करते हैं या नहीं कि जेल सुरक्षा कर्मियों को पुलिस कर्मियों के बराबर वेतन दिया जाये?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

समता समिति के समक्ष इन कर्मचारियों की मांगों को रखा गया था। समता समिति केन्द्र के बराबर वेतन दिये जाने पर विचार कर रही थी किन्तु चूंकि केन्द्र में इन कर्मचारियों के समकक्ष कोई पद था नहीं इसलिए समता समिति ने इनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी। अब अलग से इनका मामला विसंगति समिति के समक्ष विचाराधीन है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

जब सरकार सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार करती है कि जेल सुरक्षा कर्मियों के वेतन पुलिस कर्मियों के बराबर हो, तो इसमें देर क्यों हो रही है? क्या सरकार बतायेगी कि यह निर्णय कब तक हो जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, सिद्धान्त रूप में सरकार इसको स्वीकार करती है, यह अभी नहीं कहा जा सकता। इस पर निर्णय विचाराधीन है।

श्री पंचानन राय—

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है और उसे विसंगति समिति को भेज दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इनका प्रत्यावेदन कब प्राप्त हुआ, और कब से वह विचाराधीन है तथा विसंगति समिति को यह कब भेजा गया?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

विसंगति समिति को कब भेजा गया इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन यह वहां विचाराधीन है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या यह सही है कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय जेल के कर्मचारियों का वेतन जो था वह पुलिस के सिपाहियों से भी ज्यादा धीरे-धीरे चूंकि यूनियन बनी आंदोलन हुए, इनके बढ़ते गये, उनकी बढ़ोत्तरी नहीं हुई । निश्चित रूप से जिस अनुपात में अन्य विभागों खासकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि हुई है, उस अनुपात में इनको कोई वेतन वृद्धि नहीं मिली है । इस बात को देखते हुए क्या सरकार इनके वेतन को फिर से कम से कम अगर ज्यादा न हो तो समकक्ष लाने का प्रयास करेगी? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इनके प्रत्यावेदन पर शासन विचार कर रहा है और विचार के बाद शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

निर्णय कब तक हो जायेगा, इसकी अवधि बताने की कृपा करें?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैंने कहा कि निर्णय शीघ्र हो जायेगा । विचार में तमाम औपचारिकतायें होती हैं, औपचारिकता पूरी करने के बाद निश्चित अवधि की घोषणा करना कदाचित हमारे लिये मुनासिब नहीं होगा ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 लिये जाने एवं श्री बदन सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री बदन सिंह नहीं हैं ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इसमें रुचि है ।

श्री उपाध्यक्ष–

बाद में कर लिया जायेगा ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)–

मान्यवर, आज ही निबटा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

डा0 जौहरी को बुलवा लिया है, प्रश्न का उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, यह कौन से नियम के अन्तर्गत हो रहा है?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, अगर प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य अनुपस्थित हो और किसी की रुचि भी रही है तो सारे प्रश्नों के समाप्त होने के बाद उसको लिया जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अल्पसूचित प्रश्नों के लिये 20 मिनट का समय निर्धारित है । एक अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हो गया और अभी समय है इसलिये इसे लिया जाना नियमों के हिसाब से संगत है, इसे ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उत्तर पढ़ दें । अल्पसूचित के लिये 20 मिनट समय मिलता है, नियमों के विरुद्ध कुछ नहीं है ।

श्री पंचानन राय–

मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें व्यवस्था की कोई बात नहीं है, प्रश्नकाल में व्यवस्था की बात नहीं उठायी जाती है । आप बैठें, कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री पंचानन राय–

अगर कभी अल्पसूचित प्रश्न एजेन्डे पर नहीं रहेगा तो क्या सदन 11 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा । यह मेरा व्यवस्था का सवाल है । आप बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें । माननीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तर पढ़ दें ।

प्रदेश के सरकारी अस्पताल के डाक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की माग

**2–श्री बदन सिंह (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सेवारत डाक्टर सरकारी सेवा की उपेक्षा कर निजी प्रैक्टिस चलाने में संलग्न हैं? यदि हां, तो सरकार को इनकी निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण रोक लगाने में क्या कठिनाइयां हैं?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां । शासन ने उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 द्वारा डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किये गये थे ।

उक्त नियमावली के विरुद्ध 37 निदेश याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हुई थी । इन निदेश याचिकाओं में स्थगन आदेश दिये जाने के कारण निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण रोक लगाने में कठिनाई है ।

(श्री बदन सिंह के अनुपस्थित होने पर)

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, प्रश्न कर लें ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने का उद्देश्य यही रहा होगा कि डाक्टर लोग प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर देंगे और अस्पतालों में मरीजों को ठीक से देखेंगे और उनका अच्छे से इलाज करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि इसका कड़ाई से पालन नहीं किया गया और अलग से डाक्टरों को नान प्रैक्टिसिंग एला-

†डा0 दिनेश चौहरी की रुचि पर लिया गया ।

उत्तर दिया जा रहा है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से दो प्रश्नों का जवाब चाहता हूं। पहला तो यह कि नान प्रैक्टिसिंग एलाउंस के रूप में कितना रुपया डाक्टरों को हर साल दिया जा रहा है और दूसरा प्रश्न है कि जिस कारण से प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई गयी थी, वह मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या सरकार फिर से प्राइवेट प्रैक्टिस खोलने पर विचार करेगी?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध वर्ष 1983 में लगाया था और अब तक उसके ऊपर अमल हो रहा है। इस आदेश के खिलाफ मेडिकल कालेज के कुछ डाक्टर्स और कुछ अन्य डाक्टर्स ने हाई कोर्ट में अपनी रिट कर रखी है, लगभग 600 के करीब डाक्टर हैं, जिन्होंने रिट की है, उसके खिलाफ अप्रैल में अन्तिम बहस हो चुकी है और निर्णय माननीय उच्च न्यायालय में इस पर सुरक्षित है, सम्भवतः जुलाई माह में इस पर निर्णय हो जायगा। दूसरा सवाल जो माननीय सदस्य ने किया है, उसके सम्बन्ध में विस्तृत सूचना नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने का सिद्धान्त सरकार ने स्वीकार किया है और 1983 से रोक लगा दी गयी, उसके बाद डाक्टर्स हाईकोर्ट में चले गये, तो ऐसे लोक महत्व के मामले पर इतने दिनों तक फैसला कराने में सरकारी पक्ष के वकीलों ने जो कोताही बरती है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि रोक लगने के बाद भी बहुत से डाक्टर्स मेटरनिटी होम खोले हुये हैं तथा प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप उनको नान प्रैक्टिसिंग एलाउंस भी दे रहे हैं, तो क्या सरकार नान प्रैक्टिसिंग एलाउंस को बन्द करने पर विचार करेगी या प्रतिबन्ध के मामले पर अडिग रहेगी?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके संबंध में मुझे कहना है कि पी0 एम0 एस0 के उत्तर प्रदेश में 12 हजार डाक्टर हैं और मेडिकल के एक हजार डाक्टर हैं, तो सभी ने स्थगन आदेश नहीं लिया है। करीब 600 लोगों ने ही हाईकोर्ट से स्थगन आदेश लिया है, तो जो हमारे पास सूचना है, उसके हिसाब से लगभग 600 लोग हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, शेष नहीं। दूसरे प्रश्न के संबंध में, सरकार की नीति यही है कि डाक्टरों को नान प्रैक्टिसिंग एलाउंस दिया जायगा और प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबन्ध जारी रहेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है, वही प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उनको नान प्रैक्टिसिंग एलाउंस देने का क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने पहले प्रश्न में दे दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जिन डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस बंद करने के बारे में शासनादेश जारी हुआ है, सम्भवतः वह शासनादेश ही स्टे कर दिया गया है । वैसे जो आप जानकारी देंगे, उसे हम सही मानेंगे । जबकि कुछ डाक्टरों ने ही स्थगन आदेश लिया है, जिन डाक्टरों को स्थगन आदेश नहीं मिला है, उनके संबंध में इस आदेश का अनुपालन न करने का क्या कारण है और जैसा कि माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है कि उन्हें अब भी भत्ता दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है । हमारे पास जो सरकारी और गैर सरकारी सूचना है, उसको मैंने बताया, बाकी गुप्ता जी मुझे बता देंगे तो जांच करने में आसानी होगी । और मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन से बहुत ही विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे जो ट्रान्सफर की पालिसी लागू की है, अगर उसका कड़ाई से पालन होगा तो ऐसी कोई समस्या है तो वह बहुत हद तक हल हो जायेगी ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मैं भी डाक्टरों को जानता हूं । कोई भी ऐसा डाक्टर नहीं है जो प्राइवेट प्रैक्टिस न करता हो । जब तक सरकार इसके लिए कोई कड़े कदम नहीं उठायगी, तब तक यह रुकने वाला नहीं है । क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस न करें ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विनियमिकरण की मांग

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री पंचानन राय एवं श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों और अंशकालीन शिक्षकों की सेवाओं को विनियमित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कब तक ले लिया जायेगा और ऐसे तदर्थ तथा अंशकालीन शिक्षक जो निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करते हैं उनकी सेवाओं को विनियमित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)—

जी हां । तदर्थ शिक्षकों के सम्बन्ध में । अशासकीय हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज के तदर्थ शिक्षकों के विनियमिती करण के सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, केवल अशासकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के तदर्थ शिक्षकों के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया था । हमने विद्यालयों के बारे में, जिसमें महाविद्यालय में भी इन्कूल्ड होता है, उसके बारे में भी प्रश्न पूछा था । जो महाविद्यालय हैं, डिग्री कालेज हैं, उनमें जो तदर्थ रूप से शिक्षक नियुक्त किए गये हैं, उनके विनियमितीकरण का मामला सरकार विचाराधीन है कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न विद्यालयों के बारे में है, महाविद्यालय के बारे में नहीं है ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, हमने जो प्रश्न किया था, उसमें महाविद्यालय भी था । यह तो आप अपने प्रश्न अनुभाग से पूंछे, जो क्वैश्चनों में तरमीम करता है । विद्यालय का मतलब सभी एजुकेशनल इन्सटीट्यूटों से होता है, उसमें महाविद्यालय भी शामिल होता है । यदि आप अपने पीठ से इस तरह की नई व्याख्या कर देंगे तो फिर हमें एक शोध संस्थान खोलना पड़ेगा । आप उस पीठ पर हैं । हमें संरक्षण देना और हमारे अधिकारों की रक्षा करने का पुनीत दायित्व आपके कंधों पर है । मैं जानना चाहता हूं और इसलिए भी जानना चाहता हूं कि जिस समय हम इधर बैठते थे तो हमने एक ज्ञापन दिया था । पूरे विपक्ष की तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदय को, जिसमें हमारे नेता सदन के भी हस्ताक्षर थे, तमाम पार्टी के लोगों के हस्ताक्षर थे, यह मांग की गयी थी कि डिग्री कालेजों में तदर्थ रूप से जो शिक्षक नियुक्त किए गये हैं, जब हम सत्ता में आयेंगे तो उनका विनियमितीकरण करेंगे अगर वे निर्धारित अर्हतायें रखते हों । इसी पृष्ठभूमि में मेरा यह सवाल है कि तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षक, चाहे वह विद्यालय हों, चाहे वह महाविद्यालय हों, जो निर्धारित अर्हतायें रखते हों, उनको विनियमितीकरण करने पर सरकार विचार कर रही है कि नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की अन्तर्निहित भावनायें क्या रही हैं वह तो हमारे जैसे अल्पबुद्धि वाले आदमी की समझ से बाहर की बात है । माननीय सदस्य तो बहुत ही योग्य हैं । जो प्रश्न किया गया है, वह बहुत ही स्पष्ट है । विद्यालयों के संबंध में प्रश्न किया गया है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न के उत्तर में विद्यालयों के सम्बन्ध में ही निवेदन किया है । यदि महाविद्यालयों के सम्बन्ध में प्रश्न होता तो उसका उत्तर भी मैं यहां दे सकता था ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी एक विद्वान सदस्य हैं । वह जो चाहें व्याख्या कर दें । मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्यालयों में माननीय मंत्री जी ने प्राइमरी स्कूल को क्यों नहीं लिया, माध्यमिक को ही क्यों लिया ? विद्यालय में तो प्राइमरी, माध्यमिक व महाविद्यालय-दोनों में नियुक्त किए गये हैं । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 7 मार्च को इस सदन में एक वक्तव्य भी दिया था कि माध्यमिक के बारे में एक विधिक कार्यवाही शीघ्र की जायेगी । यह भी कहा गया कि हम अध्यादेश के जरिये सरकार नहीं चलायेंगे बल्कि हर कार्य के लिए अलग से विधेयक लायेंगे । तो अध्यादेश तो बहुत से जारी हुए । जब इन्होंने 7 मार्च का वक्तव्य पढ़ा और यह सबसे लम्बा सत्र है, प्रस्तावित विधेयकों की जो सूची है, उसमें इस विधेयक की चर्चा नहीं है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षकों के विनियमितीकरण का कोई विधेयक लायेंगे या नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

माननीय सदस्य ने माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा है तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में, उसमें हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि प्रक्रिया का पालन शीघ्र ही करने जा रहे हैं । माननीय सदस्य को मालूम है कि प्रक्रिया एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह सदन है इसके समय का मूल्य है । मंत्री जी ने 7 मार्च को वक्तव्य दिया कि विधिक कार्यवाही पूरी कर रहे हैं, आज जून हो गया, शिक्षा के बारे में भी कई अध्यादेश हो गये हैं । यह सबसे लम्बा सत्र है इसमें विधेयक लायेंगे या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट रूप से निवेदन किया कि विधेयक लाने के पूर्व उसे भेजना होता है, उसका न्यायिक और विधिक परीक्षण कराना होता है । इस प्रक्रिया को प्रारम्भ करने जा रहे हैं । यथाशीघ्र विधेयक लायेंगे ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी ने समय-समय पर अंशकालीन शिक्षकों को कब तक नियुक्ति दी जा रही है और उसके लिये शासन ने क्या मापदण्ड निर्धारित किये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब विधेयक आ जायगा तो उसी में प्राविधानित होगा, आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । हमारे नियमों में व्यवस्था है कि जिस प्रश्न की सूचना देंगे उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, मैं आपके अधिकार पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं लेकिन माननीय पंचानन राय जी ने आरोप लगा दिया कि इस प्रश्न में ''विद्यालयों'' के साथ ''महाविद्यालयों'' भी लगा था, उसे कागजों से काट दिया गया । काटना सम्भव था यदि इसमें दो मन्त्रालय रहे होते । जब उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का एक ही मन्त्रालय है, तो इसको काट कर प्रश्न की आधी जान निकाल दी गयी, चूंकि मंत्री तो एक ही हैं, अतः इसे काटने की आवश्यकता नहीं थी ।

इसलिये सब सदस्यों की जो मूल चिन्ता है कि महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के बारे में । माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में 5 मार्च को साफ-साफ आश्वासन दिया था कि शिक्षकों के विनियमितीकरण का निर्धारण हो रहा है । महाविद्यालय के तदर्थ शिक्षकों के संबंध में मा0 मंत्री जी जानकारी दे दें कि क्या कर रहे हैं और अगर ये इसके बारे में उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है कि मान्यवर इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें क्योंकि सारे प्रदेश के लोगों की जिज्ञासा इस प्रश्न के संबंध में है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी को यदि सूचना है तो कृपया उत्तर दें । अभी कुछ मा0 सदस्यों ने कहा कि इस प्रश्न में महाविद्यालयों के संबंध में काट दिया गया है, यह प्रश्न मेरे सामने है इसमें लिखा हुआ है कि क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस प्रश्न के प्रश्नकर्ता का नाम क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा पंचानन राय द्वारा पूछा गया है किन्तु मा0 पंचानन राय के प्रश्न में महाविद्यालय लिखा हुआ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जब यह बात मा0 पंचानन राय के प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा गया है तो फिर कृपया आज आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री पंचानन राय–

(अखबार को दिखाते हुए) मान्यवर, इसमें मा0 शिक्षा मंत्री जी का एक इन्टरव्यू है जिसमें इन्होंने कहा है कि डिग्री कालेज के तदर्थ शिक्षकों को सत्र के पूर्व विनियमित कर दिया जायेगा । भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जहां धरना हो रहा था, वहां गये.....

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं । मा0 राय साहब कृपया आप बैठ जायें, अब मैंने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जाय । समय-समय पर मा0 अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी जो कारण हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं किन्तु किसी अखबार की सूचना पर सदन में बात नहीं की जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने स्वयं ही उनको बैठा दिया है । अखबार की बात को यहां संज्ञान में नहीं लिया जायेगा ।

प्रदेश के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग

*2–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क एक समान शिक्षा देने की नीति पर क्या शासन अमल करने जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

संविधान के अनुच्छेद–45 में एक समान शिक्षा का प्राविधान नहीं है । सिर्फ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ही प्राविधान है । उक्त प्राविधान के तहत प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के संबंध में कहा कि एक समान शिक्षा का प्रश्न नहीं उठता । सन् 1945 में अनिवार्य शिक्षा और नि:शुल्क शिक्षा का प्रबन्ध था कि प्रदेश में सब लोगों को शिक्षित होना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, इसका स्वागत है । अभी इस बजट में इण्टरमीडिएट तक नि:शुल्क शिक्षा दिये जाने का भी प्राविधान किया गया है । क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि कितने छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही है और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में शासन क्या योजना बना रहा है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

आप इनसे क्यों यह प्रश्न कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइये, जब हम उधर आ जायेंगे तो इसे लागू कर देंगे, व्यर्थ हमको क्यों आप परेशान कर रहे हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, नि:शुल्क शिक्षा की बात सामने आ चुकी है । जहां तक अनिवार्य शिक्षा का प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा किये जाने में पूरे समाज के ऊपर प्रतिक्रिया हो सकती है । इसलिये हमें सोचना पड़ रहा है । लेकिन इसके साथ ही साथ मान्यवर, अगर इस वक्त इस वर्तमान बजट को देखें तो हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है । इस वर्ष हमने प्रदेश में इसी बजट में 2362 नई प्राइमरी पाठशालायें खोलने का निर्णय लिया है । यह इस ओर इंगित करता है कि हम व्यापक रूप से अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयों को स्थापित करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से अधिक से अधिक लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री पंचानन राय–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनिवार्य शिक्षा लागू करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । मान्यवर, हमने संविधान की कसम खायी है और उसमें अनिवार्य शिक्षा नीति लागू करने की बात कही गई है । तो फिर उसके विरुद्ध आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

दूसरी बात यह है कि प्रदेश में मुख्य मंत्री जी ने दोहरी शिक्षा नीति के सम्बन्ध में स्वागत योग्य घोषणायें की हैं । दोहरी शिक्षा प्रणाली के संबंध में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, उसके बारे में बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष–

इससे प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री पंचानन राय–

यह सवाल समान शिक्षा के सम्बन्ध में है । मान्यवर, इस पर हम आपका संरक्षण चाहते हैं । इसमें समान शिक्षा की बात कही गई है । मुख्य मंत्री जी धूम-धाम कर इसे बता रहे हैं, इसका स्वागत हो रहा है । उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक क्या कार्यवाही की गई है । जिस संविधान के प्रति हमने कसम खायी है, उसके विरुद्ध किस तरह से आचरण कर रहे हैं ? यह बता दें ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की जिज्ञासा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि अनिवार्य शिक्षा के बारे में (व्यवधान) मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूं । मान्यवर, आंकड़े

उठाकर देख लें । वर्ष 1981-82 से वर्ष 1899-90 तक पूरे प्रदेश में केवल 3344 विद्यालय खोले गये और इस वर्ष जैसा हमने बजट में कहा है 2362 विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

सवाल शिक्षा नीति के सम्बन्ध में है । उसके बारे में क्या रूपरेखा बनायी है, इसका जवाब दें ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, दो बातें कही गई हैं । एक अनिवार्य शिक्षा नीति के बारे में और दूसरी समान शिक्षा के बारे में । पहली बात के बारे में मैंने निवेदन कर दिया । दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य धैर्य खो देते हैं, पूरी बात नहीं सुनते । आधी बात सुनकर ही प्रश्न करने लगते हैं । मैंने निवेदन किया कि वर्ल 1981-82 से वर्ष 1989-09 तक 2344 विद्यालय ही खोले गये थे किन्तु इस वित्तीय वर्ष में 2362 विद्यालय खोलने का हमने निर्णय लिया है । यह एक ऐतिहासिक निर्णय है । क्या यह और कदम नहीं है भले ही अनिवार्य न हो, शिक्षा की व्यापकता और प्रसार के लिये हमने काम किया है।

दूसरी बात समान शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जिज्ञासा जाहिर की है । अनवरत रूप से माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं । हमने सम्मानित सदस्यों को कहा था पत्र भी सभी माननीय सदस्यों को भेजा था कि इस दिशा में हमें क्या करना है । कुछ माननीय सदस्यों के उत्तर आये हैं, हम उसका परीक्षण कर रहे हैं ।

एक सदस्य–

हमें नहीं मिला है ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

अगर नहीं मिला है तो दुबारा पत्र रिमाइन्डर के रूप में भिजवा देंगे । इसके सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है । माननीय सदस्य हमें विचार भेज दें । उसका हम व्यापक रूप से परीक्षण करा रहे हैं । कोई निर्णय करने के पहले हम सभी लोग आपस में बैठकर कोई इस सम्बन्ध में बात सुनिश्चित कर लें, जानकारी कर लें, तब उसके बाद निर्णय ले लेंगे ।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की विद्वता का प्रशंसक हूं । जो नीति उन्होंने बतायी है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि अनिवार्य शिक्षा करने पर समाज के ऊपर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वह बात हो गई ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा प्रश्न सं0 3 पुकारने पर)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

एक अनुपूरक प्रश्न करने का तो मुझे अवसर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी तरफ के सभी प्रश्नों का उत्तर आ गया है फिर भी आप एक प्रश्न कर लें

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या निःशुल्क शिक्षा में केवल फीस ही सम्मिलित है या अपने संशाधनों को देखते हुये गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को वस्त्र पुस्तक, कापियां और दोपहर का भोजन भी दिलवाने की व्यवस्था है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, निःशुल्क शिक्षा का आशय स्पष्ट है माननीय सदस्य की जिज्ञासा बच्चों को बस्त्र, भोजन, पुस्तकें और कापियां देने के संबंध में है उनको संसाधनों की जानकारी है । वित्तीय संसाधनों को देखते हुये पिछले 10 वर्षों में क्या पिछले 40 वर्षों में जितने किसी एक वर्ष में विद्यालय नहीं खुले उतने हमने एक वर्ष में खोलने जा रहे हैं ।

प्रदेश के स्थाई एवं अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को वेतन वितरण अधिनियम में लाये जाने की मांग

*3–श्री मुईद अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त स्थाई एवं अस्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को वेतन वितरण अधिनियम में लाये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अंतिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं जी नहीं जो उन्होंने कहा है (व्यवधान) इनके नेता सदन जो अब मुख्य मंत्री हैं उन्होंने 4 नवम्बर को सीनियर बेसिक शिक्षण संघ के लोगों को लिख कर दिया है उनकी तीन मांगों के संबंध में कहा है उसको मैं जरा बता दूं–मांग संख्या एक जिसमें प्रदेश के समस्त स्थाई मान्यता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों को मात्र 25 करोड़ रु0 प्रदान कर वेतन वितरण अधिनियम में लाने के संबंध में है–मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनता दल की सरकार बन जाने के तत्काल बाद क्षतिपूर्ति/त्रिभाषा अनुदान के अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये वार्षिक की व्यवस्था कर अब तक के स्थाई मान्यता प्राप्त समस्त जू0 हा0 स्कूलों को एक ही साथ वेतन वितरण अधिनियम में लाने की घोषणा की जायेगी । इसी प्रकार दूसरी मांग जिसमें अस्थाई स्कूलों को स्थायित्व प्रदान करने के संबंध में है और उनको वेतन अधिनियम में लाने की बात है यह पत्र नेता सदन जो आज हैं उनका है उनके हस्ताक्षर हैं 4 नवम्बर को उससे अलग क्यों हो रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

क्या माननीय मंत्री जी नेता सदन ने 4 नवम्बर को यह निर्णय लिया है उससे क्या आप अब विचलित हो रहे हैं?

राजस्व एवं गन्ना मंत्री–श्री राम शरण दास)–

मान्यवर, अक्ल बड़ी कि भैंस, 4 नवम्बर को माननीय मुलायम सिंह मुख्य मंत्री कहां थे ।

श्री मुहम्मद अहमद–

मुख्य मंत्री बनने से पूर्व उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार होने पर हम यह कर देंगे तो उससे क्यों विचलित हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या पूर्व में लिये हुये निर्णयों पर विचार करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, बहुत स्पष्ट है, 4 नवम्बर को मुलायम सिंह जी नेता सदन नहीं थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह जानना चाहते हैं कि पूर्व सरकार के इसमें हुए निर्णय को जो पढ़कर सुनाया उसको कार्यान्वियन कराने पर विचार करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, पूर्व सरकार का ऐसा कोई निर्णय नहीं है ।

श्री मुहम्मद अहमद–

4 नवम्बर को वह मुख्य मंत्री नहीं थे लेकिन 4 नवम्बर को उन्होंने लिखित घोषणा किया था कि मैं मुख्य मंत्री बनने के बाद जनता दल सरकार बनने के बाद स्थायी एवं अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लाऊंगा ।

(प्रश्न का उत्तर नहीं दिलाया गया)

[सोमवार, दिनांक 25 जून, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग

*1–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के रिक्त पदों को आगामी शिक्षा सत्र से पूर्व भरे जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो ये नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

यथाशीघ्र ।

(श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य के उपस्थित न होने पर)

†श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

दूसरे एजेन्डे में मेरा नाम है इसलिए मुझे अनुपूरक प्रश्न कर लेने दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है एक प्रश्न कर लें । उत्तर मंत्री जी पढ़ दें ।

(उत्तर पढ़ने के बाद)

---

†*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के रुचि पर लिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में जो 27 हजार पद रिक्त हैं उनको भरने का वायदा किया लेकिन जुलाई में सत्र प्रारम्भ हो रहा है, समय है नहीं, इसलिए उत्तर दिया है कि यथाशीघ्र। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 27 हजार पद रिक्त हैं, पढ़ाई की बड़ी अव्यवस्था है, विज्ञान अध्यापक कर दिया अध्यापक है नहीं, इसलिए इस मामले को कार्यशील रूप देने के लिए शासन की क्या नीति है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, जो संख्या बतायी है वह सही नहीं है। दूसरा प्रश्न स्पष्ट और उसका उत्तर भी स्पष्ट है। प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है क्या ? इसका उत्तर दिया भी है। मैं अनुग्रहीत हूं कि जो चिन्ता मा0 सदस्य को है वही चिन्ता वर्तमान शासन को भी है कि स्थान रिक्त हैं, विज्ञान और गणित अनिवार्य विषय हैं जो पिछले शासन द्वारा किये गये थे लेकिन यह सारी चिन्तायें जो मा0 सदस्य की हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं किन्तु यह भी बताना चाहता हूं कि इतने व्यापक रूप से यह समस्या है जिससे मा0 सदस्य सहमत होंगे कि एक दिन में इसकी कार्यवाही कर पाना सम्भव नहीं है।

इस समय कार्यरत तदर्थ शिक्षक जो हैं, उनकी नियुक्ति का प्रश्न भी सम्बन्धित है इसमें, जो सी0 टी0 ग्रेड डाइंग कैडर हो गया है, उसके भी कुछ पद हैं, तो उसको भी देखना है। तो यह सारे मामले जो 10 वर्ष से मिले हैं इनकी गुत्थी, इनका निदान कराना है और स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। इस संबंध में हम गम्भीरतापूर्वक प्रयासरत हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

देखिए, अब मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। (फिर भी श्री गुप्त के बोलते रहने पर) यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। आपका जो मूल प्रश्न था, उसकी भावना के अनुसार माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। अब आप बैठ जाइये। हमेशा आप बहुत जिद करते हैं। मैं बहुत कृपापूर्वक कह रहा हूं, और कोई बात हो तो आप शिक्षा मंत्री के कक्ष में जाकर अपनी शंका का निवारण कर लें।

*2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[दि0 18-6-90 को अता0 प्र0 सं0 178 द्वारा उत्तरित]

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन पर विचार

*3–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय रखने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मैंने प्रश्न किया था — क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय रखने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस पर मंत्री जी ने केवल इतना कह दिया— जी नहीं, । अब मंत्री जी एक बात बता दें कि क्या वहां के हजारों शिक्षकों व नागरिकों तथा विधायकों के इस आशय के पत्र प्राप्त हुए हैं और यदि प्राप्त हुए हैं तो उस क्षेत्र के नागरिकों और विधायकों की भावना का आदर करते हुए यह घोषणा करने की कृपा करेंगे कि रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा ? इस मामले में तो सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा, फिर भी इसे न करने में उनके सामने क्या परेशानी है?

श्री उपाध्यक्ष–

इस प्रश्न का उत्तर आ गया है । "जी नहीं" कह दिया है ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य विद्वान भी हैं और जानकार भी हैं । उन्हें यह जानकारी होगी कि भारत के महान सपूत, समाज सुधारक, विधिवेत्ता डा0 भीमराव अम्बेदकर साहब के नाम पर लखनऊ में अपने किस्म के एक अद्वितीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया जा चुका है । अब उनके प्रश्न के अनुसार दूसरे स्थान का नामकरण का विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश में नये प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल खोलने की योजना

*4–श्री राज किशोर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990–91 में भवनहीन प्राइमरी पाठशालाओं के लिए भवन निर्माण तथा नयी प्राइमरी पाठशालायें व जूनियर हाई स्कूल खोलने की शासन ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

विवरण निम्नवत है :—

(1) वर्ष 1990-91 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मैदानी और पर्वतीय जनपदों में क्रमशः 5022 तथा 64 अवशेष भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण कराये जाने की योजना है ।

(2) पर्वतीय जनपदों में नगर क्षेत्र के 96 भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण कराये जाने की योजना है ।

(3) मैदानी जनपदों में 2270 और पर्वतीय जनपदों में 92 नये प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना है ।

(4) मैदानी जनपदों में 33 और पर्वतीय जनपदों में 50 नये जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की योजना है ।

प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति समाप्त किये जाने सम्बन्धी जानकारी

*5—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा कब तक लागू कर दी जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां, दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा । जिसमें समय लगने की सम्भावना होगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है । इसका मतलब यह है कि इस पर विचार प्रारम्भ हो गया है । तो दोहरी शिक्षा व्यवस्था समाप्त करने के लिए किन-किन बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है ? क्या उसमें शासकीय और अशासकीय विद्यालय समाप्त करने पर विचार होगा ? या उनके यहां पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी भाषा समाप्त होगी, या जो बड़े घर के बच्चे विशेष स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों मे पढ़ते हैं, इस अन्तर को समाप्त किया जाएगा ? तो क्या इन सब मदों को समाप्त करने पर भी विचार किया जा रहा है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, दोहरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में हमने विचार किया है और जो विचार किया और जो इस सम्बन्ध में हमारी प्रारम्भिक बैठक हुई, उसमें जितना विचार-विमर्श हुआ, उसके बाद एक पुस्तिका प्रत्येक माननीय सदस्य के पास भेजी गयी है और मेरा विश्वास है कि इन माननीय सदस्य को भी यह पुस्तिका मिली होगी । माननीय सदस्य ने जितने इस समय प्रश्न उठाये हैं, सबका उसमें उल्लेख है और इस विषय में उनके जो भी सुझाव हैं, वह हमारे पास भेज दें, हम इसके लिए उनके अनुगृहीत होंगे ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

हम यह जानना चाहते हैं कि यह दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करने में कौन-कौन विशेष अड़चन पड़ रही है, जिसके कारण इतना विलम्ब हो रहा है, और जहां तक मैं समझता हूं आप लोग इससे सिद्धान्ततः पूरी तरह सहमत हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

अड़चन नहीं है। किस प्रकार करें, कैसे करें, यह सारे बिन्दु हमारे ध्यान में हैं इसलिए इसमें हर दृष्टि से परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है। यदि माननीय सदस्य ने भी हमारे पत्रों को पढ़ा होता तो उनको बहुत स्पष्ट हो गया होता।

मान्यवर, हमने इस बारे में मा0 सदस्यों से इस विषय में अपने विचार के लिये आमंत्रित किया है। मुझे खेद है कि अभी तक कुछ ही मा0 सदस्यों के सुझाव इस विषय पर प्राप्त हुए हैं। हमने एक पुस्तिका भी मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराई है। यदि यह पुस्तिका आप लोगों को न मिली हो तो उसे दोबारा उपलब्ध करा दिया जायेगा। हम इस मा0 सदन के मा0 सदस्यों को इस पर अपने विचार देने के लिये आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह पुस्तक अगर मिल गयी होती तो हमारी शंकाओं का समाधान हो गया होता। श्रीमन् मेरा निवेदन है कि इस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने में कितना समय लगेगा कृपया मंत्री जी उसका समय बता दें?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, जब हम किसी ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु पर निर्णय लेते हैं जिसका पूरे समाज पर प्रभाव पड़े तो इस पर गम्भीर विचार में धन आवश्यकीय है। हमारा संकल्प है कि दोहरी शिक्षा नीति को हम समाप्त करेंगे। मान्यवर, आपके माध्यम से और सदन में सभी विद्वान सदस्य बैठे हैं इन सबके सुझाव हमने आमंत्रित किये हैं यदि हमें मिल जायें तो हम इस बारे में शीघ्र निर्णय ले लें। मेरा यह अनुरोध है कि यह जो मा0 सदस्य हैं अपने विद्वतापूर्ण विचार हमें जल्दी से जल्दी दें।

(व्यवधान)

अनुग्रह नारायण सिंह–

दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने का सरकार ने संकल्प कर लिया है और इस बारे में जैसा कि मा0 मंत्री जी ने हम लोगों को सूचित किया है कि पुस्तिका छपी है और वितरित भी हुई है तो मान्यवर यदि पुस्तक मिल गई होती तो ऐसा प्रश्न न होता। कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ियां जरूर हैं जिस वजह से मा0 सदस्य सुझाव नहीं दे पाये मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह जो दोहरी शिक्षा नीति है उसे समाप्त करने के लिये जो व्यवस्था की गई है उस पर जनप्रतिनिधि व सभी लोगों की भावनाओं को जान लिया जाये और इसके साथ ही साथ निश्चित समय के अन्दर निर्णय लिया जाय।

श्री वीरेन्द्र सिंह (हरिद्वार)–

दोहरी शिक्षा नीति जो है क्या इसकी परिधि में पब्लिक स्कूल आयेंगे। यदि हां तो उनकी शिक्षा का क्या माध्यम रहेगा। उनका क्या रूप रहेगा और उन पर शासन का क्या अंकुश रहेगा?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि संविधान में दिये गये निर्देशों को भी हम देखेंगे और दूसरी तरफ जो विभिन्न मत दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के बारे में माननीय सदस्यों के, माननीय सांसदों के और पत्रकार बंधुओं तथा जन प्रतिनिधियों के आयेंगे, उनके विचार जानेंगे, तत्पश्चात् हम कोई निर्णय लेंगे ।

श्री फौजदार–

आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने समय में यह व्यवस्था लागू कर लेंगे?

(उत्तर के लिये मा0 मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि समान शिक्षा लागू करने के लिये जो परीक्षण कराया जा रहा है उसके लिये क्या कोई कमेटी गठित की गयी है या वैसे ही विचार-विमर्श चल रहा है । यदि कोई कमेटी गठित की गयी है तो कौन-कौन से लोग उसमें हैं और उस कमेटी का संयोजक कौन है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् इस सारे विचार को विचारित कर रही है जिसमें माननीय सदस्यों, जैसा कि मैंने पहले कहा, सबका सहयोग लिया जा रहा है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने की घोषणा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्य मंत्री बनने के बाद किया । हम विरोध पक्ष में बैठे हुये लोगों ने इसका स्वागत किया । जैसा कि मंत्री जी ने बताया, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद् खुद दोहरी शिक्षा नीति की समर्थक रही है तो क्या अपने विधान मंडल दल के किसी सदस्य की अध्यक्षता में कोई उच्च स्तरीय समिति गठित करने पर विचार करेंगे जो इसके बारे में कोई राय व्यक्त कर सके?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य एक समिति की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे सदन की बात कर रहा हूं । मैंने सभी सम्मानित सदस्यों से अपने-अपने सुझाव देने के लिये अनुरोध किया ।

जनपद अल्मोड़ा के तहसील बागेश्वर, विकास खण्ड गरूड़ में प्रगाऊ भेटी मोटर मार्ग में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बाधक पेड़ों के कटान में सरीक लोगों पर चलाये गये मुकदमें वापस लेने की मांग

*6–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगाऊभेटी मोटर मार्ग विकास खण्ड गरूड़ तहसील बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बाधक पेड़ों को काटने

के आरोप में उत्तराखण्ड क्रान्तिदल के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दफा 26 वन संरक्षण अधिनियम में मुकदमें चल रहे हैं? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त कार्यकर्ताओं के मुकदमें वापस लेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जसवंत सिंह विष्ट–

माननवर, मैंने यह प्रश्न 6-4-90 को उठाया था। मेरी समझ में नहीं आता है कि कौन सी सूचना एकत्र की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार विकास की बात करती है लेकिन पर्वतीय अंचल में वन संरक्षण अधिनियम के कारण सारे निर्माण कार्य बंद हैं। सूचना तो आप एकत्रित करेंगे ही लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में यह सारे विकास कार्य जो रुके हुये हैं उनको किस तरीके से करेंगे। उन व्यक्तियों पर से आप कब तक मुकदमें हटायेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने लोगों पर इस समय मुकदमें चल रहे हैं?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, कितने लोगों ने लकड़ी काटी और कितने लोगों पर मुकदमें चल रहे हैं वन अधिनियम की धारा-26 में तो इन सब बातों की सूचना एकत्रित हो रही है, इसलिये हमने असमर्थता जाहिर की है। जैसे ही सूचना आ जायगी, शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, शीघ्र ही इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिये। यह प्रश्न 6 अप्रैल का है।

प्रदेश सरकार द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टर कक्षाओं में अध्यापकों की भर्ती एवं विज्ञान कक्षायें खोलने पर प्रतिबन्ध हटाये जाने की मांग

*7–श्री ऊदल (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश भर में हाईस्कूलों एवं इण्टर कालेजों में अध्यापकों की भर्ती एवं सेक्शन खोलने पर कई वर्षों से रोक लगा रखी है? यदि हां, तो क्या सरकार इस रोक को समाप्त करेगी? क्या यह सही है कि विगत कई वर्षों से साइन्स की मान्यता पर भी रोक लगा दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के तदर्थ विनियमित राजकीय अध्यापकों के ज्येष्ठता निर्धारण

8–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तदर्थ विनियमित राजकीय अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारण में, तदर्थ सेवा का लाभ दिए जाने विषयक मुख्य मंत्री को संबोधित प्रश्न-कर्ता का पत्र दिनांक 6-3-1990 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां। प्रकरण अभी विचाराधीन है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकरण पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, विधिक परीक्षणोपरान्त ही इस विषय पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री फौजदार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा है या नहीं? यदि नहीं, तो इसको पूरा करने के लिए माननीय मंत्री जी कोई ठोस कदम उठायें हैं?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, सम्भवतः यह मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न है।

बुन्देलखण्ड विकास निगम को हुए घाटे के कारण बन्द करने सम्बन्धी जानकारी

*9–श्री रवीन्द्र शुक्ला (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निगम प्रतिवर्ष कितने घाटे में चल रहा है? क्या सरकार इस निगम को समाप्त करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त निगम द्वारा बुन्देलखंड के विकास के लिए कौन-कौन से कार्य किए गए और उसमें कितना श्रमिक नियोजन किया गया है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

उ0प्र0 बुन्देलखण्ड विकास निगम लि0 झांसी को प्रतिवर्ष हुई हानि/लाभ का विवरण संलग्नक "क" पर अवलोकनीय है। यह निगम विगत दो वर्षों से लाभ पर चल रहा है परन्तु अब तक की संचित हानि रु0 82.19 लाख है। निगम के कार्य संचालन में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो अंतिम विकल्प के रूप में निगम को बंद किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

उ0 प्र0 बुन्देलखण्ड विकास निगम द्वारा बुन्देलखण्ड के विकास के लिए पुष्टाहार की आपूर्ति, गेहूं क्रय का कार्य, बालू खनन का कार्य, स्टोन क्रेशर, स्लैब स्टोन लीज, उर्वरक वितरण, आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत पम्पसेट समरसेबिल पम्प/सिंचाई मशीनों आदि की आपूर्ति, कृषि यंत्र निर्माण इकाईयां, कुओं की

बीरिंग, कागज का व्यवसाय, ग्रेनाइट पत्थर का निर्यात मिनी चीनी मिल, ईंट भट्ठा, बीड़ी इकाईयां एवं आयरन डिपो आदि योजनाओं/कार्यक्रमों को चलाया गया, जिसमें लगभग 200 व्यक्तियों को अस्थाई तथा 35 व्यक्तियों का नियमित श्रमिक नियोजन किया गया ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 175 पर)

*10—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[दि0 21-6-90 को ता0 प्र0 सं0 20 द्वारा उत्तरित]

दादरी रेलवे स्टेशन पर उपरिगामी पुल बनाये जाने सम्बन्धी जानकारी

*11—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी नोएडा मार्ग पर दादरी रेलवे स्टेशन पर उपरिगामी पुल निर्माण का शासन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक करा दिया जाएगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, जो उस सड़क से होकर गुजरने वाली विहिकिल्स हैं, उनका आकलन क्या माननीय मंत्री जी ने कराया है कि प्रति घंटे कितनी यातायात की विहिकिल्स वहां से गुजरती हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न यह था कि दादरी नोएडा मार्ग पर दादरी रेलवे स्टेशन पर उपरिगामी पुल निर्माण का शासन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है । अब मान्यवर, माननीय सदस्य मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न कर रहे हैं । मान्यवर, इस संबंध में कोई भी प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है । मान्यवर, केन्द्रीय सरकार से भी हमने इसका पता कराया, वहां पर भी ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है । मान्यवर, ये पुल केवल जिला मार्ग पर ही बनाये जा रहे हैं । इसमें 50 प्रतिशत राज्य सरकार को देना पड़ता है और 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार इसका व्यय-भार वहन करती है । मान्यवर, जिला मार्गों पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह केवल इतना बता दें कि वहां पर पुल की आवश्यकता है या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं आया ।)

जनपद बांदा में निजी नलकूप लगाने वालों के मांग पर रिग्स मशीन उपलब्ध कराये जाने की मांग

*12–डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बांदा में पचास प्रतिशत छूट पर निजी नलकूप लगवाने के लिए एक हजार रुपया पहले जमा कराकर, रिग्स मशीन उपलब्ध कराने की शासन द्वारा व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो वर्ष 1988–89 तथा वर्ष 1989–90 में कितने किसानों द्वारा जनपद बांदा में एक हजार रुपया जमा किया गया है और उन्हें नियमानुसार विभाग द्वारा कब तक रिग्स मशीन उपलब्ध करा दी जायेगी ? क्या बांदा जनपद के असिंचित क्षेत्र को देखते हुए इस योजना के तहत जनपद में और पांच रिग्स मशीन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

वर्ष 1988–89 में 63 एवं वर्ष 1989-90 में 151 कृषकों द्वारा धनराशि जमा की गयी ।

वर्ष 1988–89 एवं 1989-90 में धनराशि जमा करने वाले कृषकों की बोरिंग हेतु 3 रिग्स मशीन उपलब्ध है । कार्यभार को देखते हुये भूगर्भ जल विभाग से अतिरिक्त रिग्स मशीनों की व्यवस्था की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा के तहसील बिधूना में बनाये गये प्राइमरी पाठशाला भवनों में गड़बड़ी की शिकायत

*13–श्री धनीराम वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986 से 1989 के अंतर्गत इटावा जनपद की बिधूना तहसील में प्राइमरी पाठशालाओं की कितनी और कहां-कहां नई इमारतें बनाई गई हैं उनमें से कितनी ऐसी इमारतें हैं जिनकी छतें व दीवालें टूट गई हैं और छात्र खुले आकाश में विद्या अध्ययन करते हैं ? क्या खण्डित इमारतों को बनाने वाले ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

वर्ष 1986 से 1989 तक प्राइमरी पाठशालाओं के कुल 19 नई इमारतें बनायी गई हैं जिनका विवरण संलग्न है ।

दो ।

(प्रा0 पा0, रूरूखुर्द और फैजुल्लापुर)

भवनों का निर्माण कार्य ठेकेदारों से नहीं कराया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी पाठशाला रूरूखुर्द के ध्वस्त/क्षतिग्रस्त भवन के संबंध में जिलाधिकारी इटावा द्वारा संबंधित अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की गयी तथा जांच पूर्ण होने पर जिलाधिकारी द्वारा अवर अभियन्ता को भर्त्सना प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी ।

प्राइमरी पाठशाला, फैजुल्लापुर के भवन के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, इटावा को लिखा गया है कि वे भवन को ठीक करायें और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करें ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 176 पर)

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, हमारे जनपद इटावा में शासन ने विगत 4 वर्षों में हमारी तहसील विधूना में 19 प्राइमरी पाठशालाओं के भवन बनवाये जैसा कि उत्तर में दिया हुआ है । मान्यवर, जो लिस्ट लगी हुई है उसके पांचवें कालम में लिखा है–पूर्ण क्षतिग्रस्त है और बाद में आईपन लगा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि सारे के सारे 19 विद्यालय क्षतिग्रस्त हैं, बनाये गये और क्षतिग्रस्त हो गये जैसा कि लिस्ट में है इसे आप देख लीजिएगा और सही बात भी यही है कि सारे के सारे 19 विद्यालय या तो उनकी दीवालें टूटी हुई हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये ?

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन पूर्ण क्षतिग्रस्त एवं ध्वस्त इमारतों को अतिशीघ्र बनवायेगी यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ? और दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी कि यह सभी इमारतें ठेकेदारों ने बनवाई हैं और ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा बनवाई गयी हैं, मान्यवर, निश्चित रूप से ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में ठेकेदारों से बनवाई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो प्रश्न भी कर रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं, केवल प्रश्न करिये ?

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, प्रश्न यह है कि पूर्ण क्षतिग्रस्त एवं ध्वस्त इमारतों को अतिशीघ्र सरकार बनायेगी यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने जागरूक विधायक को बधाई देना चाहता हूं कि क्षेत्र के विद्यालयों के संबंध में उन्होंने जागरूकता का परिचय दिया । और दूसरा जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, हमें खेद है कि इस तरह की स्थिति आई है और इस संबंध में हम यह दिखवा रहे हैं कि क्या-क्या और कौन-कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि माननीय सदस्य ही नहीं, जो विभाग को उम्मीद है, जो विभाग का प्रयास है, वह सफल हों ।

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था क्या सरकार उन इमारतों को अतिशीघ्र बनवायेगी यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों, इसका उत्तर नहीं आया ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि जो इस तरह की कमियां हैं, उन्हें हम यथाशीघ्र ठीक करायेंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है और प्रश्नकर्ता ने एक फेहरिस्त पढ़ी है और 19 विद्यालयों की जो सूची प्रस्तुत की गयी है ठीक करने की, उसमें लिखा हुआ है कि यह क्षतिग्रस्त हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो भवन बनने के बाद तुरन्त क्षतिग्रस्त हो गये इसका क्या कारण है और क्या आप इस समूचे मामले की जांच सतर्कता अधिष्ठान के सुपुर्द करेंगे ताकि भवन बनने के बाद तुरन्त टूटने से रोका जा सके ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैं मा0 सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस पर जांच कराई जायगी, कार्यवाही की जायगी और इन्हें ठीक कराया जायेगा ।

श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विद्वान शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो 1984–1989 के बीच में प्रदेश में निर्मित प्राइमरी भवन हैं, ये लगभग प्रत्येक जिले में क्षतिग्रस्त हैं, इनके बारे में जिलाधिकारियों को निर्देश देंगे कि इस अवधि में बने सभी विद्यालयों को निरीक्षण कराएं और यदि उनमें गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अधिकारी या एजेंसी, जिसके द्वारा बनाया गया, उनके विरुद्ध कार्यवाही करवायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मा0 सदस्य का प्रश्न सीमित है और मा0 सदस्य ने पूरे प्रदेश का प्रश्न उठा रखा है, जो व्यापक है ।

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत गाँधा से अतरौली मार्ग के बीच काली नदी पर पुल निर्माण

*14—श्री कल्यान सिंह (अनुपस्थित)—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अतरौली जिला अलीगढ़ के अंतर्गत गाँधा से अहरौली होते हुए अतरौली तक जाने वाली सड़क पर काली नदी के ऊपर पुल के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 21-12-89 को कोई ज्ञापन सरकार को मिला है जिस पर उन्होंने दिनांक 12-12-89 को ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इस पुल का सर्वेक्षण करा कर एस0 एन0 डी0 से स्वीकृत प्रदान कर दें ? यदि हां, तो सर्वेक्षण कब हुआ तथा उक्त पुल के निर्माण के लिए कब और कितनी धनराशि स्वीकार की गयी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

प्रश्नगत सेतु का सर्वेक्षण कार्य जनवरी 90 में किया जा चुका है और उसके आधार पर गणना का कार्य प्रगति पर है । गणना के उपरान्त इस सेतु के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति सेतु की वरीयता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

आगरा में रावली के पास महात्मा गांधी मार्ग पर ड्रमण्ड पुल के दोनों तरफ बने अस्थायी पुलों को स्थायी रूप से बनाये जाने सम्बन्धी जानकारी

*15—श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट (अनुपस्थित)—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रावली के पास महात्मा गांधी मार्ग आगरा पर ड्रमण्ड पुल को रेलवे द्वारा विद्युतीकरण हेतु तोड़े जाने के कारण दोनों तरफ बने अस्थायी पुल का स्थायी रूप से निर्माण का प्रस्ताव शासन के तहत विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही अभी तक की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

प्रश्नगत निर्माणाधीन पुल के दोनों ओर रेलवे विभाग द्वारा अस्थाई तौर पर निर्मित पुलों को स्थाई किये जाने के प्रस्ताव पर रेलवे विभाग, भारत सरकार का अनुमोदन आवश्यक है । तदनुसार प्रस्ताव पर विचार करने हेतु रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया है । रेल मंत्रालय का निर्णय ज्ञात होने पर ही राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

*16—श्री मयंकर सिंह—

[2रे शुक्र में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[4थे सोम के लिए स्थगित]

सुब्रतो फुटबाल टूर्नामेन्ट में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आदर्श सेवा विद्यालय इण्टर कालेज वाराणसी के खिलाड़ियों की उपेक्षा

*18—श्री अमर नाथ यादव (अनुपस्थित)—

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुब्रतो फुटबाल टूर्नामेन्ट में भारत वर्ष में प्रथम स्थान पाने पर आदर्श सेवा विद्यालय इण्टर कालेज वाराणसी के फुटबाल खिलाड़ियों को शासन द्वारा पुरस्कृत किया गया ? यदि नहीं, तो सफल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में उदासीनता बरते जाने का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया किन्तु प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर रेल किराया, प्रासंगिक व्यय तथा भोजन हेतु अपेक्षित धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*19—श्री दशरथ सिंह—

[दि0 18-6-90 को अता0 प्र0 सं0 129 द्वारा उत्तारित]

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक विषमताओं के कारण ग्राम सभाओं के पुनर्गठन का प्रस्ताव

*20—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं दुर्गमता को देखते हुए वहां ग्राम सभाओं को छोटी करने तथा इनके पुनर्गठन पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कितनी नयी ग्राम सभायें सृजित की जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्रदेश में जनगणना का कार्य चलने के फलस्वरूप नयी ग्राम सभाओं का गठन, विघटन, विभाजन जून, 1991 तक स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया है । ऐसी स्थिति में पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा दुर्गमता को देखते हुए वहां ग्राम सभाओं को छोटी करने तथा इनके पुनर्गठन का प्रश्न शासन स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में जनगणना होने के कारण ग्राम सभाओं (बिजली चली गयी, जिसके कारण अंधेरा हो गया तथा माइक ने कार्य करना बन्द कर दिया। कुछ क्षण बाद बिजली पुनः आ गयी)

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांव सभाओं को प्राथमिक इकाई घोषित करने का शासन का निर्णय है तो क्या पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां की ग्राम सभाओं को छोटी करने और पुनर्गठन करने के बारे में कोई आधार तय किया है, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, मा0 सदस्य की मांग सही है और इसी प्रकार की मांग प्रदेश की और भी कई जगहों से आयी है और उसके तहत दिल्ली से कई बार आग्रह किया गया । चूंकि ऐसी ग्राम सभाएं पहाड़ों में और अन्य कई क्षेत्रों में हैं जहां 5 हजार, 10 हजार की ग्राम सभाएं हैं । हम चाहते हैं कि छोटी इकाई के रूप में करके इसको कार्य रूप में चला सकें । लेकिन बार बार दिल्ली को लिखने के बावजूद वे सहमत नहीं हो रहे हैं । अतः जनगणना के कारण हम ऐसा करने में असमर्थ हैं । जैसे ही जनगणना पूरी हो जायगी, हम मा0 सदस्य की भावनाओं को देखते हुए कार्यवाही करेंगे ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जनसंख्या के अलावा भौगोलिक आधार को भी ग्राम सभाओं के पुनर्गठन के लिये आधार रखेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जैसा मैंने कहा जैसे ही स्वीकृति मिलती है और केन्द्र सरकार इससे सहमत हो जाती है, क्योंकि स्वयं ही माननीय सदस्य से सहमत हैं, विषम परिस्थितियों में जरूर कार्यवाही करेंगे । लेकिन, इस समय यह संभव नहीं है ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

पुनर्गठन के लिये जो रोक दिया है, क्या इससे पहले, जो ग्राम सभायें छोटी की गयी थी और जिनके नोटिफिकेशन हो चुके हैं क्या इनके चुनाव कार्यक्रम पूरे करायेंगे या नहीं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, चुनाव की बात जो कर रहे हैं, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जिनका गठन हो चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है, छोटी की जा चुकी है उनके चुनाव करायेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । अब आप लोग बैठें । समय समाप्त ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बहराइच के फखरपुर ब्लाक में जिला योजना में स्वीकृत बटोरन दास कुटी से दहौरा सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराये जाने की मांग

1–श्री मयंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच के फखरपुर ब्लाक में जिला योजना में स्वीकृत बटोरन दास कुटी से दहौरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उस सम्पर्क मार्ग को कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद बहराइच के फखरपुर ब्लाक में बटोरन दास कुटी से दहौरा सम्पर्क मार्ग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 5 कि0 मी0 लम्बाई में केवल मिट्टी के कार्य हेतु स्वीकृत है । उक्त स्वीकृत लम्बाई में से 4 कि0 मी0 तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है । शेष 1 कि0 मी0 भाग को पूर्ण किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बहराइच के जिला उपविद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सेवा निवृत लेखाकार श्री लल्लन सिंह के पेंशन आदि का भुगतान

2–श्री मयंकर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के विद्यालय उप निरीक्षक कार्यालय से 31-10-86 को अवकाश प्राप्त लेखाकार श्री लल्लन सिंह की अभी तक पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 इलाहाबाद के यहां से स्वीकृत करके नहीं भेजी गयी ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ? विलम्ब के लिए दोषी

नोट:–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के पश्चात प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

व्यक्तियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ? उक्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

श्री लल्लन सिंह को चयन वेतनमान तथा सेवा निवृत्ति के बाद अवशेष अवकाश के नकदीकरण की धनराशि का नियम विरुद्ध भुगतान कर दिये जाने के कारण इनके पेंशन ग्रेच्युटी आदि का निर्धारण नहीं हो सका है ।

इसका कोई प्रश्न नहीं है ।

शीघ्र भुगतान के लिये शिक्षा निदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद ललितपुर के ब्लाक बिरधा के ग्रामों में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत किये गये कार्यों की जानकारी

3–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बिरधा ब्लाक, जनपद ललितपुर के किन-किन ग्रामों में कौन-कौन सा कार्य अभी तक हुआ है ? क्या उसका विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

विकास खण्ड बिरधा जनपद ललितपुर की 90 ग्राम सभाओं में 13 तालाबों का जीर्णोद्धार, 12 बंधियों का निर्माण/मरम्मत, 35 किमी0 सम्पर्क मार्ग, 70 हेक्टेयर वनीकरण 3 कि0 मी0 खड़ंजा 28 स्कूल भवनों की मरम्मत 24 पुलियों का निर्माण, 18 कूप निर्माण 8 कूप मरम्मत, 183 हरिजन आवास 20 कि0 मी0 सम्पर्क मार्गों की मरम्मत का कार्य कराया गया है ।

ग्राम सभावार विस्तृत विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है।

जनपद ललितपुर के नाराहट से जामनी बांध से पिपरहट मार्ग को लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा कराये जाने की मांग

4–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के नाराहट से जामनी बांध से पिपरट मार्ग को जो कि सिंचाई विभाग का मार्ग है, उसे लोक निर्माण विभाग में लेने का कष्ट करेंगे, जिससे कि पिपरट जामनी बांध से झांसी का सीधा सम्पर्क सुलभ हो सके ? यदि हां, तो मंत्री जी इस मार्ग को कब तक लोक नि0 वि0 के अपने अधीन ले लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद ललितपुर के नाराहट से जामनी बांध होते हुए पिपरट मार्ग के सिंचाई विभाग के अधीन भाग के लोक निर्माण विभाग में हस्तान्तरण का कोई विधिवत औपचारिक प्रस्ताव सिंचाई विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है । प्रश्नगत मार्ग के नाराहट से जामनी बांध तक का भाग, जो सिंचाई विभाग की सम्पत्ति है, को लोक निर्माण विभाग में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ग्रहण करना सम्भव नहीं है ।

किशोरी रमण इण्टर कालेज, जनपद मथुरा की अध्यापिका श्रीमती निजत आरा जुबेरी का अनियमित तरीके से किया गया स्थानान्तरण

5—श्री रविकान्त गर्ग—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किशोरी रमण इण्टर कालेज जनपद मथुरा में अनियमित तरीके से स्थानान्तरित अध्यापिका श्रीमती निजत आरा जुबेरी को कासगंज स्थानान्तरित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता व विधायक मुस्तमंद अली खां द्वारा दिनांक 15 मार्च, 90 या उसके आस-पास दिया गया पत्र उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

पत्र दिनांक 25-2-90 प्राप्त हुआ ।

पत्र में किया गया अनुरोध नियमानुकूल न होने के कारण उसका स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

बदायूं, राजकीय इण्टर कालेज की दशा के संबंध में शासन को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

6—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बदायूं राजकीय इण्टर कालेज की दशा के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह फरवरी, 90 में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पत्र में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

हां ।

शिक्षा निदेशक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद्, जनपद बस्ती में मृतक आश्रितों को अप्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति

7—श्री अमर नाथ यादव—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, जनपद बस्ती में कितने मृतक आश्रितों को वर्ष 1987-88 में अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की गयी है ? क्या उन्हें बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग दिलायी गयी है ? यदि नहीं, तो ट्रेनिंग न दिलाये जाने का क्या कारण है? उक्त अध्यापकों को कब तक ट्रेनिंग करा दी जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

62 मृतक आश्रितों की नियुक्ति की गयी है ।

जी नहीं ।

अभी तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

अप्रशिक्षित मृतक आश्रितों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश शिक्षा निदेशक को दे दिया गया है ।

अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर कारखाना जिला देवरिया के प्रधानाचार्य द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

8—श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 116 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले की जांच शिक्षा निदेशक द्वारा किस स्तर के अधिकारी द्वारा करायी जा रही है और वह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रश्नगत मामले की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया द्वारा पूर्ण कर ली गयी है ।

अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला देवरिया के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि में कथित संशोधन

9—श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 114 के उत्तर के सन्दर्भ में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कथित दोनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जन्म तिथियों में संशोधन करने के फलस्वरूप उन्हें किस व कितनी अवधि तक सेवा का लाभ प्राप्त हो सका है और कितनी धनराशि का भुगतान उक्त विद्यालय के प्रबन्धक व प्रधानाचार्य द्वारा किया गया है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

श्री श्यामदेव परिचारक को 1-5-83 से 30-6-84 तक की अवधि का सेवा लाभ प्राप्त हुआ तथा उन्हें 7,550.90 का भुगतान किया गया किन्तु श्री मुन्नर को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ ।

वर्ष 1985 की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु निर्धारित शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क लिया जाना

10—श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के प्रथम सोमवार एवं द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम सोमवार के लिये क्रमशः निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 91 व 23 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित विद्यालय के उन छात्रों के नाम व विवरण क्या हैं, जिन्होंने विलम्ब से आवेदन-पत्र तथा शुल्क जमा किया था और जिन्हें विलम्ब शुल्क वापस कर दिया गया है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 177 पर)

श्री परमहंस सिंह प्रधानाचार्य, अशोक इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना जिला देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

11—श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कथित कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्रबन्धक ने उक्त विद्यालय के अध्यक्ष द्वारा भी शिकायतों की जांच करायी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली व्यास घाट मोटर मार्ग के 17 वें कि0 मी0 पर स्थित काजवे के स्थान पर पुलिया बनाये जाने की मांग

12—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली व्यासघाट मोटर मार्ग के 17 वें कि0 मी0 पर स्थित काजवे के स्थान पर पुलिया निर्मित करने की मांग जनपद विकास समिति गढ़वाल के पत्रांक जनपद 6/निर्माण/88-89 दिनांक 21-9-88 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग पौड़ी से की गयी थी ? यदि हां, तो इस मार्ग पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और कब तक यहां पर पुलिया निर्मित किए जाने की सम्भावना है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली व्यास घाट मोटर मार्ग के 17 वें कि0 मी0 पर स्थित काजवे के स्थान पर पुलिया निर्मित करने की मांग विषयक जनपद विकास समिति गढ़वाल का पत्रांक जनपद/निर्माण/88-89 दिनांक 21-9-88 अधि0 अभियंता, प्रान्तीय खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के कार्यालय के अभिलेखानुसार उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है ।

उल्लेखनीय है कि उक्त मार्ग के कि0 मी0 17 पर स्थित सीमेंट कांक्रीट काजवे पर यातायात सुचारु रूप से चल रहा है । जहां तक उक्त काजवे के स्थान पर पुलिया के निर्माण का प्रश्न है वह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गढ़वाल के धारा झिरना व कोठारी गांवों के टाइगर प्रोजेक्ट से विस्थापित वासियों को नैनीताल में बसाये जाने की योजना

13—श्री भारत सिंह रावत—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद के धारा झिरना व कोठीरों गांवों को टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र से भूमि बदलाव के रूप में जनपद नैनीताल में बसाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो टाईगर प्रोजेक्ट व जनहित में उपरोक्त गांवों को कब तक बसाया जायेगा ?

वन एवं खेलकूद मंत्री (श्री मोहम्मद असलम खां)–

जी हां । इस विषय पर वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति हेतु प्रस्ताव भेजा जाना अपेक्षित है । भारत सरकार की अनुमति मिलने पर इन गांवों को अन्यत्र बसाया जाना सम्भव होगा ।

सगड़ी विधान सभा क्षेत्र, आजमगढ़ में लोक नि0 वि0 द्वारा मार्गों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग

14—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 90 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन मार्गों के निर्माण के लिए जिस वर्ष जितना धन स्वीकृत था धन उपलब्ध होने पर भी उन मार्गों के निर्माण में धन का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? इन स्वीकृत कार्यों को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

स्वीकृत लागत के अन्तर्गत उपलब्ध धनावंटन का पूर्ण उपयोग निर्माण कार्यों पर कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

स्वीकृत कार्यों को पूरा कराया जाना जिला योजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सा0 नि0 सचिव शाखा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संशोधित दर से सचिवालय विशेष वेतन एवं भत्ते का भुगतान

15—श्री रामपाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सा0 नि0 सचिव शाखा में कौन-कौन से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किन-किन तिथियों से कार्यरत हैं ? यह किस सेवा संवर्ग के कर्मचारी हैं ? इन कर्मचारियों को 1-12-1985 से आज तक समय-समय पर संशोधित दर से सचिवालय विशेष वेतन एवं सचिवालय भत्ते का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? सरकार कब तक उक्त भत्ते आदि का भुगतान करवाना सुनिश्चित करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत कोष्ठ में निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने नाम के सामने अंकित तिथियों में कार्यरत हैं :—

कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण की तिथि
1–श्री रामसूरत	जमादार	1963 (उपलब्ध अभिलेखों से इनकी वास्तविक तिथि ज्ञात नहीं हो पायी है)
2–श्री मो0 रईस खां	चपरासी	26-7-1979
3–श्री श्याम लाल	चपरासी	17-10-1981
4–मेही लाल	चपरासी	5-12-1986
5–श्री मुशीर अहमद	चपरासी	21-3-1990

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ में जीप चालक के भी दो नि:संवर्गीय पद हैं । इन पर क्रमश: दिनांक 30-7-85 व 19-12-86 से सर्वश्री मो0 अनीस तथा केदार नाथ तिवारी कार्यरत हैं ।

उक्त 5 कर्मचारी सचिवालय सेवा संवर्ग के हैं ।

उक्त 5 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 1-12-85 से समय-समय पर संशोधित दर से सचिवालय विशेष वेतन एवं सचिवालय भत्ते का भुगतान किया जा रहा है ।

उक्त दो जीप चालकों को सचिवालय भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनके पद नि:संवर्गीय हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ मुख्यालय पर शासन द्वारा डिग्री कालेज खोले जाने का प्रस्ताव

16–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला, तहसील हैदरगढ़ मुख्यालय पर शासन द्वारा डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त प्रस्ताव पर सोशल सर्विसेज इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की बैठक दिनांक 8-12-88 में विचार किया गया था किन्तु बोर्ड ने संस्तुति नहीं की ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक खजनी, ग्राम सभा भैंसा बाजार की मुख्य सड़क के किनारे पक्की नाली बनाये जाने की मांग

17—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, ब्लाक खजनी, ग्राम सभा भैंसा बाजार की मुख्य सड़क जो बारहों महीनों पानी एवं कीचड़ से भरी पड़ी रहती है और लोगों को आने जाने में असुविधा रहती है, सड़क के किनारे पक्की नाली बनवाने का विचार है ? यदि हां, तो यह कब तक बन जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

सड़क लोक निर्माण विभागान्तर्गत है । ऐसी सड़कों पर विभाग द्वारा पक्की नाली बनाये जाने की कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी स्थित बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज पलिया कलां के प्रधानाचार्य श्री राज कुमार दीक्षित के विरुद्ध लगाए गए गम्भीर आरोपों की जांच

18—श्री छोटे लाल—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 दिन सोमवार, दिनांक 22 जून, 1987 को निर्धारित विधायक श्री वीरेन्द्र सोन व श्री अवधेश प्रसाद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1, 3, 4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी स्थित बल्देव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलिया कलां के प्रधानाचार्य श्री राज कुमार दीक्षित के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के मामले में अभी तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ? कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

श्री दीक्षित निलम्बित चल रहे हैं तथा उनकी सेवा समाप्ति का प्रकरण माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के समक्ष विचाराधीन है ।

जनपद गाजीपुर में सूखा राहत योजनान्तर्गत कतिपय मार्गों पर कराये गये मिट्टी के कार्य

19—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में सूखा राहत योजना वर्ष 87-88 मद से लोक निर्माण विभाग द्वारा खेसड़ा—बसनियां मार्ग लम्बाई 6.15 कि0मी0 व दूहमदासपुर पहाड़ीपुर मार्ग लम्बाई 4.70 कि0मी0 व मोहनपुरा कुआंडी मार्ग लम्बाई 2.50 कि0 मी0 व कुन्डेसर—बकसपरा--माढपुर मार्ग लम्बाई 1.50 कि0मी0 पर मिट्टी डालने के कार्य पर कितना-कितना रुपया व्यय किया गया है ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि उपरोक्त सभी मार्गों पर मिट्टी का कार्य पूरा कर देने की रिपोर्ट भेजी गयी है, किन्तु कार्य पूर्ण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों में मिट्टी डालने के कार्य की जांच करायी जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद गाजीपुर में सूखा राहत योजना (87-88 वर्ष) मद में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्न में उल्लिखित मार्गों पर मिट्टी डालने के कार्य पर किये गये व्यय का विवरण निम्नवत् है :—

क्रम सं0 मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	व्यय विवरण (लाख रु0 में)
1–खसड़ा—बसनियां मार्ग	5.750	2,26,257.50
2–ब्रह्मदासपुर–पहाड़ी मार्ग	4.717	2,22,652.00
3–मोहनपुरा—कुवाड़ी मार्ग	1.990	40,411.00
4–कुण्डेसर बक्सपुरा माढ़ूपुर मार्ग	1.215	62,391.60

जी नहीं । केवल ब्रह्मदासपुर पहाड़ीपुर मार्ग को पूरा करने की सूचना भेजी गयी है जो पूर्ण है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

[दि0 18-6-90 को अता0 प्र0 सं0 14 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद अन्तर्गत ग्राम गढ़िया में बाईपास बनाये जाने का प्रस्ताव

21–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 1-2-90 को विकास क्षेत्र जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर के अनेक प्रधानों ने प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को गढ़िया की ग्राम में बाईपास बनवाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

शासन में संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत बाईपास वर्ष 1988-89 की जिला योजना में स्वीकृत किया जा चुका है । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

जनपद मऊ के ब्लाक बड़रांव अन्तर्गत जू0 हा0 स्कूल खनिगह का भवन निर्माण

22–श्री सुबास—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के अन्तर्गत जू0 हा0 स्कूल खनिगह, ब्लाक बड़रांव में सन् 1989 से परिषदीय विद्यालय भवन विहीन चल रहा है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन निर्माण की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय का भवन निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही कराया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद मऊ के वन अधिकारी के विरुद्ध पेड़ों के लगाने में की गयी अनियमितता की शिकायत

23–श्री सुबास–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 अप्रैल, 1990 को प्रश्न-कर्ता ने एक शिकायती पत्र मऊ जनपद के वन अधिकारी द्वारा पेड़ लगाने के कार्य की जांच के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जी हां ।

उक्त पत्र पर वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त-1 को जांच कराने हेतु आदेश हुए । दिनांक 29-5-90 को मा0 विधायक से मऊ की शिकायत के सम्बन्ध में अभिलेख/साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क किया गया । मा0 विधायक ने कहा कि उन्होंने शिकायत जनता से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर की थी तथा उन्हें प्रमाण एकत्रित कराने में कुछ समय लगेगा । उनकी सहमति से जांच की तिथि 11-6-90 रखी गयी । दिनांक 11-6-90 को जांच अधिकारी द्वारा पुनः मा0 विधायक से सम्पर्क किया गया तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मऊ से सम्बन्धित अभिलेख देखे गये । शिकायत में जिस 18,00,000 रुपये का उल्लेख है वह धनराशि प्रभागीय निदेशक, मऊ को जिला विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृति व अवमुक्त की गई है । जो कार्य इस धनराशि से सम्पन्न कराये गये हैं उनका विवरण मा0 विधायक को दे दिया गया । मा0 विधायक की अपेक्षानुसार कुछ क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन भी आदेशित कर दिया गया ।

जनपद मऊ के कोपागंज, घोसी बड़रांव तथा दोहरीघाट आदि ब्लाकों के किसानों को बोरिंग स्कीम के तहत भुगतान

24–श्री सुबास–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के कोपागंज घोसी बड़रांव तथा दोहरी घाट आदि ब्लाकों में पिछले सालों में बोरिंग स्कीम के तहत पूरा का पूरा भुगतान किसानों को दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जांच कराकर शेष धनराशि किसानों को वापस की जायेगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

विकास खण्ड कोपागंज घोसी बड़रावं एवं दोहरीघाट में विगत वर्षों में कुल 2623 बोरिंग की गई जिसमें से 2505 बोरिंग का भुगतान किया जा चुका है । शेष 118 कृषकों के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति

25–श्री सुबास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति पिछले सत्र में की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? अब तक पिछले किस साल के ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है, उनकी संख्या क्या है और कितने प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्ति के लिये शेष हैं?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं।

पिछले सत्र में मऊ जनपद नव सृजित जनपद था । अतः बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की मऊ जनपद की पृथक सूची नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता।

खण्ड विकास अधिकारी, चिनहट जनपद लखनऊ के विरुद्ध श्री गोपाल अलबेला द्वारा की गई शिकायत की जांच

26–श्री सुखवीर सिंह तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-7-89 को श्री गोपाल अलबेला, महामंत्री जन संघर्ष मोर्चा, उ0प्र0 लखनऊ का खंड विकास अधिकारी चिनहट, लखनऊ के विरुद्ध सरकारी धन का दुरुपयोग आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

शिकायतकर्ता के दिनांक 18-7-89 की शिकायत के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ से जांच करायी गयी । शिकायतकर्ता ने शिकायत की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया । अभिलेखों के आधार पर की गयी जांच में शिकायतों की पुष्टि नहीं हो पायी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ एवं मऊ के इण्टरमीडिएट विद्यालयों में प्रबन्ध समितियों विषयक अनिर्णित मामलों को निपटाने की मांग

27–श्री अमर मणि तथा श्री अतीक अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ एवं मऊ जनपद में इण्टर-मीडिएट विद्यालयों में दो या दो से अधिक प्रबन्ध समितियों के होने सम्बन्धी कितने विवाद 31 जनवरी, 1990 तक उप निदेशक शिक्षा गोरखपुर मण्डल के यहां विचाराधीन हैं? उनमें से कितने मामले/विवाद ऐसे हैं जो 6 माह या अधिक से लम्बित हैं? क्या शासन 6 माह से अधिक समय से लम्बित ऐसे सभी मामलों को पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के गुण-अवगुण के आधार पर वर्ष 1990 से पूर्व निर्णित किये जाने हेतु संबंधित उप निदेशक को निर्देशित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

दो विवाद । प्रकरण एक के शीघ्र निस्तारण हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर की गयी पदोन्नति

28–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या लोक नि0 मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जून 1989 में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति में की गयी अनियमितताओं के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 23-12-89 को भेजे गये पत्र में दर्शाये गये बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय विधायक के प्रश्नगत पत्र दिनांक 23-12-89 में दर्शाये गये बिन्दुओं पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से आख्या मांगी गयी, क्योंकि प्रश्न में उल्लिखित प्रोन्नतियां आयोग के परामर्श/संस्तुति पर की गयी थीं । आयोग से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों के परीक्षण से पता चला कि प्रश्नगत पदोन्नतियों में उक्त पत्र दिनांक 23-12-89 में उल्लिखित कथित अनियमितताएं नहीं हुई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रामनगर के झंझरी से छेदा मार्ग पर टूटे कठौलिया पुल को अविलम्ब बनाये जाने की मांग

29–श्री शिव करन सिंह–

क्या लोक नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के वि0 ख0 क्षेत्र राम नगर के झंझरी से छेदा मार्ग पर कठौलिया पुल टूट गया है जिससे छेदा क्षेत्र का सम्पर्क वि0 ख0 एवं तहसील से अलग हो गया है? क्या उक्त स्थल पर सरकार तत्काल दूसरा पुल बनवाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत पुल जो जिला परिषद् के कच्चे मार्ग पर स्थित है, क्षतिग्रस्त है ।

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों एवं वरीयता सूची में न होने के कारण इसका निर्माण कराया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है । प्रश्नगत पुल का निर्माण भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज क्षेत्र में सुमली नदी पर सरसवां घाट, चिरैयाघाट तथा गंगापुर घाटों पर पुल निर्माण का प्रस्ताव

30–श्री शिव करन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र राम नगर बाराबंकी के वि0 खं0 सूरतगंज क्षेत्र में सुमली नदी पर सरसवां घाट, चिरैया घाट, गंगापुर घाटों पर नये पुल बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त स्थानों पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

राजकीय बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर को झांसी से बरुआ सागर में स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्या

31–श्री रवीन्द्र शुक्ला–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर को झांसी शहर से बरुआसागर जैसे छोटे कस्बे में स्थानान्तरित करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उसे झांसी में ही रोकने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां । बरुआसागर में तुलनात्मक दृष्टि से उपयुक्त भौतिक सुविधायें उपलब्ध होने के कारण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को खोलने का निर्णय लिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद वाराणसी के नौगढ़ एवं [illegible] क्षेत्रों में लगायी गयी बांस की कोठियां

32–श्री उदल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ क्षेत्र व चकिया जिला वाराणसी में हजारों एकड़ बांस लगाया गया था, जिस पर लाखों रुपये सन् 65 से लेकर 80 तक खर्च किया गया था? क्या यह सही है कि वहां अब बांस के पेड़ या कोठी नहीं लगे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जी हां।

जी नहीं । अभी भी इस क्षेत्र में बांस की कोठियां लगी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/कर्मचारी, उन्नाव द्वारा कार्यरत कतिपय बेसिक शिक्षकों के जीवन बीमें की रकम हड़पने की शिकायत

33–श्री उदल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जीवन बीमा निगम द्वारा परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना के प्रारम्भिक वर्ष 73 से 31-3-89 तक जो भुगतान बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्रांक/लेखा/3803-13/1989, दिनांक 30-12-89 के अन्तर्गत उप विद्यालय निरीक्षक तथा नगर शिक्षा अधीक्षक को भेजा है, उसमें से तीन जीवित अध्यापकों जो अब भी कार्यरत हैं, का धन उन्हें मृतक व सेवा निवृत्त दिखाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा कर्मचारी, उन्नाव ने हड़प लिया है? यदि हां, तो क्या उसकी जांच सरकार करायेगी?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

अभी तक ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है ।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 नरेन्द्र दत्त पसबोला भू0 पू0 प्रचार अधिकारी, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद के अवशेष देयों के भुगतान की मांग

34–श्री जयराज गौतम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय नरेन्द्र दत्त पसबोला, प्रचार अधिकारी, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद जिनकी मृत्यु सेवाकाल में 5 अप्रैल, 1989 को हो गई थी, की विधवा श्रीमती विजया पसबोला को उनके समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि श्री पसबोला के वेतन पुनरीक्षण का प्रकरण अभी तक निस्तारित नहीं किया गया? यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ? उक्त प्रकरण का निस्तारण कब तक करके भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

पारिवारिक पेंशन को छोड़कर अन्य सभी देयों का भुगतान किया जा चुका है। श्री पसबोला के अनानुमोदित होने के कारण उन्हें पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा सकी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, ब्लाक नरैनी के ग्राम प्रधान ग्राम परसहर के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत

35–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-3-90 का पत्र श्री राम सनेही परसहर ब्लाक नरैनी जनपद बांदा के पत्र के साथ ग्राम प्रधान की अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या पत्र की जांच जनपद स्तर के किसी अधिकारी से करायी गयी? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

जी हां जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गौरी शंकर निवासी ग्राम कबरे का पुरवा ग्राम सभा खानपुर ब्लाक महुआ, जनपद बांदा द्वारा निजी नलकूप लगाने हेतु रिग्स मशीन की मांग

36–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7-3-1990 के पत्र के साथ श्री गौरी शंकर ग्राम कबरे का पुरवा ग्राम सभा खानपुर ब्लाक महुआ जनपद-बांदा का पत्र निजी बोरिंग हेतु रिग्स मशीन उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो नियमानुसार असिंचित क्षेत्र का ध्यान रखते हुए कब तक बोरिंग कराने के लिए रिग्स मशीन उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

प्रश्नगत कृषक का बोरिंग स्थल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपयुक्त नहीं पाया गया । अस्तु बोरिंग हेतु रिग्स मशीन उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में आमी नदी पर छाबहा घाट, जरलही घाट एवं भैंसा रानी के पास तरैना नदी पर पुल बनाये जाने की योजना

37–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जनपद में बांसगांव के पास घोबहा घाट, कस्बा, संग्रामपुर (उनबल) के पास जरलही घाट पर आमी नदी पर तथा भैंसा रानी के पास तरैना नदी पर पक्का पुल बनाने की योजना सरकार की है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्नगत पुलों का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा वरीयता सूची में स्थान पर निर्भर करेगा ।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर ब्लाक मऊ बंगरा एवं गुरू सराय गंज के विद्यालय विहीन ग्रामों में प्राइमरी पाठशालायें खोले जाने की मांग

38–श्री प्रागीलाल अहिरवार–

क्या शिक्षा मंत्री जी को जानकारी है कि जिला झांसी विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर ब्लाक मऊ बंगरा, गुरसरांय के कितने ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला न होने के कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है ? क्या उन ग्रामों में सरकार प्राइमरी पाठशाला खोलकर शिक्षा की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

14 ग्रामों में प्राइमरी पाठशालाएं नहीं हैं ।

इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जिला शिक्षा सलाहकार समिति को ही है ।

जनपद बलिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति

39–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में उनके कार्यालय से प्रेषित पत्रांक-3540/ई एम/90/बी0 आई0 पी0 दिनांक 29-3-90 जो सचिव द्वितीय, शिक्षा विभाग को भेजा गया है, पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

बलिया जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है । प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में कार्यरत सचल दल को देय पारिश्रमिक

40–श्री अमर नाथ यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में कार्यरत सचल दल को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पारिश्रमिक देय है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि वर्तमान नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

41–श्री सुन्दर लाल (बारबंकी)—

[4थे सोम के लिए स्थगित]

42–श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी—

[दि0 15-6-90 को अता0 प्र0 सं0 138 द्वारा उत्तरित]

श्री नन्दराम (अनुसूचित जाति) को लेखाकार के पद पर नियुक्त न करने का औचित्य

43–श्री मीर मजहर अली–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम सोमवार को श्री रामचन्द्र बख्श सिंह द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या–43 के उत्तर के संदर्भ में क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखाकार पद हेतु क्या पात्रता निर्धारित है और श्री नन्द राम (अनुसूचित जाति) की प्रत्यावेदन की तिथि को क्या पत्रता (अर्हता) थी ? क्या यह सही है कि प्रत्यावेदन की तिथि को श्री नन्द राम सभी अर्हताएं पूरी करते थे ? यदि हां, तो गलत उत्तर देने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

लेखाकार के पद हेतु सीधी भर्ती के लिए एम0 काम0 शैक्षिक योग्यता निर्धारित है, और पदोन्नति से भरने हेतु सहायक लेखाकार के पद पर 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा व बी0 काम0 शैक्षिक योग्यता निर्धारित है ।

लेखाकार पद हेतु 10 वर्ष का अनुभव न होने के कारण यह पात्रता की सीमा में नहीं आते थे । किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर के ब्लाक मडावरा के ग्राम डोगरा, पटना से दिदौनिया मदनपुर जिला परिषद् मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

44–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के ब्लाक मडावरा के ग्राम डोगरा पटना से दिदौनिया मदनपुर, जिला-परिषद् मार्ग को बनाया जायेगा

जिससे कि बदनपुर से नारहट का सीधा सम्पर्क हो सके ? क्या उक्त मार्ग का मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है ? क्या सरकार इस मार्ग को पक्का कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मार्ग की कुल लम्बाई 18 किलो मीटर है ; ग्राम डोगरा से पटना तक 4.350 किलोमीटर लम्बाई में खड़न्जा स्तर की सड़क है । शेष मार्ग में असमतल लम्बाई को छोड़कर मिट्टी का कुछ कार्य हुआ है ।

जिला परिषद् ललितपुर की आर्थिक स्थिति विपन्न होने के कारण मार्ग को पक्का कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद गाजियाबाद, तहसील-हापुड़ के ग्राम सभा सादिकपुर इमटौरी से ग्राम इमटौरी को अलग ग्राम सभा बनाये जाने का प्रस्ताव

45—श्री गजराज सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा सादिकपुर इमटौरी से ग्राम इमटौरी (तहसील-हापुड़ जिला गाजियाबाद) को पृथक ग्राम सभा का दर्जा दिलाये जाने हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, गाजियाबाद के माध्यम से उनके पत्र सं0-849, दिनांक 7 मई, 1989 द्वारा पंचायत निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

प्रदेश में जनगणना का कार्य चलने के फलस्वरूप नई ग्राम सभाओं का गठन, विघटन, तथा विभाजन जून 1991 तक स्थगित रखे जाने के शासकीय निर्णय के कारण ग्राम सभा सादिकपुर इमटौरी से ग्राम इमटौरी (तहसील हापुड़ जिला गाजियाबाद) को पृथक गांव सभा का दर्जा दिलाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

जनपद मऊ के ब्लाक रतनपुरान्तर्गत कतिपय सड़कों एवं पुलों के निर्माण की कार्यवाही

46—श्री रामवचन धुसिया—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ में रतनपुरा ब्लाक के सड़क व पुल निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-1-90 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण स्वीकृति देना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

47—श्री राम बचन धुसिया—

[दिनांक 21-6-90 को अता0 प्र0 सं0-161 द्वारा उत्तरित]

कालागढ़ वन प्रभाग में कार्यरत वन श्रमिक संविदा सहकारी समितियों की जमानतें एवं उनके रिबेट की धनराशि वापस करने की मांग

48—श्री भारत सिंह रावत—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालागढ़ वन प्रभाग में कार्यरत सन् 1978-79 व 80 में वन श्रमिक संविदा सहकारी समितियों की जमानतें व 15 प्रतिशत रिबेट की धनराशि सहकारी समितियों के बार-बार प्रार्थना करने पर अभी तक नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों और वन श्रमिक संविदा सहकारी समितियों को यह धनराशि कब तक दे दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

कालागढ़ वन प्रभाग में वर्ष 1978–79 में विभिन्न सहकारी समितियों की लाट संख्या–14, 16, 32, 101, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124 तथा 136 का आवंटन किया गया था ।

उक्त में से लाट संख्या–16, 110, 111, 120, 124 तथा 136 से सम्बन्धित समितियों को विक्रय मूल्य में 15 प्रतिशत रिबेट देते हुये अन्तिम मूल्य निर्धारण के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं । लाट संख्या–14 तथा 121 को लेने वाली सहकारी समितियां, शासनादेश संख्या–9406/14-2-349/76, दिनांक 30-11-77 में निर्धारित मापदण्ड पूरा नहीं करती थी, अतः उन्हें रिबेट का लाभ प्रदान नहीं किया गया । लाट संख्या-101 से सम्बन्धित समिति ने कार्य नहीं किया । लाट संख्या-32, 122 तथा 123 के विक्रय मूल्य में रिबेट का लाभ देने का निर्णय अन्तिम रूप से तय नहीं हुआ है । निर्णय होने के उपरान्त ही लाटों से सम्बन्धित रिबेट व जमानत का समायोजन अथवा वापसी सुनिश्चित हो पायेगी ।

जनपद कानपुर देहात के घाटमपुर जिला परिषदीय पशु मेले में कर अधिकारी श्री भीकम सिंह द्वारा की गयी कथित अनियमितता

49—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि घाटमपुर कानपुर देहात के जिला परिषदीय पशु मेला जून, 1987 ई0 में श्री भीकम सिंह कर अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री रामपाल सचान भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख का पत्र दिनांकित 20-6-88 तत्कालीन पंचायती राज मंत्री को प्राप्त हुआ, जिसकी जांच मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर से करायी गयी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुयी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां । मुख्य विकास अधिकारी कानपुर द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त संबंधित परिषदीय अधिकारी को वर्ष 1987–88 के अनियमित कृत के लिए विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची

50—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उसमें पदोन्नति प्राप्त सहायक अभियन्ताओं का नाम भी सम्मिलित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गयी है उनमें पदोन्नति प्राप्त सहायक अभियंताओं के नाम सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि अभी इनके विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई है ज्येष्ठता सूची में इनके लिए स्थान रिक्त रखे गये हैं ।

जियानपुर-मोहम्मदाबाद गोहना मार्ग को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग

51—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जियनपुर मोहम्मदाबाद मोहना मार्ग का कितना निर्माण 31 मार्च, 1990 को शेष रह गया है ? इसका क्या कारण है तथा इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

31 मार्च 1990 को जियनपुर मोहम्मदाबाद गोहना मार्ग का 1.96 कि0 मी0 भाग लेपन स्तर तक का निर्माण शेष रह गया है । उक्त शेष भाग का निर्माण भूमि उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सका । भूमि उपलब्ध होने पर ही निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव होगा ।

जनपद बलिया में भरौली से टुटुआरी होकर चितबड़ा गांव तक के निर्माणाधीन सड़क को पूर्ण कराने सम्बन्धी प्रस्ताव

52—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में भरोली से टुटुआरी होकर चितबड़ा गांव तक निर्माणाधीन सड़क पर मिट्टी फेंकने का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो सड़क पर कहां तक मिट्टी फेंकी गयी है और कहां तक कंकड़ (पत्थर) फेंका गया है ? क्या भरौली और बघौना के बीच सड़क पर मिट्टी फेंकने का कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्ग पर मिट्टी का कार्य 11.85 कि0 मी0 में तथा सोलिंग (पत्थर/ईंट) 9.95 कि0 मी0 में किया गया । इन्टर कोट 2.80 कि0 मी0 में, टाप कोट 2.00 कि0 मी0 में तथा लेपन कार्य 2.00 कि0 मी0 किया गया है ।

भरौली टुटवारी मार्ग के कि0 मी0 1 में बघौना ग्राम के समीप लगभग 100 मीटर लम्बाई में भूमि अवरोध के कारण मार्ग निर्माण कार्य अवरुद्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में भागलपुर पुल के एप्रोच पर की गयी बोल्डर आपूर्ति के भुगतान की कार्यवाही

53–श्री रामपाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह मालूम है कि जनपद देवरिया में भागलपुर पुल के एप्रोच पर बोल्डर की आपूर्ति के समय अनुबंध के अनुसार लगभग एक वर्ष पहले पूर्ण हो जाने के बाद भी उसका अंतिम माप व भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पूर्ण हुए कार्यों की अन्तिम माप ली जा चुकी है । आवंटित धन की कमी के कारण भुगतान नहीं किया जा सका ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री सी0 डी0 राय के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत

54–श्री हरवंश सहाय–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सी0 डी0 राय, सहायक अभियन्ता लो0 नि0 वि0 देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती–पत्र दिनांक 1-1-1990 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतों पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

शिकायतों की जांच अधीक्षण अभियंता 59वां वृत्त लोक निर्माण विभाग गोरखपुर द्वारा की जा चुकी है तथा जांच आख्या प्रमुख अभियंता लो0 नि0 वि0 के स्तर पर परीक्षणाधीन है ।

प्रदेश में सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों की नियुक्ति बन्द होने के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ द्वारा की गयी अनियमित नियुक्ति की जांच

55–श्री फकीरे लाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों के पद को मृत संवर्ग घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा सहाय सिंह बालिका विद्यालय नरही, लखनऊ में जनवरी, फरवरी

90 में सी0 टी0 ग्रेड में अध्यापिकाओं की नियुक्ति किए जाने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी उक्त नियुक्तियों के प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

शिक्षा निदेशक को पूरे प्रकरण की जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद प्रतापगढ़ की सदर तहसील के हंसी गांव में बकुलाही नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

56–श्री संगम लाल शुक्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1984 में प्रतापगढ़ जनपद की सदर तहसील के हंसी गांव में बकुलाही नदी पर तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने पुल का शिलान्यास किया था ? अब पुल का निर्माण कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

जनपद प्रतापगढ़ में मान्धाता हंसी कटरा गुलाब सिंह मार्ग पर बकुलाही नदी पर पुल के समीप सिंचाई विभाग द्वारा नदी के लूप (घुमाव) को सीधा किये जाने की योजना के कारण अब प्रश्नगत स्थल पर दीर्घ सेतु के स्थान पर एक लघु सेतु की आवश्यकता होगी। इस सेतु के निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया जाना उसकी स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद कानपुर देहात के निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर में बनायी गयी सड़कों का ब्यौरा

57–श्री मोतीलाल देहलवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर देहात क्षेत्र बिल्हौर में वर्ष 1987 से वर्ष 1989 के मध्य कौन-कौन सड़कें पक्की डामर की बनायी गयीं और ये सड़कें शासन द्वारा किस वर्ष स्वीकृति हुई थीं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद कानपुर देहात निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1987-89 के मध्य रसूलाबाद-विसधन मार्ग की 3 कि0 मी0 लम्बाई पक्की डामर की बनायी गयी है जिसकी स्वीकृति जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988 में प्रदान की गयी थी । उक्त के अतिरिक्त अरौल-मकनपुर मार्ग पर ईसन नदी पर तथा बिल्हौर-मकनपुर मार्ग के कि0मी0–4 एवं 8 में निर्मित सेतुओं के पहुंच मार्ग भी उक्त अवधि के मध्य लेपन स्तर तक पूरे किये गये जो क्रमशः वर्ष 1984-85 तथा 1986-87 में स्वीकृत हुये थे ।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कथित विकास शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध ज्ञापन

58–श्री राजधारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में विकास शुल्क के रूप में प्राथमिक छात्रों से शुल्क लेने का जो आदेश निर्गत किया था क्या सरकार उसे समाप्त करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

विकास शुल्क लिये जाने का कोई आदेश जारी नही किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी के दुधवा नेशनल पार्क पर लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने की मांग

59–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुधवा लखीमपुर खीरी पर लगे बैरियर के प्रतिबन्धों को समाप्त किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-12-89 शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्रोंलिखित मामले में अपेक्षित कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो कब व क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जी हां ।

दुधवा पार्क में बैरियर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35(8) के अन्तर्गत वन्य जीवों एवं वन उपज की सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है । दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बैरियर लगाना केवल प्रशासनिक ही नहीं बल्कि कानूनी दृष्टि से भी आवश्यक है, अतः इसे समाप्त किया जाना सम्भव नहीं है । यह बैरियर सूर्योदय से सूर्यास्त तक आवागमन हेतु खुला रहता है जहां वाहनों की आवश्यक जांचोपरान्त आवागमन की अनुमति दी जाती है । इसके अतिरिक्त, यदि किसी विशेष स्थिति में सूर्यास्त के बाद भी इस बैरियर से होकर जाना होता है तो आवश्यक पूछताछ के बाद जाने की अनुमति दे दी जाती है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा इटावा में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत की गयी बास्केट आपूर्ति

60–श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा इटावा में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 88-89 में बास्केट की आपूर्ति ली गयी थी ? यदि हां, तो सेन्ट्रल स्टोर एवं किस कार्य पर कितनी बास्केट की आपूर्ति ली गयी है ? क्रय की गयी बास्केट कहां प्रयोग की गयी है ? क्या सेन्ट्रल स्टोर पर आपूर्ति लेने के बाद सीधे कार्यों पर भी आपूर्ति लेना वैधानिक है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

सेन्ट्रल स्टोर में 3500 तथा सीधे विभिन्न कार्यों पर 2100 बास्केट की आपूर्ति ली गयी । क्रय की गई बास्केटों का प्रयोग आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यों पर किया गया। कार्यहित में कार्यों पर आपूर्ति लेना अवैधानिक नहीं है ।

61–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

[दि0 18-6-90 को अता0 प्र0 सं0 142 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में तिवारीपुर-नन्सा बाजार मार्ग पर ग्राम मिझौड़ा में मड़हा (तमसा) नदी पर बन रहे अधूरे पुल को पूर्ण कराये जाने की मांग

62—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में तिवारीपुर-नन्सा बाजार मार्ग पर ग्राम मिझौड़ा में मड़हा (तमसा) नदी पर सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन पक्का पुल का निर्माण कार्य जून 90 तक पूरा कर दिए जाने का लक्ष्य था और पुल के शिलान्यास के समय तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा इस आशय की सार्वजनिक घोषणा भी की गयी थी? क्या यह सही है कि आवश्यक धन के अभाव में और मौके पर तैनात अधिकारियों की लापरवाही से कार्य की प्रगति काफी असन्तोषजनक और मन्द है? यदि हां, तो क्या आवश्यक धन को आवंटित और अवमुक्त करके तथा वर्तमान अवर अभियन्ता को स्थानान्तरित करके उक्त पुल का निर्माण कार्य जून 90 तक पूरा कराया जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

कार्य की प्रगति धनाभाव के कारण धीमी है। उक्त हेतु संबंधित अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत पुल हेतु अतिरिक्त धनावंटन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। वर्तमान प्रगति को देखते हुए पुल का निर्माण जून 90 तक पूर्ण करना सम्भव नहीं है।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित गोहनियां अकबरपुर अधूरे मार्ग को अविलम्ब पक्का कराये जाने की मांग

63—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित गोहनियां-अकबरपुर मार्ग का चार किलोमीटर खड़न्जा से लेपन स्तर तक पक्का किया जाना जिला योजना में स्वीकृत है और उसके लिए लगभग एक वर्ष पहिले पूरा धन अस्थायी निर्माण खंड—2 लोक निर्माण विभाग फैजाबाद को आवंटित किया जा चुका है लेकिन विभाग में व्याप्त लापरवाही के कारण अभी तक कार्य शुरू नहीं कराया जा सका? उक्त कार्य कब तक लेपन स्तर तक पूरा करा दिये जाने का लक्ष्य था? उसमें अनावश्यक विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करने और इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने में सरकार को क्या कठिनाई है तथा यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित गोहनिया-अकबरपुर मार्ग का चार कि0 मी0 भाग बन्दनपुर से अमसिन तक जिला योजना में खड़ंजा से लेपन हेतु 11 लाख की लागत पर स्वीकृत है। उक्त स्वीकृति के समक्ष वर्ष 1989-90 में 0.60 लाख रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 4.00 लाख रु0 का आवंटन प्राप्त है।

जी नहीं। निर्माण कार्य चालू है जिसे जून 1991 तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी को दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खंड मगरौरा के कतिपय ग्राम सभाओं एवं भूमि प्रबंधक समिति के चुनाव कराये जाने की मांग

64—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड मगरौरा जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कौन-कौन सी ऐसी ग्राम सभायें हैं जिनके प्रधानों को भूमि प्रबन्धक समिति सहित बर्खास्त किए 31 मार्च, 1990 को एक साल से ज्यादा हो गया है? सरकार ऐसे गांव सभाओं में प्रधान व भूमि प्रबन्धक समिति का चुनाव कब तक करा देगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के अन्तर्गत ऐसी कोई गांव सभा नहीं है जिसके प्रधान को भूमि प्रबन्धक समिति सहित बर्खास्त किए हुए 31-3-1990 को एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक महुआ अन्तर्गत हुसैनपुर से रायपुर कोलावल सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

65—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-3-90 का पत्र श्री बद्री प्रसाद प्रधान ग्राम रायपुर कोलावल ब्लाक महुवा जनपद बांदा के पत्र के साथ पक्का सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र में लिखित सम्पर्क मार्ग का प्राक्कलन क्या है? क्या पिछड़े तथा दस्यु प्रभावित क्षेत्र को ध्यान में रखकर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

हुसैनपुर से रायपुर कोलावल सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक बनवाने हेतु 40.00 लाख रु0 का व्यय अनुमानित है। प्रश्नगत मार्ग दस्यु प्रभावित योजना के अन्तर्गत नहीं आता है अपितु कार्य जिला सेक्टर योजना का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

66—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

[2रे बुध में अता0 प्र0 सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा की प्रधानाचार्या के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत एवं उसकी जांच की मांग

67—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-3-90 का पत्र बांदा जनपद के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अतर्रा (बांदा) के प्रभारी प्रधान अध्यापिका की अनियमितताओं के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन के किस उच्च अधिकारी ने उसकी जांच की तथा जांच में दोषी पाये गये प्रधान अध्यापिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां।

मामले में शिक्षा निदेशक को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जूनियर हाईस्कूल बरेही, नेवादा ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी को स्थायी मान्यता प्रदान करने की मांग

68–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जू0 हाई0 स्कूल बरेही, नेवादा ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी में 27-7-88 को स्थायी मान्यता के लिए प्रार्थना-पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी को दिया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्रांक शिविर/5368-516/89-90 दिनांक 12-12-1989 के द्वारा प्रबन्धक बरही नेवादा जू0 हाई स्कूल नेवादा वाराणसी को 30-4-90 तक स्थायी मान्यता के लिए कागजात उपलब्ध कराने के लिए लिखा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करेगी और स्थायी मान्यता के लिए जो कागजात दिनांक 27-7-88 को दिए जा चुके हैं उनके आधार पर स्थायी मान्यता देने का आदेश देगी?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां।

जी हां।

स्थायी मान्यता के नियमों में संशोधन विचाराधीन है। संशोधन हो जाने के उपरान्त ही स्थायी मान्यता के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश वन निगम, द्वारा दक्षिणी वृत्त, इलाहाबाद में वर्ष 85 से 89 के बीच खोले गये डिपो

69–श्री ऊदल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम उत्तर प्रदेश द्वारा दक्षिणी वृत्त इलाहाबाद में सन् 85 से दिसम्बर 89 तक कितने बिक्री डिपो कहां-कहां खोले गये? उक्त डिपो से कितने रुपये का व्यापार किया गया तथा उसमें वर्षवार हुयी लाभ-हानि का विवरण क्या है?

श्री मोहम्मद असलम खां–

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा जनवरी, 1985 से दिसम्बर, 1989 तक की अवधि में दक्षिणी वृत्त, इलाहाबाद के अन्तर्गत इलाहाबाद तथा वाराणसी नगर में एक-एक

बिक्री डिपो स्थापित किया गया। उक्त दोनों डिपो द्वारा प्रश्नगत अवधि में कुल रुपये 55,34,967.02 का व्यापार किया गया है। इन डिपो में हुए लाभ (+) हानि (–) का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	इलाहाबाद डिपो (धनराशि रु0 में)	मणिकर्णिका घाट डिपो (वाराणसी) (धनराशि रु0 में)
1985-86	5706.94 (+)	–
1986-87	544597.10 (+)	16808.64 (–)
1987-88	293927.71 (+)	(–)
1988-89	428256.39 (+)	(–)
1-4-89 से 31-12-89 तक	34597.95 (+)	68840.00 (–)
योग :–	13,07.086.59(+)	85,648.64 (–)

जनपद अलीगढ़ में नवाब सिंह ग्रामोदय इण्टर कालेज कासिमपुर पावर हाउस के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत एवं उसकी जांच

70–श्री कल्यान सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवाब सिंह चौहान ग्रामोदय इण्टर कालेज, कासिमपुर पावर हाउस जिला अलीगढ़ में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-2-90 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

दिनांक 24.2.90 का पत्र प्राप्त हुआ है।

शिक्षा निदेशक को जांच करने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के महरौनी विधान सभा क्षेत्र में एक डिग्री कालेज खोले जाने की जानकारी

71–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री ललितपुर जनपद के महरौनी विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा हेतु कोई डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं ।

शैक्षिक औचित्य नहीं है।

जनपद ललितपुर के ब्लाक विरधा के बगरिया से पाली मार्ग से ग्राम ठवारी पड़ना, मामदा डोगर कलां मार्ग को पक्का बनाये जाने की मांग

72—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के ब्लाक विरधा के बगरिया से पाली मार्ग से ग्राम ठवारी पड़ना, मामदा होता हुआ डोगरा कलां पक्का मार्ग बनाने का शासन का कोई विचार है जिससे कि वहां का सम्पर्क जिला के मुख्यालय से हो सके एवं पिछड़ापन दूर किया जा सके? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक बनाया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद ललितपुर के ब्लाक बार के ग्राम पुरा पाचौनी को जोड़ने वाले लिंक मार्ग को पूर्ण कराये जाने की मांग

73—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के ब्लाक बार के ग्राम पुरा पाचौनी को जोड़ने वाले लिंक मार्ग को पूर्ण कराया जावेगा? यदि हां, तो उक्त लिंक मार्ग को कब तक पूर्ण कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर में भवनहीन जूनियर हाईस्कूलों के भवन बनाये जाने का प्रस्ताव

74—श्री प्रागी लाल अहिरवार—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला झांसी के विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर में कितने जूनियर हाई स्कूल कितने ग्रामों में भवनहीन चल रहे हैं ? क्या भवनहीन विद्यालयों के लिए सरकार भवन बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

14 ग्रामों के 14 जूनियर हाईस्कूल भवनहीन हैं।

वर्ष 1990-91 में 5 जूनियर हाईस्कूल भवनों के निर्माण का लक्ष्य है। शेष विद्यालयों के भवनों का निर्माण जिला योजना में प्राविधान किये जाने पर ही सम्भव होगा।

75—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[4थे सोम के लिये स्थगित]

जनपद आजमगढ़ के गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालटरी में प्राचार्य की नियुक्ति में की गयी अनियमितता की शिकायत एवं उसकी जांच की मांग

76–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मालटरी, आजमगढ़ में प्राचार्य पद पर नियुक्ति में अनियमितता से संबंधित जन-प्रतिनिधियों की शिकायतें वर्ष 88-89 में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा इनकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी है ? जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

प्रमुख शिकायतें निम्नलिखित हैं :–

1–प्राचार्य श्री कुबेर मिश्र अपने को 2 जुलाई, 1968 से ही हिन्दी प्रवक्ता के रूप में दिखाते हैं जबकि 31-3-69 तक वे गांधी इण्टर कालेज, मालटरी में प्रधानाचार्य रहे और प्रधानाचार्य के रूप में वेतन लेते रहे । इस तरह वे या तो दो जगह से वेतन लेने के दोषी हैं या वे अगस्त 1971 में प्राचार्य पद के लिए 3 वर्ष का अनुभव पूरा नहीं करते थे क्योंकि मार्च, 1969 तक वे इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रहे हैं ।

2–प्राचार्य के रूप में श्री कुबेर मिश्र का विधिवत् चयन अगस्त 1971 में किया गया लेकिन उन्होंने प्राचार्य के रूप में वेतन वृद्धि (1973 के वेतन निर्धारण में) जुलाई 1970 से ली है । इस प्रकार उन्होंने जानबूझ कर न्यूनतम योग्यता के बिना तथ्यों को छिपाकर अपना चयन करा लिया है और समय से पूर्व ही वेतन वृद्धि ले ली है ।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर से जांच करायी गयी :–

1–श्री कुबेर मिश्र ने इण्टर में प्राचार्य पद पर कार्य करते हुये प्रश्नगत डिग्री कालेज में कुलपति के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 22-7-68 से प्रवक्ता हिन्दी के रूप में कार्य किया है । प्रबन्धक से प्राप्त सूचनानुसार श्री मिश्र ने वेतन इण्टर कालेज से ही दिनांक 31-3-69 तक प्राप्त किया था ।

2–जांचोपरान्त विदित हुआ है कि श्री मिश्र 1-1-69 से प्रशासनिक तथा 1-7-69 से प्रत्येक वर्ष में अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत डिग्री कालेज के प्राचार्य के रूप में न्यूनतम अपेक्षित अर्हता के अभाव में भी कुलपति से अनुमोदित होकर सेवारत रहे ।

3–चयन समिति के अनुसार श्री मिश्र ने प्राचार्य पद के लिये निर्धारित न्यूनतम शिक्षण/अनुभव दिनांक 21-7-71 को पूर्ण कर लिया था । इसे मान्य करते हुये कुलपति ने श्री मिश्र के प्राचार्य पद पर चयन को नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया है । इसके पूर्व यह तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव नहीं रखते थे । अतः इसके पूर्व प्राचार्य पद पर इनकी नियुक्ति विधिमान्य नहीं थी ।

दिनांक 8-8-71 से नियमित नियुक्ति मानकर 1973 के वेतनमान में इनका वेतन निर्धारण संशोधित करते हुये अधिक भुगतान की गई धनराशि को समायोजित करने हेतु निदेशालय द्वारा महाविद्यालय को आदेशित कर दिया गया है ।

जनपद मेरठ के ग्राम थैथला में यमुना नदी पर प्रस्तावित पुल का नाम न बदले जाने की मांग

77–श्री साहब सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि मेरठ जनपद के ग्राम नैथला में यमुना नदी पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह ने श्यामल सेतु पुल का 78-79 में शिलान्यास किया था परन्तु बाद में पुल का नाम बदल दिया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शिलान्यास का पत्थर लगवाने तथा पुल का नाम श्यामल पुल ही रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । शिलान्यास हुआ था किन्तु सेतु का नाम श्यामल सेतु न होकर शाहमल सेतु था ।

जी नहीं,

किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद मेरठ में धार्मिक स्थल पुरा महादेव के पास हिन्डन नदी पर पुल बनाये जाने के प्रस्ताव की जानकारी

78–श्री साहब सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री मेरठ जनपद के प्राचीन महत्व के धार्मिक स्थल पूरा महादेव के पास तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु हिण्डन नदी पर पुल का निर्माण करायेंगे? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज में स्थित इण्टर कालेज सिकरा मिताही को मिले अनुदान का गलत उपयोग के विरुद्ध शिकायत

79–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टर कालेज सिकरा मिताही त0 डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर को गत तीन वर्षों में किन-किन मदों में कितने रुपये का अनुदान शासन से प्रदान किया गया ? क्या अनुदान की धनराशि निर्धारित मद में व्यय की गयी है ? यदि हां, तो क्या कुल धनराशि विभिन्न मदों में व्यय हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रश्नगत विद्यालय को गत तीन वर्षों में निम्नवत अनुदान स्वीकृत हुआ:–

(1)–वर्ष 1987-88 में मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से रु0 50,000/-

(2)–वर्ष 1988-89 में कोई नहीं ।

(3)–वर्ष 1989-90 में साज सज्जा हेतु रु0 6,300/-

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नीलामी नियमों का उल्लंघन एवं उसके फलस्वरूप राजस्व की हानि

80—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1988—89 के लिए जनपद लखीमपुर खीरी में सम्पन्न हुए शराब की नीलामी में तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी ने फर्जी सालवेन्सी के आधार पर एक आदमी को शराब का ठेका दिया और उसे अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर रियायतें दीं जिसके फलस्वरूप अब तक सरकार को लगभग तीन करोड़ रुपए की राजस्व की क्षति हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिला आबकारी अधिकारी को निलम्बित कर उससे धन वसूलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वर्ष 1988-89 में जनपद लखीमपुर खीरी के दो ग्रुपों की देशी शराब की दुकान की नीलामी एक फर्जी व्यक्ति को उसके फर्जी हैसियत प्रमाण-पत्र के आधार पर दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके फलस्वरूप कुल 54.39 लाख रु0 आबकारी राजस्व का बकाया पड़ गया । सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । थाना कोतवाली, लखीमपुर खीरी में मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है । इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जौनपुर की शराब नीलामी को निरस्त कराने के कथित दोषी को आबकारी निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

81—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1988-89 के लिए जौनपुर जनपद की शराब की नीलामी में ठेकेदारों से मिलकर नीलामी को बेकर करने एवं सरकारी राजस्व की क्षति कराने के लिए दो आबकारी निरीक्षकों को दोषी ठहराते हुए तत्कालीन डी0 एम0 ने इन दोनों निरीक्षकों को दण्डित करने के लिए आबकारी आयुक्त को लिखा था ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है तथा उन दोनों निरीक्षकों को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जौनपुर के वर्ष 1988-89 के नीलाम के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जौनपुर ने आबकारी आयुक्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें संबंधित आबकारी निरीक्षकों के विरुद्ध मुख्य रूप से ठेकेदारों से सांठ-गांठ करने, नीलाम को कम स्तर पर अन्तिम कराने तथा इस प्रकार राजस्व की क्षति करने के आरोप लगाये गये थे । पूर्ण तथ्यों के परीक्षणोपरान्त दोनों आबकारी निरीक्षकों को इस सम्बन्ध में दोषी नहीं पाया गया था, अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी ।

82—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[दि0 22-6-90 को अता0 प्र0 सं0 167 द्वारा उत्तरित]

कुमाऊं मण्डल के जिलों में कार्यरत कतिपय सहायक, अधिशासी एवं अधीक्षण अभियन्ताओं के विरुद्ध चल रही जांच की जानकारी

83–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं मण्डल में कार्यरत (तीनों जिलों के) लोक निर्माण विभाग के किन-किन अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय एवं अन्य भ्रष्टाचार से संबंधित जांच चल रही है? इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत मण्डल के जनपदों में कार्यरत किसी भी अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय एवं अन्य भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जांच नहीं चल रही है। उक्त मण्डल में कार्यरत निम्नलिखित 8 अधिशासी अभियन्ताओं एवं 4 सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध विभागीय एवं अन्य जांच चल रही है:–

अधिशासी अभियन्ता :–

(1) श्री सुरेश चन्द्र त्यागी
(2) श्री इलम चन्द्र
(3) श्री एम0 एच0 सिद्दीकी
(4) श्री धर्मवीर नागपाल
(5) श्री पी0 सी0 श्रीवास्तव
(6) श्री जगमोहन शर्मा
(7) श्री आर0 के0 सरोहा
(8) श्री सुरेश चन्द्र गुप्त

सहायक अभियन्ता :–

(1) श्री गोकरन सिंह
(2) श्री मोहम्मद वसीम खां
(3) श्री सुरेन्द्र पाल रेखी
(4) श्री अशोक कुमार चोपड़ा

दो अधिशासी अभियंताओं के विरुद्ध आरोप-पत्र दिया जा चुका है, और जांच अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। दो अधिशासी अभियंताओं को निलम्बित कर दिया गया है और उन्हें आरोप-पत्र देने की कार्यवाही की जा रही है। एक अधिशासी अभियन्ता को आरोप-पत्र दिया जा रहा है। एक अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता जांच के बाद कारण बताओ नोटिस देकर कार्यवाही की जा रही है। एक अधिशासी अभियंता के विरुद्ध सतर्कता जांच आख्या परीक्षणाधीन है। एक अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता जांच जारी है।

दो सहायक अभियन्ताओं को आरोप-पत्र देकर जांच की जा रही है। दो सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध की गई जाच के आधार पर कारण बताओ नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है।

कालागढ़ वन प्रभाग में वर्ष 1980 में कार्यरत वन श्रम संविदा सहकारी समिति कन्दलाई का रिवेट एवं जमानत की धनराशि उन्हें वापस कराये जाने की मांग

84—श्री भारत सिंह रावत—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन श्रम संविदा सहकारी समिति कन्दलाई कालागढ़ वन प्रभाग में सन् 80 तक कार्य करती थी, उसकी जमानत व रिवेट की धनराशि अभी तक वापिस न करने का क्या कारण है और कब तक रिवेट व जमानत की धनराशि वापिस की जायेगी?

श्री मोहम्मद असलम खां—

वन श्रम संविदा सहकारी समिति, कन्दलाई को कालागढ़ वन प्रभाग में वर्ष 1978-79 में लॉट संख्या-120, 122 व 123/78-79 आवंटित किये गये थे। समिति ने लॉट संख्या-120/78-79 में समयान्तर्गत कार्य समाप्त कर लिया, जिसके फलस्वरूप इस लॉट के विक्रम मूल्य में 15 प्रतिशत रिवेट का लाभ देते हुए, शासनादेश संख्या : 111/14-2-22/79, दिनांक 20-2-80 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

समिति ने लॉट संख्या-122 व 123/78-79 का कार्य अनुवर्ती वर्ष 1979-80 में किया, जिसके कारण इन दो लॉटों के विक्रय मूल्य में रिवेट का लाभ देने का निर्णय अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। निर्णय होने के उपरान्त ही उक्त तीनों लॉटों के रिवेट व जमानत का समायोजन अथवा वापसी सुनिश्चित हो पायेगी।

कालागढ़ वन प्रभाग के विभिन्न गांवों को हकूक एवं काश्तकारी लकड़ी उपलब्ध कराये जाने की मांग

85—श्री भारत सिंह रावत—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालागढ़ वन प्रभाग में विभिन्न गांवों को कब से हकूक व काश्तकारी लकड़ी नहीं दी गयी है? क्या विभाग इन गांवों को उनकी शेष हकूक व काश्तकारी लकड़ी शीघ्र उपलब्ध करायेगी?

श्री मोहम्मद असलम खां—

कालागढ़ वन प्रभाग में वर्ष 1982-83 से वर्ष 1984-85 तक प्रशासनिक कारणों से गांवों को हकूक व काश्तकारी की लकड़ी नहीं दी गई है। अग्रेतर वर्षों की स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष 1985-86 में 84 गांवों को दी गई।
वर्ष 1986-87 में नहीं दी गई।
वर्ष 1987-88 में 117 गांवों को दी गई।
वर्ष 1988-89 में 139 गांवों को दी गई।
वर्ष 1989-90 में 155 गांवों को दी गई।

इस प्रकार की देय लकड़ी नियमानुसार 3 वर्षों तक संचित रह सकती है। अतः 1986-87 तक की सुविधा स्वतः समाप्त हो चुकी है और अब देय नहीं है। वर्ष 1987-88 की हकूक की संचित सुविधा उनको 1-1-1991 तक अनुमन्य रहेगी। इसी प्रकार वर्ष 1988-89 की सुविधा 1-1-1992 तक तथा वर्ष 1989-90 की सुविधा 1-1-1993 तक अनुमन्य होगी।

जनपद शाहजहांपुर, विकास क्षेत्र एवं ग्राम जैतीपुर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध गम्भीर आरोप

86—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा जैतीपुर विकास क्षेत्र जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायतों की जांच परगना मैजिस्ट्रेट, तिलहर द्वारा दिसम्बर, 89 व जनवरी, 90 में की गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी ने उक्त प्रधान को निलम्बित किये जाने के आदेश दिनांक 15-1-90 को किये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का अब तक पालन न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

जांच की कार्यवाही अभी जारी है ।

जिलाधिकारी के ऐसे कोई आदेश दिनांक 15-1-90 को पारित नहीं हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में मजुई से दुल्लनपुर मार्ग एवं उसके बेसों एवं मगई नदी पर बने पुलों के निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी

87—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में मजुई से दुल्लनपुर मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ? क्या इस मार्ग में दो पुल क्रमशः बेसों नदी तथा मगई नदी पर पड़ते हैं ? क्या इनके भी निर्माण की मंजूरी दी गई है ? यदि हां, तो यह मंजूरी कब दी गयी तथा यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गाजीपुर के लिए स्वीकृत मार्गों एवं पुलों का विवरण

88—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में विभाग की ओर से कुल कितनी सड़कें और पुल स्वीकृत हैं ? उनका ब्यौरा क्या है और वे कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद गाजीपुर में लो0 नि0 विभाग की ओर से कुल 61 मार्ग तथा 9 सेतु स्वीकृत हैं ।

उक्त स्वीकृत कार्यों की मुख्य मदों का ब्यौरा निम्नवत् है :—

मिट्टी का कार्य	16.30 कि0मी0
खड़ंजा का कार्य	43.545 कि0मी0
लेपन का कार्य	74.385 कि0मी0
लघु सेतु	3
वृहद सेतु	6

उपरोक्त समस्त कार्यों को पूर्ण कराना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

अशोक इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के चपरासी श्री श्यामदेव का बकाया वेतन

89—श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के सन्दर्भ में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कथित कालेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य द्वारा श्री श्यामदेव सेवा निवृत्त चपरासी को किस आधार पर 11-7-84 तक अनियमित रूप से रखा गया था जबकि उक्त प्रधानाचार्य जुलाई, 1981 में सेवा निवृत्त हो गये थे ? यदि दोषी प्रधानाचार्य सेवा निवृत्त हो गये हैं और अभी जीवित हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

भूतपूर्व प्रधानाचार्य द्वारा श्री श्यामदेव की सेवा पंजी में जन्मतिथि में परिवर्तन कर देने के कारण श्री श्यामदेव अनियमित रूप से 11-7-84 तक सेवा में बने रहे ।

श्री श्यामदेव की मृत्यु हो जाने तथा प्रकरण 9 वर्ष से अधिक पुराना हो जाने के कारण अब इसमें कोई विधिक कार्यवाही सफलतापूर्वक किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता ।

जनपद बांदा के 12 वैक्सीनेटरों की सेवायें समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति

90—श्रीमती सिया दुलारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् जनपद बांदा के 12 वेक्सीनेटरों की सेवायें दिनांक 11-12-89 को समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो ये कब से कार्यरत थे और इनकी सेवायें समाप्त किये जाने का क्या आधार है और किसके आदेश से समाप्त की गयी हैं ? क्या सरकार बेरोजगारी को देखते हुए इन्हें सेवा में लिये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जिला परिषद्, बांदा में वैक्सीनेटर के 16 पद सृजित हैं । दिनांक 30-11-86 तक 8 वैक्सीनेटर सेवा निवृत्त हो चुके थे । तदुपरान्त 8 वैक्सीनेटर कार्यरत रह गये थे । इनमें से 4 वैक्सीनेटर, श्री श्याम सुन्दर उपाध्याय, श्री हरी शंकर दीक्षित,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा तथा श्री आबिद हुसैन को दिनांक 11-12-89 को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति दे दी गयी । उक्त वैक्सीनेटर क्रमशः दिनांक 15-9-57, दिनांक 30-12-53, दिनांक 7-7-65 तथा दिनांक 29-12-68 से जिला परिषद्, बांदा में कार्यरत थे । इन वैक्सीनेटरों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति शासनादेश सं0 3120बी/88-33-2-3जी/87, दिनांक 5-7-88 के परिप्रेक्ष्य में इनके नियुक्ति प्राधिकारी (अध्यक्ष, जिला परिषद्, बांदा) द्वारा की गयी । उक्त वैक्सीनेटरों को पुनः सेवा में लिये जाने अथवा न लिये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

91—श्री राजीव कुमार सिंह—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, परिमण्डल फैजाबाद द्वारा अनुमोदित ईंटों की दरों से अधिक दरों पर आपूर्ति के फलस्वरूप हुई सरकारी क्षति का आंकलन

92—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, परिमण्डल फैजाबाद के 20-3-90 के आदेश द्वारा ईंटों की दरों को शासनादेश ए-2-340/दस-85, दिनांक 9-12-85 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किये गये बगैर बढ़ाया गया है ? क्या बढ़ी हुई दरों के क्रम में ठेकेदारों ने अपने टेण्डर निरस्त कराकर नई दरों पर टेण्डर देकर अथवा निगोशिएशन के माध्यम से अनियमित रूप से अनुबन्ध कराकर विभिन्न योजनाओं के कार्य पूर्ण करा रहे हैं ? क्या अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इसी प्रकार परिमण्डल गोरखपुर एवं लखनऊ के लिए भी दरें अनुमोदित की गयी हैं? नई दरों पर कितने लाख की कितनी ईंटों से कार्य कराये गये तथा पुरानी दरों की तुलना में ईंटों की ढुलाई पर अलग-अलग कितना अधिक धन विभाग को व्यय करना पड़ा ? इस क्षति के लिए कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्रश्न में दरों के क्रम में ठेकेदारों के टेण्डर निरस्त करने, निगोशिएशन करने, परिमण्डल गोरखपुर एवं लखनऊ हेतु दरें अनुमोदित करने, नई दरों पर ईंटों के क्रय करने इत्यादि का विवरण विस्तृत होगा जिस हेतु सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत बनने वाले मार्ग का व्यय अन्य योजनाओं के व्यय से अधिक होने के सम्बन्ध में शिकायत

93—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बाराबंकी में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों पर खड़न्जा बिछाने हेतु शिड्यूल आईटम नं0 786 की दरें चार रुपये पन्द्रह पैसे प्रति वर्ग मीटर स्वीकृत की गयी हैं जबकि अन्य योजनाओं एवं लोक निर्माण विभाग के बाराबंकी स्थित विभागों में कम दरों पर कार्य हो रहा है ? स्वीकृत दरों के अनुमोदन में सक्षम अधिकारी की

अनुमति अथवा वांछित प्रक्रिया न अपनाये जाने के लिए कौन दोषी है ? कुल स्वीकृत दरों पर सभी प्रखण्डों में कितना कार्य कराया गया तथा 6-3-90 से पूर्व दरों के मुकाबले कितनी अधिक धनराशि का व्यय हुआ एवं उसकी क्षति के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

लोक निर्माण विभाग में उक्त कार्य हेतु 12.50 रु0 प्रतिदिन की दर से मजदूरी देय है जिसके अनुसार उक्त कार्य हेतु 3.95 रु0 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है जबकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 18.00 रु0 प्रतिदिन मजदूरी देय है जिसके अनुसार उक्त कार्य हेतु 4.15 रु0 प्रति वर्ग मीटर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है ।

दरें सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 6-3-90 द्वारा स्वीकृत की गयी हैं अतः वांछित प्रक्रिया न अपनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रखण्ड बाराबंकी में 7 मार्गों पर 1838.15 वर्ग मीटर खड़ंजा बिछाने का कार्य हुआ है, जिस पर कुल रु0 7,628.32 का भुगतान हुआ है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप है । चूंकि सक्षम अधिकारी से दरें स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य कराये गये हैं अतः इसमें अधिक धनराशि के व्यय होने व किसी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बलिया में विगत चार वर्षों में कतिपय विभागों में स्वीकृत धन का मानक के विपरीत खर्च किये जाने की शिकायत

94–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 में जिला विकास अभिकरण, आर0 ई0 एल0 जी0 पी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 का धन विकास खण्डवार कितना-कितना वर्षवार स्वीकृत व खर्च किया गया है तथा कितना-कितना खर्च होने से रह गया है ? क्या सरकार धन का मानक के विपरीत खर्च कर सन्तुलन बिगाड़ने वाले अधिकारियों पर जनहित में कार्यवाही सुनिश्चित कर दण्डित करेगी ताकि आर्थिक व विकास के असन्तुलन पर अंकुश लगाया जा सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में अंग्रेजी शराब के नीलामी के विज्ञापन में हुए कथित अपव्यय की शिकायत

95–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1989-90 के लिए लखनऊ जनपद में अंग्रेजी शराब की नीलामी के विज्ञापन पर कुल कितना धन खर्च हुआ? क्या यह सही है

कि शासन की अनुमति के बिना इतनी बड़ी रकम विज्ञापन पर खर्च करने पर वित्त विभाग ने आपत्ति की है? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है तथा सरकार उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वर्ष 1989-90 के लिये लखनऊ जनपद में अंग्रेजी शराब की नीलामी के सम्बन्ध में विज्ञापन पर कुल 7,96,280·14 रु0 के बिल भुगतान हेतु प्राप्त हुए हैं । यह व्यय राजस्व हित में किया गया था । वित्त विभाग ने उक्त व्यय पर आपत्ति व्यक्त की थी । संदर्भित बिलों का भुगतान विचाराधीन है । सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को सचेत करते हुए भविष्य में मितव्ययिता बरतने तथा उच्चाधिकारियों की पूर्वानुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है ।

96–श्री हृदय नारायण–

[4थे मंगल में अता0प्र0सं0 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड बृहमपुरा के सहायक वि0 अधि0 (आई0एम0वी0) के विरुद्ध शासन को प्रेषित शिकायती-पत्र

97–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ग्राम्य विकास व पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 17 जनवरी, 89 को तत्कालीन सहायक वि0अधि0 (आई0एस0वी0) विकास खण्ड बृहमपुर जनपद गोरखपुर के श्री राम विष्णु पाण्डेय के विरुद्ध एक शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उसमें दोषी अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां । दोषी अधिकारी श्री राम विष्णु पाण्डे को समय से पुलिया निर्माण न कराये जाने तथा अग्रिम धनराशि को समय से वापस न किये जाने के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है। मजदूरों को मजदूरी भुगतान में की गई अनियमितता के फलस्वरूप श्री पाण्डे के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए उनके विभागाध्यक्ष निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लिख दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग के जू0इ0 को समय बद्ध वेतनमान दिये जाने की मांग

98–श्री दयाराम भास्कर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग में शासनादेश संख्या-5190/54-3-1299(190)/82 क्षेत्रीय विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 जो 1-1-84 से लागू है के अन्तर्गत कितने जू0इ0 को समयमान वेतनमान नहीं दिया गया? इसका क्या कारण है? अवशेष बचे हुए जूनियर इन्जीनियरों को कब तक टाइम स्केल दिया जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां, 46 जू0 इ0 को समयमान वेतनमान नहीं दिया गया । शासनादेश संख्या-5190/54-3-1299(190)/82, दिनांक 26-12-84 में निहित निर्देशों/शर्तों के अनुरूप इन जू0ई0 को उनके सेवा अभिलेखों के अनुसार उपयुक्त न पाये जाने के कारण समयमान वेतनमान नहीं दिया जा सका । उक्त अवर अभियन्ता यदि भविष्य में उपयुक्त पाये जाते हैं तो समयमान वेतनमान पर विचार किया जायेगा ।

जनपद सुल्तानपुर के राजकीय इण्टर कालेज सं संलग्न शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजनान्तर्गत डायट भवन के निर्माण का प्रस्ताव

99–श्री मुईद अहमद–

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज सुल्तानपुर से संलग्न शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अंतर्गत डायट भवन का निर्माण होना था? यदि हां, तो भवन का निर्माण कार्य अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ कराया गया? डायट भवन के निर्माण कार्य में विलम्ब का क्या कारण है और निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

प्रश्न में उल्लिखित भवन का निर्माण योजना के तृतीय चरण में प्रस्तावित है । भूमि तथा भारत सरकार से धन के उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1988-89 में माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के लिए स्वीकृत अनुदान राशि के उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी

100–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए अनुदान संख्या 65-66 शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए राजस्व व्यय के लिए विधान सभा द्वारा स्वीकृत धनराशि क्रमशः 3 अरब 92 करोड़ 58 लाख 51 हजार रुपये व 5 अरब 47 करोड़ 91 लाख 35 हजार रुपये का उपभोग 31 मार्च, 1989 तक कर लिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी, विकास खण्ड बंकी में ग्राम जौंगा के ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन के निर्माण में अपनाये गये आर्थिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत

101–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर जौंगा, पो0 बरौली, तह0 नवाबगंज, विकास खण्ड बंकी, जनपद बाराबंकी में निर्माणाधीन पंचायत भवन में ग्राम प्रधान के विरुद्ध आर्थिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी ग्रामवासियों के शिकायती-पत्र के आधार पर पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या 1920(11)/सात-पंचा0/स्था-11 दिनांक 27 मार्च, 1990 द्वारा उक्त ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध

पंचायत राज एक्ट की धारा 95 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए परगनाधिकारी नवाबगंज से अनुरोध किया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां।

तत्कालीन परगनाधिकारी ने ग्राम प्रधान के विरुद्ध पंचायत राज एक्ट की धारा 95 के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी तथा पत्रावली दाखिल दफ्तर किये जाने का आदेश पारित किया जिसे जिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 9-6-90 द्वारा निरस्त कर दिया । वर्तमान परगनाधिकारी द्वारा पंचायत राज एक्ट की धारा 95 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

श्री बी0बी0 सेन, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा गोरखपुर के विरुद्ध लगाये गये कतिपय आरोपों की जांच

102–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री जगदीश लाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के 3सरे सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले की जांच पूरी करा ली गयी है? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां । जांच आख्या के आधार पर श्री बी0बी0 सेन अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोरखपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप स्थापित नहीं पाये गये । अतः किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय के कतिपय बी0टी0सी0 परीक्षार्थियों का परीक्षा फल घोषित करने की मांग

103–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय के बी0टी0सी0 आंशिक परीक्षाफल सन् 89 (श्रीमती कमला देवी रोल नं0 6105, कु0 इन्दु यादव रोल नं0 6106, श्रीमती मालती रोल नं0 6107 व श्री शिवलाल रोल नं0 6108) को अब तक घोषित न करने का क्या कारण है? क्या रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा दिनांक 22-2-90 को इसकी जांच भी करायी गयी है? यदि हां, तो परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

प्रश्न में उल्लिखित परीक्षार्थियों के प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार को प्राप्त नहीं हुए थे अतः ये परीक्षार्थी अनियमित रूप से परीक्षा में सम्मिलित हुए । अतः उनका परीक्षा फल घोषित नहीं किया गया है । प्रकरण की जांच करायी गयी है । रजिस्ट्रार की आख्या परीक्षा फल समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी । तत्पश्चात् इस पर निर्णय लिया जायगा ।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड बभनी म्योरपुर और दुद्धी में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा प्रस्तावित प्रा0पा0 भवनों का निर्माण

104—श्री विजय सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के बभनी म्योरपुर और दुद्धी विकास खण्ड में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा वर्ष 1981 से दिसम्बर 1988 तक कितने स्कूलों के भवनों का निर्माण होना था? उनमें से कितना पूर्ण हो गया, कितने अधूरे हैं वे कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे? क्या विकास खण्ड दुद्धी में प्रा0 पा0 कटौली के भवन का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद सोनभद्र के बभनी, म्योरपुर एवं दुद्धी विकास खण्डों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा 1981 से दिसम्बर 1988 तक कुल 89 स्कूल भवनों का निर्माण होना था, उनमें से अब तक 40 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष 49 भवनों में से मात्र 19 भवनों हेतु स्थल उपलब्ध है तथा इन पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन भवनों को 31-8-90 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। शेष 30 भवनों का स्थल व धन प्राप्त होने पर निर्मित किया जायेगा। विकास खण्ड दुद्धी में प्रा0पा0 कटौली के भवन का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया जाना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड दुद्धी में जिला परिषद् द्वारा निर्माणाधीन झारो मझौली मार्ग में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

105—श्री विजय सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी विकास खण्ड में जिला परिषद् द्वारा निर्माणाधीन मार्ग झारो-मझौली कटौली पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर कार्यरत मजदूरों की मजदूरी का भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है? यदि हां, तो मजदूरी का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड दुद्धी, म्योरपुर नमनी के कतिपय पंचायतों के अधूरे पंचायत केन्द्रों के पूर्ण कराये जाने की मांग

106—श्री विजय सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी म्योरपुर नमनी विकास खण्डों में किन-किन न्याय पंचायतों के सामुदायिक केन्द्र भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है, कहां-कहां का निर्माण अधूरा है और क्यों? अधूरे निर्मित भवनों का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड दुद्धी में घनौरा व वीडर म्योरपुर में म्योरपुर जरहा व लिलासी तथा बभनी में बभनी चपकी तथा चौना न्याय पंचायतों के सामुदायिक केन्द्र भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। विकास खण्ड दुद्धी के महुली व कटौंधी म्योरपुर के सागोंबाध व बभनी के खोतोमहुआ में सामुदायिक केन्द्र भवन का निर्माण धनाभाव स्थल चयन में विलम्ब व बरसात से पूर्व सामग्री न पहुंच पाने के कारण पूर्ण नहीं हो सका। इसी वर्ष में प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद सोनभद्र के तहसील दुद्धी अंतर्गत ग्राम कटौली में कृषकों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा

107–श्री विजय सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील के कटौली ग्राम सभा में गत वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को निःशुल्क बोरिंग स्कीम के अंतर्गत ऋण के रूप में पम्प दिया गया है? क्या उनके कुओं में बोरिंग भी की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उनसे ऋण की पूरी रकम मय ब्याज सहित वसूल कर ली गयी जबकि अनुसूचित जाति के कृषकों को 50 प्रतिशत छूट देने की बात कही गयी थी? उन्हें छूट न दिए जाने का क्या कारण है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील में कटोली ग्राम सभा में गत वित्तीय वर्ष में कोई भी निःशुल्क बोरिंग कार्य नहीं हुआ, न ही इस योजनान्तर्गत ऋण के रूप में पम्पसेट दिया गया है।

जी नहीं।

क्षेत्र पूर्णतया पथरीला एवं हैण्ड बोरिंग के लिए अनुपयुक्त है। निःशुल्क बोरिंग का कोई कार्य न होने के कारण ऋण से पम्पसेट लेने एवं ब्याज की वसूली तथा अनुसूचित जाति के कृषकों को अनुदान दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

108-109–श्री रणजीत सिंह–

[4थे शुक्र में अता0 प्र0 सं0 68-69 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देहरादून के रायपुर थानों मार्ग पर सौंग नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव

110–श्री रणजीत सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद देहरादून के रायपुर थानों मार्ग पर सौंग नदी पर पुल न होने के कारण हर वर्ष वर्षा ऋतु में नदी पार करते समय कई नागरिकों की मृत्यु हो जाती है? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का निर्माण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो पुल के निर्माण की कब तक सम्भावना है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद देहरादून में रायपुर थानों मार्ग पर सोंग नदी पर पुल न होने से बरसात में नदी पार करते समय नागरिकों की मृत्यु की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

प्रश्नगत मार्ग पर पुल निर्माण की स्वीकृति हेतु 178.39 लाख रुपये का पुनरीक्षित प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है जिसकी स्वीकृति तथा निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

काशी विद्यापीठ वाराणसी के सेवा निवृत्त प्राध्यापकों के पेंशन मामले का निस्तारण

111–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी विद्यापीठ वाराणसी में 3-12-88 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए कितने प्राध्यापकों के पेंशन के मामलों का निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है ? क्या उनके नाम व पदनाम विवरण सहित मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

काशी विद्यापीठ वाराणसी से दिनांक 31-12-1988 के पूर्व सेवा निवृत्त सभी प्राध्यापकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के तहसील कर्वी अंतर्गत भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण संबंधी प्रस्ताव

112–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के तहसील कर्वी में कितने ऐसे बेसिक प्राइमरी एवं जूनियर बेसिक विद्यालय हैं जो भवनहीन हैं ? क्या भवन हीन विद्यालयों के भवन निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

38 प्राइमरी तथा 12 जूनियर हाईस्कूल भवनहीन हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रथम आये वन रक्षकों को वन विद के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रखने की मांग

113–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रथम आये वन विदों को उपराजिक पद पर प्रोन्नत दे दी जाती है तथा प्रथम आने वाले वन रक्षकों को वन विद पर प्रोन्नति दी जाती रही है ? क्या यह सही है कि अब वन रक्षकों से वन विदों की प्रोन्नति में कोई प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो किस स्तर से और कब से ? क्या शासन पूर्व की भांति वन रक्षकों की प्रोन्नति की व्यवस्था चालू रखने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । पूर्व में वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रथम आये वन रक्षकों को वन विद् के पद पर प्रोन्नति देने की कोई व्यवस्था नहीं रहा है ।

जनपद देवरिया के प्रस्तावित खेल स्टेडियम का नाम स्व0 रवीन्द्र किशोर शाही के नाम पर करने के प्रस्ताव संबंधी जानकारी

114–श्री अमर नाथ यादव–

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में निर्मित स्पोर्ट स्टेडियम जिसका शिलान्यास 1978 में तत्कालीन विद्युत एवं खेल मंत्री स्व0 रवीन्द्र किशोर शाही ने किया था, का नामकरण स्व0 रवीन्द्र किशोर शाही स्पोर्ट स्टेडियम होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्यत: क्रीड़ा संकुलों का नामकरण राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त खिलाड़ियों के नाम पर किया जाता है ।

115–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

[4थे सोम के लिए स्थगित]

जनपद लखनऊ के जूनियर हाईस्कूल भरोसा के मृत सेवक श्री कल्लूराम के आश्रित को सेवा में न लिये जाने का कारण

116–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जूनियर हाई स्कूल भरोसा, जनपद लखनऊ में श्री कल्लू राम सेवक के पद पर कार्यरत थे, की मृत्यु सेवाकाल के दौरान 1-11-87 को हो गयी थी? क्या मृतक के पुत्र श्री रामकुमार ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के यहां उक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया था ? क्या श्री रामकुमार की नियुक्ति अनुभाग–4 के शासनादेश सं0–6/12/1973-नियुक्ति-4, दिनांक 7-10-74 के अनुसार की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नियुक्ति में विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रश्नगत नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

क्योंकि श्री राम कुमार ने अन्य व्यस्क उत्तराधिकारियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकुमार द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण कर दिये जाने पर ही नियुक्ति सम्भव हो सकेगी ।

प्रदेश के राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी मांगों पर विचार

117—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का पेंशन के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ 29-11-89 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

प्रश्नगत प्रतिवेदन में मुख्य मांगें निम्नवत हैं :—

(1) श्री राम कृष्ण आर्य, सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक, उजागर लाल इण्टर कालेज, सीतापुर को उनके पेंशन के 1/3 अंश के राशिकरण हेतु तथा

(2) दिनांक 14-8-88 के पूर्व अथवा पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनकी आयु के अनुसार न्यून अथवा अधिक, जो भी देय है, प्रदान करने के आदेश हेतु ।

उक्त मांगों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि प्रतिवेदन में संदर्भित राजाज्ञा दिनांक 19-12-88 के अनुसार दिनांक 14-8-88 से ही एकमुश्त पेंशन राशिकरण की सुविधा अनुमन्य है । श्री राम कृष्ण आर्य 58 वर्ष की आयु पर दिनांक 31-3-85 को सेवानिवृत्त हुए थे । अतः उक्त सुविधा उन्हें अनुमन्य नहीं है ।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड बिजौली के अन्तर्गत बहौना कोटरा और भमसोई के मध्य घोगा नदी पर पुल के निर्माण की मांग

118—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मंत्री लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन को सम्बंधित विधान सभा क्षेत्र अतरौली, जिला—अलीगढ़ के विकास खण्ड-बिजौली के अन्तर्गत बहौना कोटरा और भमसोई के मध्य घोगा नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-1-90 कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? उक्त स्थल में पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

प्रश्नगत स्थान से लगभग 2 किमी0 नीचे की ओर एक पुल का निर्माण किया जा चुका है और इस वर्ष के अन्त तक पहुंच मार्ग बन जाने के उपरान्त सेतु यातायात के लिए खोल दिया जाएगा । वर्तमान सीमित संसाधनों को देखते हुए तथा तकनीकी दृष्टि से भी प्रश्नगत स्थान पर नये पुल का निर्माण फिलहाल सम्भव नहीं है ।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड अतरौली में महगवा से गिजरौली—मधुपुर मार्ग पर कतिपय पुलियों के निर्माण सम्बन्धी ज्ञापन

119—श्री कल्यान सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको सम्बोधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अतरौली जिला अलीगढ़ में विकास खण्ड—अतरौली के अन्तर्गत महगवां से गिजरौली-मधुपुर तक के मार्ग पर पुलियों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-1-90 कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? उक्त स्थल में पुलियों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

प्रश्नगत पुलियों के निर्माण का कार्य जिला सेक्टर के अन्तर्गत आता है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के तत्कालीन मुख्य अभियन्ता श्री एम0 आर0 सिद्दीकी के विरुद्ध लगाये गये कथित भ्रष्टाचार के आरोप एवं उसके जांच की मांग

120—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री एम0 आर0 सिद्दीकी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण संघ, उ0 प्र0 के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सत्यापित गम्भीर आरोपों से संबंधित मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 20-12-89 पत्र के साथ श्री लक्ष्मण धारी, श्री रामवृक्ष प्रसाद एवं इन्द्र कान्त त्रिपाठी आदि का शिकायती प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

श्री सिद्दीकी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के विरुद्ध अनियमित नियुक्तियों, टी0 एण्ड पी0 की अनियमित क्रय आदि से सम्बन्धित आरोपों के विषय में जांच की कार्यवाही प्रगति पर है इसके शीघ्र पूर्ण होने की आशा है।

इस बीच श्री सिद्दीकी को शारदा सहायक समादेश क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं के विरुद्ध विजिलेन्स की जांच

121—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के कितने मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध विजीलेंस जांच चल रही है ? उक्त अधिकारियों में कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनकी विजीलेंस की जांच रहते हुए प्रोन्नति दी गयी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

लोक निर्माण विभाग में एक मुख्य अभियन्ता, 7 अधीक्षण अभियन्ता एवं 20 अधिशासी अभियंता के विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है । इनमें से केवल एक अधिकारी को सतर्कता जांच रहते हुए प्रोन्नति दी गयी है ।

राजकीय इण्टर कालेज, हरदोई में छात्रों को बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था

122—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज, हरदोई में छात्रों के बैठने के लिए कालेज में फर्नीचर नहीं है ? क्या यह भी सत्य है कि छात्र वहां अपनी कक्षा में जमीन पर बैठते हैं ? यदि हां, तो शासन इसके लिये क्या व्यवस्था कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

पर्याप्त फर्नीचर नहीं है । लगभग एक तिहाई छात्र जमीन पर बैठते हैं ।

फर्नीचर क्रय किये जाने के लिए प्रतिवर्ष धन उपलब्ध कराया जाता है किन्तु प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए सभी विद्यालयों में फर्नीचर की पूर्ण व्यवस्था तुरन्त कराना सम्भव नहीं है ।

माननीय सदस्य श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र, जनपद हरदोई के पच्चीस अध्यापकों द्वारा चुनाव में भाग लेने सम्बन्धी शिकायत

123—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 20-12-89 को मंत्री जी से अपने निर्वाचन क्षेत्र हरदोई के पच्चीस अध्यापकों द्वारा चुनाव में भाग लेने संबंधी शिकायत की थी ? यदि हां, तो इस शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

शिक्षा निदेशक (बे0) को जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा अन्तर्गत खेतुई खजुराटा–सुरसा मार्ग को पूर्ण कराये जाने की मांग

124—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा के अन्तर्गत खेतुई खजुराटा–सुरसा मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत है ? क्या यह सत्य है कि इस मार्ग का निर्माण आज तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो शासन इस मार्ग को कब तक निर्मित करा देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

जी नहीं ।

जनपद हरदोई में प्रश्नगत 7 कि0मी0 लम्बे खेतुई खजुराटा सुरसा मार्ग पर स्वीकृत लागत से मिट्टी का कार्य पूरी लम्बाई में तथा खड़ंजा का कार्य 2 कि0मी0 में कराया जा चुका है । शेष 5 कि0मी0 भाग पर खड़ंजे का कार्य कराया जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्रीमती शान्ती देवी, सहायक अध्यापिका, प्राइमरी पाठशाला, अब्दुल पुरवा, हरदोई को कार्यभार ज्वाइन कराया जाना

125—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती शान्ती देवी, स0 अ0 प्रा0 पा0 अब्दुल पुरवा, हरदोई का स्थानान्तरज आदेश रद्द होने के बावजूद भी पिछले तीन माह से उसे उस स्कूल में ज्वाइन नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

दिनांक 12-2-90 को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है ।

जनपद बुलन्दशहर के वन निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत

126—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक जद 973, दिनांक 27-3-90 मैसर्स सर्वोदय बुग्गी एण्ड कृषि यंत्र उद्योग, बुलन्दशहर के पत्र के साथ जिसमें वन निगम में नौकरशाही की निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता और भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें की गयी हैं, मिल गया है ? यदि हां, तो शिकायतें और उन पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी गयी तथा शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

जनपद फैजाबाद में लोक निर्माण विभाग के लिए स्वीकृत परिव्यय के धनराशि में कटौती

127–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1989-90 की जिला योजना के लिए शासन द्वारा जनपद–फैजाबाद में लोक नि0 विभाग के लिए स्वीकृत 139 लाख रुपये के परिव्यय में किन परिस्थितियों में और किसके द्वारा चार लाख रुपये की कटौती कर दी गयी है उक्त कटौती केवल विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के कार्यों में करने का क्या कारण है और इस बारे में प्रश्नकर्ता के लोक नि0 मंत्री को सम्बंधित तथा सचिव, लोक नि0 वि0, उ0 प्र0 को पृष्ठांकित पत्रांक जद/1125, दिनांक 6-4-90 तथा उस पर अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण क्या है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद फैजाबाद की लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित वर्ष 1989–90 की जिला योजना के स्वीकृत परिव्यय में कोई कटौती किसी के द्वारा नहीं की गई है ।

जांच से आरोप सही नहीं पाये गये । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा में भारीडीहा सम्पर्क मार्ग के थिरुआ नाला पर स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य

128–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद–फैजाबाद की टाण्डा विधान सभा क्षेत्र में स्थित भारीडिहा सम्पर्क मार्ग पर थिरुआ नाला पर जिला योजना में पक्का पुल का निर्माण स्वीकृत है और उसका पैसा भी लगभग एक वर्ष पूर्व लोक नि0 वि0 को आवंटित और अवमुक्त किया जा चुका है लेकिन निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत पुल निर्माण हेतु धन का अलग से कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया तथा न ही उस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है ।

प्रश्नगत पुल के स्थल तक सामग्री ले जाने हेतु कोई रास्ता न होने के कारण पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका । पुल का पहुंच मार्ग जिला योजना के अन्तर्गत मार्च, 90 में स्वीकृत किया जा चुका है परन्तु इस मार्ग के संरेखण में कृषि युक्त भूमि पड़ने के कारण कृषकों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है । अतः अब उक्त पुल का निर्माण प्रारम्भ किया जाना अन्ततोगत्वा न्यायालय के स्थगनादेश के निरस्त होने तथा तत्पश्चात् पहुंच मार्ग हेतु भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्री एम0 डी0 पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, विभागीय निर्माण इकाई (राष्ट्रीय मार्ग) गोमती नगर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

129—श्री हरवंश सहाय—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एम0डी0 पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, विभागीय निर्माण इकाई (राष्ट्रीय राजमार्ग) गोमतीनगर, लखनऊ के भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-1-90 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में वर्ष 1990 में राज्य सेक्टर द्वारा स्वीकृत मार्गों की जानकारी

130—श्री हरवंश सहाय—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत राज्य सेक्टर से मार्च, 90 में किन-किन सड़कों को स्वीकृत किया गया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद देवरिया में मार्च, 1990 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत रुद्रपुर—लार मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0 लागत 3.00 लाख रु0 की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

प्रदेश के खण्ड विकास अधिकारियों में पदोन्नति प्राप्त अपर मुख्य अधिकारियों की संख्या एवं उन पर लगाये गये आरोपों की जांच

131—श्री सुखवीर सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जिला परिषदों में कितने खण्ड विकास अधिकारी सम्वर्ग के अपर मुख्य अधिकारी पद पर कार्यरत हैं और इनमें से कितने अधिकारियों के कार्य और आचरण के विरुद्ध शिकायतें शासन में विचाराधीन हैं ? इनमें से कितने 57 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं ? क्या शासन ऐसे अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने जा रहा है ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

खण्ड विकास अधिकारी सम्वर्ग के 7 अधिकारी प्रदेश की विभिन्न जिला परिषदों में अपर मुख्य अधिकारी पद पर कार्यरत हैं । इनमें से एक अधिकारी के कार्य एवं आचरण के विरुद्ध शासन में शिकायत विचाराधीन है । उपर्युक्त 7 अधिकारियों में से 6 (छः) अधिकारी 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं । इनमें से किसी को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त के योग्य नहीं पाया गया ।

132—श्री मुहम्मद सईद भ्रमर—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के किनारे लो0 नि0 विभाग के आवासीय भवनों में अवैध अध्यासियों के विरुद्ध शिकायत

133–श्री मुहम्मद सईद भ्रमर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज एवं सृजित जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के किनारे बने लोक नि0 वि0 के आवासीय भवनों में इस समय कौन-कौन लोग अवैध रूप से रह रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि उनमें से कुछ लोगों के विरुद्ध श्री वेद सिंह अधिशासी अभियन्ता, लोक नि0 वि0 बस्ती द्वारा लाखों रुपयों की वसूली के आदेश एवं मकान खाली कराने की कार्यवाही हेतु मुख्य अभियंता, लोक नि0 वि0, गोरखपुर को लिखा गया है ? यदि हां, तो अवैध रूप से रह रहे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत भवनों में भवन सं0 1 एवं भवन सं0 2 में क्रमशः श्री देवी बक्स सिंह, कनिष्ठ लिपिक एवं श्री विश्वनाथ लाल, वरिष्ठ लिपिक अवैध रूप से रह रहे हैं ।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बस्ती ने उक्त अनाधिकृत अध्यासियों से क्रमशः रू0 95,068.40 तथा रू0 33, 997 दण्डात्मक किराये की वसूली हेतु आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त दोनों कर्मचारियों को निलंम्बित करके विभागीय कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद में मिलकीपुर विधान सभा क्षेत्र में खण्डासा से घोड़बल व हरिंगटन गंज मलेथू बुजुर्ग कनावा मार्ग का निर्माण

134–डा0 ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में खण्डासा से घोड़बल व हरिंगटन गंज मलेथू बुजुर्ग कनावा मार्ग पर गिट्टी की कुटाई ठीक ढंग से नहीं हुई और पटरियां नहीं बनायी गयी हैं? क्या सरकार बतायेगी कि जनता को उक्त मार्ग से बीमार, गर्भवती महिलाओं आदि को चिकित्सालय ले जाना भी दूभर है तथा मार्ग के न ठीक होने से अस्पताल तक न पहुंचने के कारण कई मृत्युएं भी हो गयी? क्या सरकार उक्त कमियों को दूर करने हेतु उक्त मार्ग को बनाने की व्यवस्था करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में 11 कि0 मी0 लम्बे खण्डासा घोड़वल मार्ग के केवल प्रथम 2.5 कि0 मी0 में लेपन स्तर तक निर्माण का कार्य स्वीकृत है, जिसके समक्ष प्रथम 1.5 कि0 मी0 में मध्य सतह की कुटाई एवं प्रथम 2 कि0 मी0 में पटरी बनाने का कार्य किया जा चुका है, जो सन्तोषजनक है। दूसरे हरिगंटन-गंज-मलेथू बुजुर्ग कनावा मार्ग पर सम्प्रति कुटाई अथवा पटरी बनाने का कार्य कराया ही नहीं गया है। उक्त दोनों मार्ग जो वर्तमान में अधिकांशतः सोलिंग स्तर के मार्ग हैं सामान्यतः ठीक हैं। उन पर यातायात के आवागमन में कोई व्यवधान नहीं है। इस कारण किसी मृत्यु की कोई सूचना नहीं है।

[illegible] सम्बासन [illegible] मार्ग के स्वीकृत 2.5 कि0 मी0 पर लेपन का कार्य कराया जाना तथा उसके अवशेष भाग एवं हरिगंटन मलेथू बुजुर्ग कनावा मार्ग पर लेपन के कार्य की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा दी जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव में विगत वर्ष जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि को समय से पूर्व खर्च न करने के सम्बन्ध में शिकायत

135—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जवाहर रोजगार योजना का कितना प्रतिशत धन जिला केन्द्र पर रोक रखने का प्राविधान है और उन्नाव जिले में वर्ष 1989-90 में जिले पर रोका गया यह धन कितना था? इसका प्रयोग किन कार्यों में हुआ है? इसका प्रयोग किस तारीख तक होना चाहिए था? समय पर धन का प्रयोग न हो पाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को क्या दण्ड दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

वर्ष 1989-90 में जनपद हेतु निर्धारित परिव्यय से इन्दिरा आवास हेतु वास्तविक धनराशि घटाने के बाद शेष धनराशि का अधिकतम 20 प्रतिशत जनपद स्तर पर रोके जाने के प्राविधान के अन्तर्गत 193.815 लाख रु0 उपलब्ध था। दिनांक 31-3-90 तक 168.192 लाख रुपये का प्रयोग निम्न कार्यों पर हुआ :—

कच्चा कार्य	59.283
अनुरक्षण कार्य	20.934
वनीकरण कार्य	45.750
सड़कें एवं नाली	11.358
पुलिया कार्य	8.127
आवास कार्य	10.155
ड्रेनेज एवं जल निकास	2.895
प्रशासन पर व्यय (एन0 आर0 ई0 पी0 स्टाफ एवं होर्डिंग प्रचार आदि)	9.690
	168.192

जिला स्तर पर रोकी गयी धनराशि का उपभोग दिनांक 31-3-90 तक होना चाहिए। गत वर्ष जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ हुई थी। जिसकी अंतिम किश्त की धनराशि द्वितीय त्रैमास में आवंटित की गई तथा मार्ग निर्देशिका तृतीय त्रैमास में जारी हुई। उपरोक्त के अलावा आम चुनाव एवं विभिन्न प्रशासकीय कारणों से योजना का कार्यान्वयन कुछ देर से प्रारम्भ हुआ। दिनांक 23-2-90 की शासी निकाय की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मा0 सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर प्राक्कलन तैयार कराने एवं उनका परीक्षण कराने आदि में समय लगा। माह मई 1990 तक जवाहर रोजगार योजना की सम्पूर्ण धनराशि 193.815 लाख रु0 अवमुक्त कर दी गयी। इस योजना में 31-3-90 के पश्चात् धनराशि लैप्स व्यपगत होने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराने व दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतांव के ग्राम सभा मलिक मऊ चौबारा के लिए वर्ष 88-89 में अवंटित धन के दुरुपयोग की शिकायत

136—श्री अतर सिंह यादव—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद रायबरेली तहसील रायबरेली विकास खण्ड सतांव के ग्राम सभा मलिक मऊ चौबारा को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 88-89 में कितना धन उपलब्ध कराया गया? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि से ग्राम मलिक मऊ चौबारा में नालियों का निर्माण किया गया? यदि हां, तो क्या नालियां जहां बननी थीं वहां बनायी थी? यदि नहीं, तो क्या सरकार नालियों के निर्माण की जांच टैक्निकल आडिट सेल द्वारा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतांव के ग्राम सभा मलिक मऊ चौबारा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 88-89 में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी क्योंकि जवाहर रोजगार योजना अप्रैल, 1989 से प्रारम्भ हुई?

वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी उससे नाली का निमाण किया गया तथा ग्राम सभा मलिक मऊ चौबारा द्वारा जहां नाली के निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था, वहीं पर निर्मित कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिफ्ट आपरेटरों को केन्द्रीय लिफ्ट आपरेटरों की भांति वेतन दिये जाने की मांग

137—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लिफ्ट आपरेटरों तथा प्रदेश के लिफ्ट आपरेटरों का वेतनमान क्या है? क्या प्रदेश के लिफ्ट आपरेटरों तथा केन्द्रीय लिफ्ट आपरेटरों के वेतनमान में असमानता है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार प्रदेश के लिफ्ट आपरेटरों को केन्द्र के लिफ्ट आपरेटरों के समान वेतन दिलाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

समता समिति, 1989 की संस्तुतियों जैसा कि वे शासन द्वारा स्वीकार की गई, के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में निहित लिफ्ट आपरेटर/लिफ्ट अटेन्डेन्ट के पद के पुराने वेतनमान रु0 305-390 को दिनांक 1-1-86 से 750-940 के वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया है। केन्द्रीय लिफ्ट आपरेटर के पद के वेतनमान का विवरण विभाग में उपलब्ध नहीं है।

जी नहीं। विसंगतियों के विषय में कोई संस्तुति नहीं प्राप्त हुई है।

लखनऊ स्थित आलमबाग क्षेत्र के पीताम्बर खेड़ा में कृष्णानगर थाने के पीछे तक के निर्माणाधीन पेवर रोड को पूरा कराये जाने की मांग

138—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलमबाग क्षेत्र के पीताम्बर खेड़ा में कृष्णानगर थाने के पीछे तक जो पेवर रोड निर्माणाधीन थी तथा जिसका कार्य जून, 88 तक पूर्ण हो जाना प्रस्तावित था अभी तक पूरा न होने का क्या कारण है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

लखनऊ स्थित आलमबाग क्षेत्र के पीताम्बर खेड़ा में कृष्णानगर थाने के पीछे कृष्णानगर तालकटोरा मार्ग के लेपन स्तर तक निर्माण कार्य की स्वीकृति माह सितम्बर, 1988 में प्रदान की गयी थी। अतः उसके जून, 1988 तक पूर्ण किये जाने के प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नगत मार्ग के प्रथम 1 कि0 मी0 भाग नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 8.400 कि0 मी0 भाग जो लोक निर्माण विभाग के अधीन है, में से कि0मी0-2 को छोड़कर शेष भाग में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण है। अवशेष 1 कि0 मी0 भाग (कि0मी0-2) में लेपन का कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

139—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राजकीय कन्या हाईस्कूल, स्याल्दे में अध्यापिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

140—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या हाई स्कूल स्याल्दे में वर्ष 1987 से मार्च, 1990 तक किस-किस विषय की अध्यापिकाओं के स्थान रिक्त हैं? छात्राओं के भविष्य को देखते हुए शासन उक्त विद्यालय में अध्यापिकाओं की व्यवस्था कब तक करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

वांछित विवरण निम्न प्रकार है :—

पदनाम	रिक्तियों की संख्या
1—प्रधानाध्यापिका	1
2—स्नातक वेतनक्रम	6 (हिन्दी-1, विज्ञान गणित-1, गृह विज्ञान-1, अंग्रेजी-1, सामान्य-2)
3—सी0 टी0 वेतनक्रम	1 (सितम्बर 1989 से 31 मार्च, 1990 तक)

राजकीय हाईस्कूल मालीखेत, विकास खण्ड स्याल्दे जनपद अल्मोड़ा में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

141—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हाई स्कूल मालीखेत वि0 खं0 स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1987 से मार्च, 1990 तक किस-किस विषयों के अध्यापकों का स्थान रिक्त रहा है? किन कारणों से स्थान रिक्त रखे गये हैं और कब तक शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जायगी?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा, विकास खण्ड सल्ट में स्थित राजकीय इण्टर कालेज कोटाचानी में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

142—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे रा0 इं0 कालेज, कोटाचानी, वि0 खं0 सल्ट, जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1987 से 1990 तक कितने शिक्षकों के (विषयवार) स्थान रिक्त हैं? यह स्थान कब तक भर दिए जायेंगे?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फर्रुखाबाद के अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षकों के पेंशन पुनरीक्षण में हुई विलम्ब पर चिन्ता

143—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षकों को पेंशन पुनरीक्षित करने का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

दिनांक 31-8-90 तक पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं।

किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में प्रस्तावित मार्गों के निर्माण की मांग

144—श्री नजमुद्दीन—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 274 नवाबगंज विधान सभा क्षेत्र, इलाहाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने मार्ग प्रस्तावित हैं और वर्ष 1989-90 में उन पर कितना कार्य पूरा कर लिया गया है? कितना कार्य शेष है? शेष कार्य कब तक पूरे करा दिए जायेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

274 नवाबगंज विधान सभा क्षेत्र, इलाहाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में कुल 19 मार्गों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ।

वर्ष 1989–90 में इन मार्गों पर 0.7 कि0मी0 लम्बाई में मिट्टी, 8.5 कि0मी0 लम्बाई में खड़ंजा, 3 कि0मी0 में द्वितीय सतह तक लेपन एवं 25 नं0 पुलिया के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है ।

3.5 कि0मी0 में मिट्टी, 13 नं0 पुलिया, 1.6 कि0मी0 में खड़ंजा, 0.5 कि0मी0 में मध्य सतह, 1.5 कि0मी0 में ऊपरी सतह, 1.5 कि0मी0 में प्रथम सतह लेपन तथा 2.50 कि0मी0 में प्रथम सतह लेपन तथा 2.50 कि0मी0 में द्वितीय सतह लेपन का कार्य शेष है ।

शेष कार्य को पूरा कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

145—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

[दि0 18-6-90 को अता0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का मूल्यांकन

146—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अच्छा कार्य करने हेतु 30-4-90 तक कितने प्रधानों को पुरस्कृत किया गया और कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद शाहजहांपुर में किसी भी प्रधान को पुरस्कृत नहीं किया गया । 4 ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दूबेपुर, ग्राम इमिलियाकलां में पंचायत भवन बनाये जाने की मांग

147—श्री मुईद अहमद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 11 फरवरी, 1990 को जिला पंचायत राज अधिकारी, सुल्तानपुर को ग्राम इमिलिया कला, विकास खण्ड दूबेपुर, जिला सुल्तानपुर में पंचायत भवन बनाने हेतु कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जिला पंचायत राज अधिकारी, सुल्तानपुर के स्तर से अब तक पंचायत भवन निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी हां ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा

माननीय विधायक के पत्र दिनांक 11-2-90 की प्राप्ति के समय पंचायत भवन निर्माण हेतु धन जिला पंचायत राज अधिकारी के पास अवशेष नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एवं नगर सुल्तानपुर में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने का प्रस्ताव

148—श्री मुईद अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, सन् 1986 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए राजकीय महिला डिग्री कालेज, सुल्तानपुर नगर में खोलने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार तत्कालीन मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार सुल्तानपुर में महिला डिग्री कालेज वर्तमान शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में खुलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

घोषणा की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्नगत विषय में प्राप्त एक सन्दर्भ पर स्पेशल सर्विसेज इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की बैठक दिनांक 7-11-89 में विचार किया गया । किन्तु बोर्ड ने प्रश्नगत महाविद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं आया और प्रस्ताव को अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति की ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रामनगर रेंज, जनपद वाराणसी में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुई वित्तीय अनियमितता

149—श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि रामनगर रेंज, जनपद वाराणसी में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में हुई वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत पर जांच की गई ? यदि हां, तो कुल कितने रुपये का गपला किया गया ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां ।

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग के अन्तर्गत रामनगर रेंज नहीं है परन्तु उक्त प्रभाग के अन्तर्गत मुगलसराय यूनिट है जिसके अन्तर्गत रामनगर का कुछ भाग आता है, जिसमें विगत तीन वर्षों में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच की गई ।

लगभग ग्यारह लाख रुपये की गड़बड़ी अनुमानित है ।

जी हां ।

सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा गया है । एक कनिष्ठ वन राजिक, तीन वनविदों एवं एक वन प्रसार कर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद प्रतापगढ़ में लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण संबंधी नीति

150—श्री संगम लाल शुक्ल—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता एक जिले में सामान्यत: कितने साल रह सकते हैं ? क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ जनपद में तमाम अवर अभियन्ता पांच साल से ज्यादा समय से हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सामान्यत: 5 वर्ष तक ।

जी हां ।

कुछ अवर अभियन्ता संघ के पदाधिकारी हैं तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्यरत हैं ।

जनपद देवरिया के ब्लाक भाटपाररानी, भटनी एवं बनकटा में ग्रामीण अभियन्त्रण द्वारा बनाये जा रहे मार्गों का विवरण

151—श्री हरवंश सहाय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत भाटपाररानी, बनकटा तथा भटनी ब्लाकों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा किन-किन सड़कों पर वर्ष 1990 में काम चालू है ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे तथा उन पर कितना धन खर्च होने वाला है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

देवरिया जनपद के अन्तर्गत भाटपाररानी, बनकटा तथा भटनी विकास खण्डों में निम्न सड़कों पर वर्ष 1990 में काम चालू है :—

(1) अकटही से होते हुए बिहार सीमा तक
(2) भटनी भिगारी मार्ग से कुकुरघाटी गांव
(3) खामपार—बागरबारी सरया मार्ग
(4) भटनी—भवानी छापर मार्ग से बगरा तक
(5) फतेहपुर महुरांव मार्ग
(6) भटनी मेंगासी मार्ग से घाटी अलावपुर मार्ग
(7) नुनखार भटनी मार्ग से सिसई चौराहे से जुआफर मार्ग
(8) डेमुसार से सयबारी मार्ग ।

उक्त कार्य मार्च, 1991 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है तथा उन पर 8.97 लाख व्यय होना सम्भावित है ।

जनपद बांदा के थाना एवं ग्राम कालिंजर में कार्यरत अनरक्षक श्री गया प्रसाद तिवारी के विरुद्ध पेड़ों के अवैध कटान की शिकायत

152—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दि0 6-3-90 का पत्र जनपद बांदा, थाना कालिंजर, ग्राम कालिंजर के नागरिकों द्वारा कालिंजर वन क्षेत्र में कार्यरत वन

रक्षक श्री गया प्रसाद तिवारी द्वारा कर रहे पेड़ों की अवैध कटाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो किस उच्च अधिकारी ने इस प्रकरण की जांच की और दोषी वन रक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां ।

सम्बन्धित वनरक्षक श्री गया प्रसाद तिवारी को कालिंजर राजि से कर्बी राजि में स्थानान्तरित करके, शिकायती पत्र पर जांच का कार्य श्री पी0 एन0 राय, एस0 डी0 ओ0, कर्बी, बांदा को सौंप दिया गया है ।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी में बिज्जूपुरवा के पास खड्डी नाला में पुल बनाये जाने के प्रस्ताव का आंकलन

153—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दि0 6-3-90 का पत्र श्री राम गुलाम, ग्राम प्रधान ग्रा0 नीबी, ब्लाक नरैनी, जनपद बांदा पत्र के साथ बिज्जू-पुरवा के पास खड्डी नाला में पुल बनवाने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पुल का विस्तृत प्राक्कलन क्या है ? क्या कई गांवों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब पुल का निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

पुल की अनुमानित लागत लगभग 40.00 लाख रुपये होगी ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पुल का निर्माण कराया जाना भविष्य में धन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक पिंडरा अन्तर्गत गोहरा—घोघरी मार्ग पर सोलिंग कार्य कराये जाने की मांग

154—श्री ऊदल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी ने अपने पत्र संख्या 1012/89-90/दिनांक 8-9-89 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी को गोहरा—घोघरी मार्ग पर सोलिंग कार्य किये जाने के सम्बन्ध में लिखा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर दो किलोमीटर की सोलिंग कार्य कब तक किया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग जिला योजना के अन्तर्गत आता है । अतः इसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

मोहन मीकिन्स, गाजियाबाद द्वारा आपूर्ति किये गये शराब का सत्यापन

155—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोहन मीकिन्स, गाजियाबाद ने 1987-88 से 1989-90 तक प्रदेश से बाहर कितनी शराब की आपूर्ति की है ? क्या उक्त आपूर्ति का सत्यापन हो चुका है ? अगर नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सर्वश्री मोहन मीकिन्स, गाजियाबाद द्वारा वर्ष 87-88 से 89-90 तक प्रदेश के बाहर भारत निर्मित विदेशी मदिरा/साधारण आसव के रूप में कुल 87,92,207.5 (सत्तासी लाख बान्बे हजार दो सौ सात दशमलव पांच) अल्कोहल लीटर शराब का निर्यात किया गया है ।

पारेषण/पास सं0 400, दिनांक 18-8-87 को छोड़कर समस्त पारेषणों के पासों का सत्यापन हो चुका है । पास सं0 400 दिनांक 18-8-87 जिसके अन्तर्गत 2311.1 अल्कोहल लीटर शराब मध्य प्रदेश भेजी गयी थी, निर्धारित अवधि 90 दिन में सत्यापनोपरान्त वापस प्राप्त न होने पर उसमें निहित आबकारी अभिकर आसबक से वसूल कर ली गयी है ।

156—श्री निरवेन्द्र कुमार—

[4थे सोम में अता0 प्र0 सं0 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

157—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दि0 18-6-90 को अता0 प्र0 सं0 74 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद के तहसील बीकापुर में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितता की शिकायत

158—श्री बलवीर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम प्रधान बकचूना, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में वहां के ग्राम वासियों का कोई शिकायती पत्र माह फरवरी, मार्च, 1990 में एस0 डी0 एम0 बीकापुर, जनपद—फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

159—160—श्री दया शंकर—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाये गये]

सा0 नि0 वि0 अस्थायी खण्ड, शिकोहाबाद के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये घोटाले के आरोप की जांच

161—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी खण्ड, शिकोहाबाद के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लाखों रुपये के घोटालों एवं गबन के सम्बन्ध में सांसद श्री राम सिंह शाक्य, इटावा का शिकायती पत्र दिनांक 10-4-90 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मा0 सांसद श्री राम सिंह शाक्य का दिनांक 10-4-90 का नहीं बल्कि दिनांक 8-4-90 का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर जांच करने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अवध वन प्रभाग, लखनऊ रेंज कार्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान यात्रा-भत्ता दिये जाने का औचित्य

162—श्री राय लक्ष्मी नारायन सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध वन प्रभाग लखनऊ रेंज कार्यालय के दैनिक वेतन कर्मचारियों को अधिष्ठान के कर्मचारियों के बराबर यात्रा-भत्ता सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ? क्या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उक्त सुविधा देने के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां ।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-172/दस-80, दिनांक 16-5-80 में की गई व्यवस्था के अनुसार दैनिक वेतन कर्मचारियों को शासकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर जाने पर नियमित कर्मचारियों की तरह यात्रा-भत्ता की सुविधा अनुमन्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवध वन प्रभाग, लखनऊ के अंतर्गत मोहनलाल गंज रेंज के कमाण्ड परिसर के कर्मचारी आवासों की बाउण्ड्रीवाल नियमानुसार न बनाये जाने की शिकायत

163—श्री राय लक्ष्मी नारायन सिंह—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि अवध वन प्रभाग लखनऊ के अंतर्गत मोहनलालगंज रेंज के, रेंज कम्पाण्ड परिसर के कर्मचारी आवासों की बाउन्ड्री वाल के निर्माण का कार्य मार्च/अप्रैल 90 में नियमानुसार बीट प्रभारी से न कराकर बाहरी व्यक्ति से कराया गया है ? यदि हां, तो विभागीय नियमों के अनुसार उक्त निर्माण कार्य कराने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद अहलम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् मुरादाबाद के मृत लिपिक श्री भाग सिंह के एवज में उनके पुत्र को नौकरी में लेने एवं उनके बकाये की अदायगी

164–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि स्व0 श्री भाग सिंह तोमर लिपिक जिला परिषद् मुरादाबाद का देहान्त 4 अप्रैल, 1973 को हो गया था किन्तु अभी तक उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य लाभों का भुगतान नहीं हुआ है और न ही, उनके स्थान पर उनके पुत्र को नियुक्ति मिली है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उनके सेवा निवृत्ति संबंधी लाभों के भुगतान एवं पुत्र की नियुक्ति के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

श्री भाग सिंह तोमर लिपिक जिला परिषद् मुरादाबाद का देहान्त 5 अप्रैल, 1973 को हो गया था । उनकी पत्नी श्रीमती कलावती को पेंशन व आनुतोषिक (सेवा उपादान) आदि का समस्त भुगतान जिला परिषद् मुरादाबाद द्वारा किया जा चुका है तथा कोई धन भुगतान के लिए अवशेष नहीं है । स्व0 श्री भाग सिंह तोमर के पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल सिंह वैक्सीनेटर के पद पर जिला परिषद् में कार्यरत है ।

जनपद ललितपुर के महरौनी वि0 स0 क्षेत्र में मदनपुर मडावरा रोड के निमटौरिया तक के मार्ग को न बनाये जाने का कारण

165–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988–89 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक विधायक की संस्तुति पर 10 किलोमीटर सड़क उसके क्षेत्र में बनवाने हेतु जिला के अधिकारियों को आदेश दिये गये थे? क्या महरौनी क्षेत्र जनपद ललितपुर के विधायक द्वारा मदनपुर मडावरा रोड से ग्राम नीमटौरिया (विरौदा) तक 3 कि0 मी0 तथा सौरई से ठनगना मडावरा ब्लाक की 7 कि0 मी0 सड़क को बनाये जाने की संस्तुति की गयी थी यदि हां, तो उक्त सड़क को अभी तक न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? यह मार्ग कब तक बना दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

जी हां, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी । ये मार्ग जिला सेक्टर के अंतर्गत आते हैं । भविष्य में भी इसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्माणाधीन भवनों का विवरण

166—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय विधान सभा क्षेत्र कटेहरी जनपद फैजाबाद में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा फैजाबाद के पास कितनी इमारतें कब से निर्माणाधीन हैं और इन सभी कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

विधान सभा क्षेत्र कटेहरी जनपद फैजाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फैजाबाद के पास 13 इमारतें निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 1 भवन वर्ष 1984-85 से, 3 भवन वर्ष 1987-88 से, 8 भवन 1988-89 से तथा एक भवन 1989-90 से निर्माणाधीन हैं । इनमें वर्ष 1984-85 का एक भवन तथा 1987-88 का एक भवन विवादग्रस्त है । विवादग्रस्त दो भवनों का विवाद समाप्त होने पर पूर्ण कराने की कार्यवाही की जायेगी । शेष निर्माणाधीन 11 इमारतों को वित्तीय वर्ष 1990-91 के अंत तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है ।

167—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित ग्राम हींडी पकडिया में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फैजाबाद द्वारा निर्माणाधीन मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य काफी दिनों से निर्माण स्थल को विवादित बताकर रोक दिया गया है जबकि उक्त स्थान के बारे में उप संचालक चकबन्दी फैजाबाद के न्यायालय से मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के पक्ष में अन्तिम रूप से निर्णय हो चुका है ? यदि हां, तो निर्माण में विलम्ब के लिये कौन दोषी है और उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

ग्राम वासियों द्वारा विवाद खड़ा किया गया था जो अब भी बना हुआ है अतः विवाद समाप्त होने पर अथवा निर्विवाद भूमि उपलब्ध कराने पर निर्माण कार्य कराया जा सकता है । निर्माण में विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं है ।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में कस्बा गौर से हलुवा बाजार सौउडीह अधूरे मार्ग को पूर्ण दिखाकर भुगतान लिये जाने की शिकायत

168—श्री कृष्ण किंकर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज बस्ती के अन्तर्गत कस्बा गौर से हलुवा बाजार सौउडीह मार्ग पर वर्ष 1980 से अब तक कितने किलोमीटर गिट्टी बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है और कितना किलोमीटर शेष है ? क्या सरकार को जानकारी है कि शासन द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृत मार्ग पर गिट्टी के उपरान्त डामरीकरण तथा सेलिंग का कार्य नहीं किया गया और इस मार्ग का निर्माण पूर्ण मानकर संबंधित अभियन्ताओं ने ठेकेदारों का पूरा भुगतान भी

कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इसकी तकनीकी जांच कराकर संबंधित अवर/सहायक/अधिशासी अभियन्ता को दण्डित करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

हलुवा बाजार सौउडीह मार्ग की पूरी लम्बाई 13 कि0 मी0 है और इस पूरी लम्बाई में गिट्टी बिछाने (खड़ंजा सेलेपन) का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है । अतः कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि कार्य स्वीकृत नहीं है । अतः इस पर गिट्टी के उपरान्त डामरीकरण तथा सोलिंग का कार्य कराने या ठेकेदारों को भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के ग्राम सभा उमटी में एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की मांग

169—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा उमटी पो0 पुलिया जनपद मऊ में प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय से पत्र दिनांक 29-1-90 पत्रांक 3541/ईएम/90 बी0 आई0 पी0 जो शिक्षा निदेशक बेसिक को भेजा गया है पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

ग्राम सभा उमटी के एक किलोमीटर के अन्दर एक अन्य स्कूल पहले से ही होने के कारण उमटी में प्राइमरी स्कूल खोलना सम्भव नहीं है ।

जनपद देवरिया में नदावर घाट के सलेमपुर के पथकर ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध समयावधि एवं 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी समाप्त करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

170—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कुंवर भरत जी, नदावर घाट सलेमपुर, देवरिया पथकर की ठेकेदार के अनुबन्ध की समयावधि समाप्त कर दस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी समाप्त करने संबंधी पत्र आपके कार्यालय से दिनांक 19-1-90 पत्रांक सी0 एम0 (वि0 को0) एम-1-ब/32-34/90 जो लोक निर्माण मंत्री को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

ठेकेदार का तद्विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-1-90 मुख्य मंत्री कार्यालय से दिनांक 19-1-90 के बजाय दिनांक 12-1-90 को लोक निर्माण मंत्री को प्राप्त हुआ था ।

ठेकेदार की प्रार्थना पट्टे की शर्तों, जिसके आधार पर रजिस्ट्री करायी गयी थी, के अनुरूप न होने के कारण अस्वीकार कर दी गयी ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में वर्ष 88 एवं 89 के मध्य नियुक्त परीक्षकों को भुगतान किए गये पारिश्रमिक का ब्यौरा

171—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विश्व विद्यालय जौनपुर में अक्टूबर, 88 से दिसम्बर, 89 के मध्य मुरादाबाद एवं बरेली जनपदों से कितने परीक्षक विषय विशेषज्ञ बोर्ड आफ स्टडीज के सदस्य एवं रिसर्च डिग्री कमेटी के बाह्य सदस्य नियुक्त किए गए ? उन्हें पारिश्रमिक एवं यात्रा भत्ता के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में अक्टूबर, 88 से दिसम्बर, 89 के मध्य 69 अध्यापक/विशेषज्ञ पूर्वांचल विश्वविद्यालय से विभिन्न महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा आदि के लिए तथा परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन तथा मौखिक परीक्षा आदि के लिए 135 परीक्षक उक्त अवधि में नियुक्त किए गए ।

उन्हें पारिश्रमिक के रूप में रु0 58,042.31 पैसे तथा यात्रा भत्ता के रूप में रु0 33,526.90 पैसे का भुगतान किया गया ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर के ग्राम जलालपुर से खण्डर मार्ग पर ग्राम गठियारंगी में बाईपास बनाने की मांग

172—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर के ग्राम जल्लापुर से खन्डर मार्ग पर जो लोक नि0 वि0 की सड़क बननी है उस पर ग्राम गठियारंगी में बाईपास न बनने से निर्माण दो वर्षों से रुका है? यदि हां, तो बाई पास निर्माण हेतु क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

बाईपास के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति का प्रस्ताव विचाराधीन है । भूमि अधिग्रहण हो जाने पर ही बाईपास के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा ।

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड अमानीगंज के ग्राम प्रधान पूरा, श्री जगन्नाथ सिंह द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग के विरुद्ध शिकायत

173—श्रीमती सावित्री देवी—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बाबूलाल अनुसूचित जाति तथा श्री रामगोपाल वर्मा पिछड़ी जाति आदि निवासी ग्राम-पूरा उर्फ सुमेरपुर, विकास खण्ड अमानीगंज (खण्डासा) तह0-बीकापुर, जनपद-फैजाबाद का ग्रा0 प्रधान श्री जगन्नाथ सिंह द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त 37000 रु0 के

दुरुपयोग एवं गबन किए जाने के संबंध में क्षेत्रीय सांसद श्री मित्रसेन यादव के पत्र के साथ दिनांक 14-3-90 को मा0 ग्राम्य विकास मंत्री उत्तर प्रदेश तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, सदस्य, वि0 सभा की संस्तुति के साथ दिनांक 20-3-90 को जिलाधिकारी फैजाबाद और श्री मित्रसेन यादव के पत्र के साथ ग्राम्य विकास सचिव उ0 प्र0 शासन को दिनांक 31-3-90 को एवं श्री विश्वनाथ स0 वि0 स0 के पत्र सं0-1119ट्ज0द0/90/2-4-90 के द्वारा मा0 विकास मंत्री उ0 प्र0 को शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो पत्र के प्रत्येक बिन्दु पर जांच आख्या क्या है और उक्त जांच आख्या के आधार पर उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध कौन-कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

पत्र दिनांक 14-3-90, दिनांक 31-3-90 तथा 2-4-90 शासन को प्राप्त हुए हैं जिन पर जांच करायी जा रही है। आख्या प्रतीक्षित है।

174—श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

[3रे शुक्र में अता0 प्र0 सं0 101 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ में नये विकास खण्डों के सृजन की मांग

175—श्री महेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में नया ब्लाक बनाने के विषय में शासन की क्या नीति है ? क्या जनपद पिथौरागढ़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए शासन तहसील गंगोलीहाट में गड़ाई तथा तहसील चम्पावत में तामली को ब्लाक बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो शासन कब तक इस पर निर्णय ले लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

विकास खण्डों के सृजन के संबंध में शासन ने यह नीति निर्धारित की है कि पूर्व सृजित विकास खण्डों में साज-सज्जा की पूर्ति होने तक नये विकास खण्डों का सृजन न किया जाय । भारत सरकार ने वर्ष 1991 की जनगणना कार्य को सही ढंग से सम्पादन के हित में राज्य की किसी भी प्रशासनिक इकाई की सीमा में जून, 91 तक परिवर्तन न करने के निर्देश दिये हैं । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में नये जनपदों/तहसीलों/विकास खण्डों आदि के सृजन एवं पुनर्गठन के संबंध में संस्तुतियां देने हेतु एक समिति बनायी है जिसकी संस्तुतियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं । अतएव किसी भी विकास खण्ड के सृजन/पुनर्गठन पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है ।

जनपद मथुरा में माट में यमुना नदी पर वृन्दावन पुल के निर्माण का प्रस्ताव

176—श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में माट में यमुना नदी पर वृन्दावन पुल स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या इस पुल पर कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा तथा उसे पूर्ण होने की क्या अवधि होगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्नगत पुल का विस्तृत सर्वेक्षण एवं प्रतिरूप अध्ययन स्वीकृत किया गया है।

सर्वेक्षण कार्य जून 1990 में प्रारम्भ हो गया है।

सर्वेक्षण एवं प्रतिरूप अध्ययन के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा जिसके पूर्ण कराने की कोई निश्चित अवधि इंगित करना अभी सम्भव नहीं है।

177—श्री किशन सिंह तड़ागी—

[दि0 22-6-90 को अता0 प्र0 सं0 171 द्वारा उत्तरित]

178—श्री प्रागी लाल अहिरवार—

[4थे गुरु में अता0 प्र0 सं0 113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चमोली में बेसिक शिक्षकों के खाली पदों के भरने की कार्यवाही

179—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में बेसिक शिक्षा में 1 फरवरी, 1990 तक अध्यापकों के कितने पद रिक्त थे? इन रिक्तियों को भरने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

419 पद रिक्त थे।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) को मामले का पूर्ण परीक्षण करके आवश्यक प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु निर्देश दे दिया गया है।

यमुना पार नदी पर शेरगढ़ नोहझील मार्ग पर पुल बनाये जाने का प्रस्ताव

180—श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यमुना पर शेरगढ़ नोहझील मार्ग पर पुल का निर्माण प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक उक्त पुल के निर्माण की स्वीकृति दे दी जायेगी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के पहाड़ी ग्रामों में बोरिंग के लिए रिंग मशीनों की आपूर्ति

181—श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को प्रश्नकर्ता का मार्च, 1990 में लिखा एक पत्र जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के पहाड़ी ग्रामों जौताना, मंडी मिर्जा खां, भोपुर खेड़ाजाट आदि में पत्थर तोड़ मशीनों द्वारा सफल छिद्रणों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां । इस समय सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये जनपद आगरा हेतु 2 डी0टी0एच0 रिग मशीनों की व्यवस्था किया जाना सम्भव न होगा । प्राइवेट रिग मशीनों से की गई बोरिंग पर अनुदान अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित दरबन झील को पक्षी विहार केन्द्र बनाये जाने की मांग

182–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित दरबन झील को पक्षी विहार केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए काफी समय से प्रस्ताव विचाराधीन है और पिछले पांच वर्षों में इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता, क्षेत्रीय जनता तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद के कई पत्र शासन और पर्यटन विभाग को आ चुके हैं? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित दरबन झील को पक्षी बिहार केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव वन्य जीव परिरक्षण संगठन के विचाराधीन नहीं है ।

इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 27-10-1988 तथा श्री छेदी सिंह, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस सेवा दल, फैजाबाद का पत्र दि0 15-11-88 प्राप्त हुये । झील का क्षेत्रफल लगभग 110 हेक्टेयर है जिसमें लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र जलकुम्भी से भरा हुआ है । झील पर स्वामित्व ग्राम समाज का है राजस्व विभाग द्वारा मछली पकड़ने का ठेका कोआपरेटिव सोसाइटी को लीज पर दिया गया है, जिसे समाप्त किया जाना कठिन होगा । इस झील के एवं आस-पास के वृक्षारोपण के लिये लगभग तीन करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी । उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये दरबन झील को पक्षी विहार बनाना संभव नहीं है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज 27 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्न 7 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी हैं । मैं इन सात माननीय सदस्यों के नाम पढ़े देता हूं (1) श्री अमरनाथ यादव (2) श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (3) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (4) श्री रविदास मेहरोत्रा (5) श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे (6) श्री हरवंश सहाय (7) ठा0 वीरेन्द्र सिंह (सहारनपुर) । सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्वीकार तो हैं सभी को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

सभी उपस्थित हैं यहां?

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है। मैं देख लेता हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री अमर नाथ यादव, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे, श्री हरिवंश सहाय, श्री वीरेन्द्र सिंह (सहारनपुर) के नाम पुकारे जाने पर श्री अमर नाथ यादव व श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल अनुपस्थित थे)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, हाजिरी कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जानना जरूरी है । जो सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं, उनकी सूचनायें पढ़ी हुई मान ली जायेंगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

बाकी क्या हुई?

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप लोग बैठें ।

(निम्न सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सीतापुर डिपो में अव्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[मान्यवर, राजकीय सड़क परिवहन निगम, सीतापुर डिपो में व्याप्त घोर अव्यवस्था से यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं सम्प्रति डिपो में 80 बसें हैं परन्तु औसतन 30 बसें सड़क पर चलती हैं शेष वर्कशाप में बिगड़ी खड़ी रहती हैं । कर्मचारियों की अव्यवस्था के कारण चल नहीं पातीं । स्टेशन पर शादी ब्याह के कारण काफी भीड़ रहती है । परन्तु जलजलाती धूप में यात्री प्रतीक्षा करते हैं, परन्तु बस नहीं आती । सबसे अधिक खराब हालत लखनऊ सीतापुर के बीच यात्रा करने वालों की है । यदि लांग रूट की बसें न हों तो एक भी बस सीतापुर की सवारियों को लखनऊ लाने तथा वापसी हेतु नहीं है । लखनऊ से वापसी में लांग रूट की बसें खाली भले ही चली जायें सीतापुर की सवारियों को नहीं बिठाते सीतापुर स्टेशन पर न तो कैन्टीन है, न पेयजल की व्यवस्था ।

अतः मांग है कि स्टेशन पर पेयजल, कैन्टीन की व्यवस्था हो, 25 नई बसें डिपो में दी जायं । अब तक एलाट बसें ठीक कराई जाएं । तथा लखनऊ सीतापुर के बीच बसों की संख्या बढ़े लखनऊ से सीतापुर की ओर जाने वाली लांग रूट की बसों में सीतापुर के यात्रियों को बैठाने की व्यवस्था हो ।]

लखनऊ शहर में व्याप्त गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि लखनऊ

नोट:–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में व्याप्त पानी के गम्भीर संकट के कारण जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, लखनऊ शहर की आधी जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है निर्धन बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर लगे नलों पर लम्बी लाइनें लग रही हैं कई मुहल्लों में पिछले कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है और अनेकों मुहल्लों में नलों में गंदा और दूषित पानी आ रहा है तथा जल में जिन्दा कीड़े निकल रहे हैं। गन्दा एवं दूषित पानी पीने के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं।

प्रदेश की राजधानी होने के कारण हजारों लोग प्रतिदिन लखनऊ के बाहर से अपने कार्य हेतु लखनऊ आते हैं, उनको भी पानी के लिए कोई प्याऊ न होने के कारण भारी असुविधा उठानी पड़ती है। जलकर में चार गुना वृद्धि करने के बाद भी जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध न होने के कारण जनता में जबर्दस्त रोष एवं असंतोष व्याप्त हो गया है और जनता आन्दोलित हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करके सरकार से मांग करता हूं कि लखनऊ में नये जल संस्थान स्थापित किये जायें तथा खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक करवाकर 50 नये नलकूप एवं एक हजार हैण्ड पम्प लगाये जायें तथा लखनऊ की समस्त जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये जायें।]

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में नहर सण्डीला ब्रांच कट जाने से किसानों की क्षति-पूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे–

[मान्यवर, मैं जनपद हरदोई के अन्तर्गत तहसील सण्डीला में ग्राम ढिकुनी के पास नहर सण्डीला ब्रांच 23-6-90 को कठनई गांव में ही नहर कोठी है मगर वहां अवर अभियन्ता जिलेदार आदि कोई मौजूद नहीं था नहर के फट जाने से हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। फसलें डूब कर नष्ट हो गयीं किसान का बहुत नुकसान हुआ मकान भी गिरने वाले हैं।

अतएव लोक महत्व के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह किसानों को क्षतिपूर्ति दे।]

जनपद देवरिया की प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री पर किसानों के बकाया गन्ने के मूल्य का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरवंश सहाय–

[मान्यवर, देवरिया जिला अन्तर्गत प्रतापपुर सुगर फैक्ट्री के ऊपर गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य और कमीशन पर ब्याज लगभग 14 लाख रुपया से ऊपर बकाया है। वसूली न किए जाने के संबंध में कमिश्नर गोरखपुर, उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में मुकदमा दायर किया। परन्तु तीनों स्थानों से चीनी मिल मुकदमा हार गया और मुकदमा किसानों के पक्ष में रहा। परगना मजिस्ट्रेट सलेमपुर ने अदालत के आदेशानुसार

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

46 व 47 नं0 चीनी का गोदाम सीज किया बाद में 47 नं0 गोदाम खोल दिया गया परन्तु 46 और 47 नं0 गोदाम के बीच दरवाजा है जिसके रास्ते 46 नं0 गोदाम की चीनी बेची जा रही है। जिससे गन्ना किसानों का 14 लाख से उपर का रुपया डूब जाने की संभावना है। वसूली न होने से किसानों के ब्याज का 18 हजार रुपये से अधिक प्रतिमाह का नुकसान हो रहा है।

अस्तु उक्त गम्भीर मामले को सदन के संज्ञान में लाकर माननीय गन्ना एवं राजस्व मंत्री से मांग करता हूं कि चीनी के गोदाम की चीनी नीलाम कर गन्ना किसानों का रुपया दिलाने की कृपा करें।]

सहारनपुर शहर में बन्द पड़े नालों को खोलकर सीवरेज की पानी की निकासी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री वीरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट कर रहा हूं शहर सहारनपुर में मोहल्ला पुरानी मण्डी की ओर से घण्टाघर की तरफ एक मुख्य नाला निकलता है जिसमें से होकर एक बड़ी आबादी का सीवरेज का पानी बहता है। घण्टाघर के पास एक बड़े वृक्ष के गिर जाने से यह नाला बन्द हो गया है जिसके कारण सीवरेज के गन्दे पानी की निकासी बन्द हो गयी है। अब यह पानी इस घनी आबादी वाले इलाके के मकानों के नीचे कहीं खप रहा है यह पानी कहां जा रहा है कुछ पता नहीं है। इससे मकानों को कितनी तथा क्या हानि पहुंच रही है कहा नहीं जा सकता कभी भी किसी भी समय शहर में भयंकर दुर्घटना हो सकती है तथा मकानात ध्वस्त हो सकते हैं।

अतः इस लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि तत्काल प्रभावी कार्यवाही कर इस बन्द नाले को खोलकर सीवरेज के पानी की निकासी का प्रबन्ध किया जाए तथा सम्भावित दुर्घटना से इस क्षेत्र को बचाया जाय।]

प्रदेश में हरिजन उत्पीड़न से घोर असुरक्षा एवं अशान्त वातावरण व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयास

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, 311 में एक प्रस्ताव के तौर पर, प्रस्ताव में अपनी बात रख रहा हूं। प्रदेश में घोर असुरक्षा और अशान्त वातावरण व्याप्त है। मान्यवर, आगरा की घटना लेकर जन आक्रोश व्याप्त है।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप बैठें, आगे आ रहा है।

(श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

आप सब लोग बैठें।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, यह प्रश्न पहले भी यहां उपस्थित किया गया था, इस प्रश्न की गम्भीरता को शासन ने स्वीकारा नहीं है । आज पूरे प्रदेश में हरिजन अपने आपको असुरक्षित पा रहे हैं, आज प्रदेश में तनाव बढ़ रहा है । जाति संघर्ष पूरे प्रदेश के पैमाने पर व्याप्त होने जा रहा है । मैं चाहूंगा सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार इस पर तत्काल वक्तव्य दे । इसकी गंभीरता को स्वीकार करे । आज पूरे प्रदेश के अन्दर हरिजन उत्पीड़न इस सीमा तक हो गया है आप देखें लखीमपुर में हरिजन जलाये जा रहे हैं । इस सदन में मान्यवर, 311 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से मैं चाहूंगा कि सारे कार्य निलम्बित कर इस पर सुनिश्चित चर्चा करायी जाय । क्योंकि पूरे प्रदेश के अन्दर जो हरिजन हैं अपने आपको असुरक्षित पा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मान्यवर, कृपया बैठें ।

श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना—

सरकार तत्काल कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायें इस पर बाद में सुनेंगे ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री सरकार की स्थिति स्पष्ट करें । हरिजनों के अन्दर पूरे प्रदेश के अन्दर असुरक्षा की भावना बढ़ रही है । सरकार क्या प्रभावी कार्यवाही करने जा रही है जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

मान्यवर, आप बैठें । बाद में सुनेंगे ।

नियम 301 की सूचनाओं का समय से उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में अनौचित्य का प्रश्न

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । पहली सूचना श्री पंचानन राय की, दूसरी हृदय नारायण दीक्षित की, तीसरी रघुवर दयाल वर्मा की, चौथी श्री चन्द्रशेखर सिंह, बस्ती की है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, नियम 301 में जो सूचना दी जाती है, उसके प्रति सरकार की तरफ से लगातार उपेक्षा हो रही है । मान्यवर, 15 तारीख को 301 में सूचना दी थी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था पूर्ण ठप्प है, 7 दिन में उसका उत्तर आना चाहिये था, लेकिन 22 तारीख तक उसका उत्तर नहीं आया । कल मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था, वहां सब काम बन्द पड़ा है और बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है, जबकि 22 तारीख को मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे बिजली आपूर्ति की जायेगी । मेरे यहां सगड़ी तहसील में बिल्कुल बिजली नहीं आ रही है ।

आगे सुनिये, पिछले सत्र में 17 मार्च को भी सूचना दी थी, उसके संबंध में संसदीय

कार्य मंत्री ने कहा कि सब उत्तर भेज दिया गया है, लेकिन आज तक मार्च की उस सूचना का उत्तर नहीं आया, इसी तरह 301 की सूचना को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। इस तरह आपकी पीठ के जो निर्देश हैं, उनकी खुली अवहेलना हो रही है। मैं दो बातें जानना चाहता हूं कि जो 301 में विद्युत व्यवस्था के बारे में सूचना उठाई थी, उसकी स्थिति के बारे में कब तक जानकारी करा देंगे और दूसरी जो मार्च के सत्र में 301 की सूचना है, उसका उत्तर कब तक दिलवा देंगे ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, जहां तक 15 जनवरी, 1990 की 301 की सूचना का सवाल है, उसके बाद मार्च में सत्र हो चुका है। जनवरी में जो सत्र हुआ था, उसमें 301 की सूचना का पूर्ण विवरण सदन के समक्ष रखा गया था, तो अगर माननीय सदस्य को कोई प्रश्न उठाना था, तो उस समय उठा सकते थे। मान्यवर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दिनांक 15-1-90 को माननीय पंचानन राय जी ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में भ्रष्टाचार के संबंध में मामला उठाया था, न कि विद्युत व्यवस्था के संबंध में। विवरण से यह भी स्पष्ट है कि सूचना का अन्तरिम उत्तर 22-1-90 को तथा अन्तिम उत्तर 2-3-90 को दिया जा चुका है। जहां तक दूसरे सवाल का संबंध है, दिनांक 7 मार्च की सूचना का उत्तर नहीं मिला, उस सूचना का भी उत्तर 11 जून, 90 को दिया जा चुका है और 27 मार्च को अन्तरिम उत्तर दिया गया था। यह हो सकता है कि माननीय राय साहब अपने घर न जाते हों और उत्तर वहीं भेजा गया हो, या यहां के पते उत्तर भेजा गया हो, और वह यहां न रहे हों। वैसे फिर भी हम इस उत्तर की प्रतिलिपि इनको उपलब्ध करा देंगे।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, 15 जून, 90 को नियम-301 में दिया है, तारीख की गलती टाइपिस्ट ने कर दिया। 15 जून वाली सूचना का 22 तक उत्तर आ जाना चाहिये था, 14 दिन से वहां सब स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं, किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, मान्यवर, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करा दें। बिजली बिल्कुल बन्द है, लोग महाभारत भी नहीं देख सके।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, पंचानन राय जी बहुत ही जागरूक सदस्य हैं। उनको अन्तरिम उत्तर मिल जाना चाहिये, उन्होंने प्रश्न ठीक उठाया है। मैं आज ही सभी विभाग के सचिवों को निर्देश दूंगा कि एक सप्ताह के अन्दर अन्तरिम उत्तर तथा एक माह के अन्दर अंतिम उत्तर मिल जाने चाहिये।

उन्नाव के जिलाधिकारी द्वारा सत्र काल में जिला समितियों की बैठक बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदय नारायण—

मान्यवर, कई बार आपकी पीठ से भी निर्देश जारी हुए हैं और पिछली विधान सभा में भी कई बार इस प्रकार के मौके आये हैं कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो जिला स्तर पर या क्षेत्र समिति की जो बैठकें हो जाया करती थीं, उसके संबंध में यहां पर प्रश्न उठाया गया था तो आपकी पीठ से निर्देश जारी हुए थे कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो जिला स्तर या अन्य कोई ऐसी बैठक, जिसमें विधान सभा के

सदस्य को भाग लेना होता है, ऐसी बैठकें न की जांय । मान्यवर, उन्नाव के जिलाधिकारी ने ऐसी एक बैठक आहूत की है । मैंने जिलाधिकारी से स्वयं अनुरोध किया था । जब उनकी जानकारी में भी तथ्य लाया गया कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो इस प्रकार की बैठक आयोजित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि माननीय सदस्य सदन की कार्य-वाही में व्यस्त रहते हैं । दूसरा, हमारे क्षेत्र असोहा में क्षेत्र समिति की बैठक कांग्रेस (आई) के नेता प्रमुख ने आयोजित की है । कांग्रेस के लोग यह तथ्य तो पहले से ही जानते हैं । हो सकता है अब उनका विश्वास उस व्यवस्था से उठ गया हो । मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप शासन को निर्देशित करें कि इस प्रकार की बैठकों को निरस्त किया जाय और भविष्य में सत्रकाल के दौरान इस प्रकार से बैठकें न की जायं ।

श्री उपाध्यक्ष–

30 जून को तो शनिवार है । शनिवार को हाउस का उपवेशन नहीं होता है, इस लिए उस दिन मीटिंग हो सकती है । इतवार में भी मीटिंग हो सकती है ।

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि यह नियम-300 के अंतर्गत नहीं आता है । दूसरा, यह कि पहले से ही आदेश है कि सत्र के दौरान जिला स्तर की मीटिंगें या अन्य कोई मीटिंग जिसमें सदस्यों को भाग लेना होता है, न की जायं । शनिवार और रविवार को मीटिंग होने के संबंध में पहले से ही कोई रोक नहीं है । 30 जून को चूंकि शनिवार है इसलिए उस दिन मीटिंग हो सकती है । जहां तक 27 तारीख को मीटिंग का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैं आज ही टेलेक्स करवा दूंगा कि इस मीटिंग को निरस्त कर दिया जाय ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, पहले भी कई बार शनिवार को हाउस हुआ है ।

जनपद आगरा में घटित घटना के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आगरा में. . .

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री वर्मा जी इस पर नहीं सुनेंगे । यह नियम-300 के अंतर्गत नहीं आता है ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कहा न कि यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है । नियम-56 जब आयेगा तो उस समय इस आगरा वाले काण्ड पर सुन लेंगे ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा व कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री वर्मा जी, जब मैंने आपकी सूचना को नियम-300 में पढ़ा तो मुझे हंसी आई । आप तो एक विद्वान सदस्य हैं । आपने यह सूचना नियम-300 में कैसे दे दी । कई माननीय सदस्यों ने आगरा वाले काण्ड के संबंध में सूचना दी है । माननीय उप नेता, विरोधी दल ने इस संबंध में कहा है । नियम-56 में इसे सुन लेंगे ।

(लगातार व्यवधान)

अब आप लोग जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा । वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । आप लोग जो नियमों के जानकार हैं, यदि वही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो यह सदन कैसे चलेगा ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

[x x x]

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

[XXX]

(घोर व्यवधान)

श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना–

[XXX]

(श्रीमती प्रेमवती तिवारी एवं श्री भोला पाण्डेय के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री भोला पाण्डेय–

[XXX]

(तेज आवाज में चिल्लाते हुए)

[XXX]

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[XXX]

(घोर व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार–

[XXX]

(श्री शैलेन्द्र कुमार, श्रीमती प्रेमवती तिवारी, श्री प्रमोद कुमार एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काफी सदस्यों के सदन के वैल पर आ जाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं माननीय उप नेता, विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि अपने सदस्यों को शान्त करें।

(कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर से वापस न जाने पर तथा नारे लगाने पर)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को एक बजे अपराह्न तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी ।

1 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ।)

श्री भोला पाण्डेय द्वारा उन्हें सदन में आने से रोकने एवं दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में विशेषाधिकार हनन की सूचना

*श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

यह हरिजन विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें और अपना आसन ग्रहण करें ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जिसके साथ घटना घटित हुई है, आप पहले कृपया उसको सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री शारदानन्द अंचल–

सदन के अन्दर ये लोग [xxx] करते हैं और सदन में [xxx] के बल पर हावी होना चाहते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, भोला पाण्डेय के साथ घटना हुई है, आप पहले उनको सुनें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने मा0 भोला पाण्डेय को बोलने की अनुमति दी है, आप लोग कृपया बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

(श्री शारदानन्द अंचल और अन्य कई सत्ता पक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे जो कि शोर के कारण सुनाई नहीं पड़ रहा था।)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं । मैंने मा0 भोला पाण्डेय को बोलने के लिये कह दिया है ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ये सदन के परिसर के अन्दर [xxx] का काम करने के लिये आये हैं ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर विधान सभा के दायित्व के निर्वहन में बाधा हो तो सदन इस तरह से नहीं चलेगा। आपने मा0 भोला पाण्डेय को बुला लिया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, पूरा सदन चाहता है—

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इनको चुप कराइये।

श्री उपाध्यक्ष–

सभी सम्मानित सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि मैंने माननीय भोला पाण्डेय को बोलने के लिये समय दिया है। विशेषाधिकार के मामले को उठाते हुए इन्होंने सूचना दी है इसलिये मुझे उसको सुनने का मौका दीजिए। कृपया आप लोग बैठ जायं।

श्री शारदानन्द अंचल–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

इसको कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। कृपया आप बैठ जायं।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग बैठ जायं।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप जो कुछ बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। 2-3 माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उसकी ग्राह्यता पर हम सुन रहे हैं। कृपया सुन लेने दें।

(व्यवधान)

*श्री भोला पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में जनतंत्र की रक्षा के लिये, मंहगाई के विरोध में.....

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष, जी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष–

आप का क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप विशेषाधिकार की सूचना पर माननीय सदस्य को सुन रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नोटिस आपको कब मिली है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह माननीय सदस्य की स्वयं की शिकायत है । उनका कहना है कि माननीय सदस्य को सुनने का मौका दिया जा सकता है । चौधरी साहब आप कृपया बैठ जायें । आपका भी कुछ दायित्व है । कृपया सदन को चलने दें । मैं आपको समय नहीं दे रहा हूं । मैंने व्यवस्था दे दी है । कृपया दीक्षित जी आप बैठ जायें । माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है, उस पर सुनने जा रहा हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, जो कुछ कहना होगा वह कह सकते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप नियम 63 को देख लें । . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

दीक्षित जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं । आप हमारी बात को नहीं मान रहे हैं । यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार हनन की सूचना आप को दी है । इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि आप नियम 63 को देख लें । उसमें स्पष्ट है कि किसी सदस्य के अथवा सदन के अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से, किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा, सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा, याचिका द्वारा अथवा समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा । तो मान्यवर, माननीय सदस्य ने शिकायत की है और आप उनको सुन रहे हैं, तो यह तो नियमानुसार है ।

(व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, विशेषाधिकार के प्रश्न पर आपको सुनने का अधिकार है, लेकिन अब तक परम्परा यह रही है कि उसके परीक्षण होने के बाद ही सुना जाता है। नियम 63 में स्पष्ट दिया हुआ है। अगर सदन के समक्ष हुआ हो, तो आप बिना शिकायत के ही उसको सुन सकते हैं। अब नियम 64 को देख लें। जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहें वे सचिव को लिखित सूचना देंगे। यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या विशेषाधिकार हनन का प्रश्न सदन के समक्ष हुआ है। सदन के समक्ष नहीं हुआ है। इसलिये बिना लिखित सूचना के माननीय सदस्य को नहीं सुना जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

नियम 63 के परन्तुक को आप देख लें। आप बिना शिकायत के ही कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, श्री भोला पाण्डे जी सदन में आ रहे थे, कार्यवाही में भाग लेने के लिये आ रहे थे। उन्होंने एक शिकायत की विशेषाधिकार हनन की और आपने उनको सुनने का अवसर दिया। आपका निर्देश हो गया कि भोला पाण्डेय जी बोलें, लेकिन बराबर यह देखा जा रहा है कि जो आप निर्देश देते हैं उसको नकारने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जाता है।

खाद्य तथा रसद मंत्री (दिवाकर विक्रम सिंह)--

नियम 63 और 64 में यह स्पष्ट कहा गया अगर कोई घटना सदन के समक्ष न हुई हो, तो विशेषाधिकार हनन का मामला बिना लिखित सूचना के नहीं उठाया जा सकता है। यह मामला सदन का नहीं है, सदन के बाहर का है।

(व्यवधान)

*नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री इतरुद्द प्रकाश)--

मान्यवर, सदन के जो सम्मानित सदस्य हैं, उनकी अवमानना किसी प्रकार से न हो, इसके लिये विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न हैं। हम सारे सदस्यों की यही इच्छा है कि सदन के बाहर हो या अन्दर सभी को पूरा सम्मान मिले, लेकिन विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की एक प्रक्रिया है और सदन में उसी प्रक्रिया के अनुरूप ही उसको उठाया जा सकता है। नियम 63 और 64 को आप देखें। आप देखें कि सदन के अन्दर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है जो भी कुछ हुआ है सदन के बाहर हुआ है। आपको वह लिखकर दे सकते थे। 11 बजे से यह हो रहा है, यहां सदन में बैठकर लिख सकते थे और आप को दे सकते थे। वह चाहते तो कभी भी लिख कर दे सकते थे। तो मेरा निवेदन है कि जो प्रक्रिया है, उसका पालन करवा लें और उसके बाद यहां प्रश्न को सुनें तो ज्यादा अच्छा होगा और नियमानुकूल होगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, माननीय कारागार और नियोजन मंत्री ने कारागार की तरफ ज्यादा तथा नियोजन की तरफ कम ध्यान दिया। यहां पर प्रश्न यह नहीं है कि विशेषाधिकार की ग्राह्यता है या नहीं। प्रश्न यह है कि जो यहां पर घटना घटी है वह सदन की परिधि के अन्दर हुई है इसलिये आप उन्हें बोलने का मौका दें। माननीय मंत्रियों ने भी देखा और तीन-तीन सदस्य आपके यह कह रहे हैं कि सदन की परिधि के अन्दर यह हुई है। मान्यवर, आप भोला पांडेय को सुन लें, ग्राह्यता पर बोलने दें और तब निर्णय दें। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदन का मतलब सभा मंडप नहीं है। सदन का मतलब माननीय अध्यक्ष का कमरा, सचिव का कमरा, लाबी और गैलरी सभी सदन के अन्दर है। माननीय भोला पाण्डेय जी बोलना चाहते हैं वह दर्शाना चाहते हैं जो उनके साथ दुर्घटना हुई है। वे जो विशेषाधिकार ला रहे हैं वह यह है कि सदन की परिधि के अन्दर आ जाने के बाद उनको जो रोका गया है उसके विरुद्ध वह लाना चाहते हैं। मान्यवर, जब तक आप सुनेंगे नहीं कि यह सदन की परिधि के अन्दर हुआ है या बाहर हुआ है,

तब तक आप कैसे निर्णय देंगे? इसलिए मान्यवर, आप उनको मौका दें । मान्यवर, संवेदना भी दुनिया में कोई चीज होती है । यह सरकार संवेदना विहीन हो गई है । तीन-तीन विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है । यह इनकी संवेदनहीनता का द्योतक है । इस तरह से लाठी-गोली की सरकार इस प्रदेश में नहीं चल सकती है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अपनी बात तोड़ मरोड़ कर रखी । सही बात छिपा गये । नियम 64 में किसी भी हालत में इस तरह की किसी घटना को सुनने का अधिकार इस सदन को नहीं है । जहां तक भोला पाण्डेय जी का सवाल है मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हमारी एक आचार संहिता है उसका हमें परिपालन करना चाहिए । माननीय सदस्य दो सौ लोगों को लेकर अन्दर घुसने का प्रयास कर रहे थे जिन्हें हमारे रक्षकों ने रोका । माननीय भोला पाण्डेय जी को नहीं रोका । . . . (व्यवधान) मान्यवर, इसके बारे में यदि आपकी लिखित सूचना मिलती है तब उसका परीक्षण करके ही उसकी बात सुनी जा सकती है । यही हमारा अनुरोध है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी ग्राह्यता और अग्राह्यता के बारे में माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी को भी सुन लें ।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और दो माननीय मंत्रियों ने सदन के सम्मुख जो भाव व्यक्त किये हैं उनको मैंने बड़ी गम्भीरता से सुना और सम्मानित कांग्रेस पक्ष के लोगों को भी सुना । श्रीमन्, हमारी जो नियमावली है उसमें साफ लिखा है कि यदि कोई बात सदन के सम्मुख हुई हो तब तो लिखित सूचना देने की आवश्यकता नहीं है । भोला पाण्डेय जी के साथ जो बात हुई है वह बाहर हुई है, इसलिए उस पर सदन की अवमानना का प्रश्न ही नहीं है । पूरा सदन इस बात का साक्षी है और आप भी इसके साक्षी हैं कि कोई सदन के अन्दर ऐसी घटना नहीं हुई है । श्रीमन्, नियम 63 और 64 के अन्तर्गत लिखित सूचना की आवश्यकता होती है और तब आप उसका परीक्षण कराते हैं । उसके बाद आप सम्बन्धित सदस्य से पूछते हैं और जवाब लेते हैं । यह प्रक्रिया रही है । यह एक नई प्रक्रिया होगी कि सदन के बाहर घटी घटना को बिना लिखित सूचना को आप ग्राह्य कर लें । सदन के बाहर घटी घटना या सदन की परिधि के अन्दर घटी घटना को आप सदन के समक्ष घटी घटना मान लें तो यह एक नई प्रक्रिया होगी । लिहाजा मान्यवर, इसे आप समाप्त करें और लिखित सूचना का निर्णय लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने ग्राह्यता के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुना । सदन की नियमावली के अलावा यह सदन परम्पराओं, प्रीसीडेंस से भी चलता है । अतः इस तरह की परम्परायें रही हैं, प्रेसीडेंस रहे हैं यदि किसी सदस्य के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है और वह इसे सदन के समक्ष रखना चाहते हैं तो उसकी ग्राह्यता के विषय में सुना जाता रहा है।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कई माननीय सदस्यों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया है आप वर्मा जी बैठ जायं ।

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, मैं सदन में आना चाहता था किसी भी गेट से भीतर नहीं आने दिया चारों गेटों पर पुलिस वाले घेरा लगाकर धक्का मुक्की कर रहे थे मुझे विधान सभा के अन्दर आने से रोका गया मेरे साथ चार पांच विधायक थे । जब मैं वहां से नहीं आ सका तो नीचे सीढ़ी से आ रहा था तो यहां विधान सभा सचिव के कक्ष के पास मुझे रोक दिया गया। इस सरकार के सुरक्षा कर्मी जो वहां पर खड़े थे मेरा गला पकड़ लिया मेरा गला घुटने से बच गया । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री की और इस सरकार की साजिश से विधायकों का अपमान हो रहा है । सदस्यों के जान माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के लोग शांति पूर्ण तरीके से जो आज जनतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है, जो मूल्य वृद्धि हो रही है और जो हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन बाहर कर रहे हैं लेकिन यह सरकार सुनना नहीं चाहती है (व्यवधान) हम सरकार को विज्ञापन देना चाहते थे लेकिन हमारी भावनाओं को यह सरकार दबाना चाहती है, जनतांत्रिक मूल्यों की हत्या करना चाहती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब कृपा कर बैठ जायं ।

श्री विनोद कुमार चौधरी—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का महामंत्री और कांग्रेस का विधायक हूं और विधायक के नाते यहां सदन में आ रहा था । (व्यवधान) मुझे यहां आने नहीं दिया गया यहां पर नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था । मेरे अलावा तीन और विधायक अंदर आना चाहते थे लेकिन उनको भी नहीं आने दिया गया और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया । मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाय विधायकों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है इसकी अवश्य जांच कराई जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा जो इससे सीधे प्रभावित हैं ।

श्री बृजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आ रहा था । बाहर गेट पर लाठी चार्ज हो रहा था मैंने कहा मैं सदन में जा रहा हूं मैं एक सदस्य हूं मैंने परिचय पत्र भी दिखाया लेकिन वहां खड़े पुलिस कर्मियों ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं जा सकते हैं और लाठी चार्ज कर दिया जिससे मेरे हाथ में चोट आई है आप इसे देख सकते हैं।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार—

उनको चोट आई है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो तो आपको बीच में नहीं बोलना चाहिये । मैंने उनको समय दिया है ।

श्री बृजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जहां तक सदन के अंदर आने का सवाल है आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं । मेरे हाथ में चोट लगी है । आप मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न पर व्यवस्था दें ।

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार—

(व्यवधान के मध्य) यहां के सुरक्षा गार्ड और बाहर की पुलिस हम विधायकों को जब्बरदस्ती खदेड़ रही थी और अंदर आने नहीं दे रहे थे (व्यवधान) मुझे समाज कल्याण के बजट पर बोलना था (व्यवधान) आप हमारे संरक्षक हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं । शांति बनाये रखें । (व्यवधान)

विशेषाधिकार के प्रश्न पर माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी । संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं इसलिये आप लोग शांत रहें । (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, तीनों माननीय सदस्यों को हमने और मान्यवर, आपने सुना । मान्यवर, विशेषाधिकार प्रत्येक सदस्य को हमको और आपको प्राप्त है, इसलिये उनके हनन के प्रस्ताव को बहुत ही हल्केपन से न लिया जाये । मान्यवर, तीनों मा0 सदस्यों ने विशेषाधिकार हनन की बात नहीं कही बल्कि दुर्व्यवहार की बात कही है । मान्यवर, हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार उनको सदन के अन्दर आने से नहीं रोका गया बल्कि उनके साथ जो दूसरे लोग आ रहे थे उनको आने से रोका गया और उनको रोकना अनिवार्य था क्योंकि यहां सदन की कार्यवाही चल रही थी । जब बाहर से गुण्डे लाये जायेंगे तो उनको सुरक्षा कर्मी रोकेंगे । यदि उन्हें विशेषाधिकार की इस प्रकार की सूचना देना है तो लिखकर आपको देना चाहिए और उसका आपको परीक्षण करा लेना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं ।

(श्री भोला पाण्डेय, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री विनोद कुमार चौधरी, श्री बृजेन्द्र सिंह, श्री प्रमोद कुमार आदि कई कांग्रेस के सदस्य सदन के तेल में आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम सदन की कार्यवाही 2 बजे (अपराह्न) तक के लिये स्थगित करते हैं ।

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी ।

अपराह्न 2 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

*श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मान्यवर, आगरा में हरिजनों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है । वहां पर हरिजनों पर गोलियां चलाई जा रही हैं । इस तरह से यह सदन नहीं चलेगा . . . .

(श्री प्रमोद कुमार सहित अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

यह विषय पहले भी कई बार उठाया जा चुका है और इस पर श्री सत्य प्रकाश विकल जी की मांग पर चर्चा भी स्वीकृत हो गयी है । इस पर अन्य भी कई सदस्यों ने दिया था । फिर इस पर इस तरह आप लोग बोलकर सदन का वक्त क्यों ले रहे हैं । आप बैठिये, अब हम एजेण्डा से चलेंगे ।

उ0 प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 को वापस लेने हेतु अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"चूंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990, को विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 1990 को पारित किया गया और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, के सम्बन्ध में सचिव, विधान सभा, द्वारा इस सदन को दिनांक 15 जून, 1990 को संविधान के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 150 (1) के अधीन सूचना दी गयी है कि विधान परिषद् की मेज पर रखने से तीन माह की अवधि व्यतीत होने पर भी इसे विधान परिषद् द्वारा वापिस नहीं किया गया है, अतः उक्त अनुच्छेद और नियमों के अधीन उक्त विधेयक इस सदन में लम्बित हो गया है, और

चूंकि उक्त विधेयक के स्थान पर नया विधेयक लाया जाना है, जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी उपबन्ध सम्मिलित होंगे,

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 को वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।"

*श्री प्रमोद कुमार—

मेरा एक इसमें व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें छपा हुआ है-मैं प्रस्ताव करती हूं . . ., इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है । आप व्यवस्था दीजिए कि संसदीय कार्य मंत्री जी महिला हैं या पुरुष हैं । यह सदन नियमों के अधीन और परम्पराओं के अधीन ही चलेगा । जो इसमें लिखा हुआ है मंत्री जी उसको पढ़ेंगे । इसमें लिखा हुआ है कि मैं प्रस्ताव करती हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मुद्रण की त्रुटि है ।

प्रश्न यह है कि "चूंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990, को विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 1990 को पारित किया गया और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, के सम्बन्ध में सचिव, विधान सभा द्वारा इस सदन को दिनांक 15 जून, 1990 को संविधान के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 150 (1) के अधीन सूचना दी गयी है कि विधान परिषद् की मेज पर रखने से तीन माह की अवधि व्यतीत होने पर भी इसे विधान परिषद् द्वारा वापिस नहीं किया गया है, अतः उक्त अनुच्छेद और नियमों के अधीन उक्त विधेयक इस सदन में लम्बित हो गया है और

चूंकि उक्त विधेयक के स्थान पर नया विधेयक लाया जाना है, जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी उपबन्ध सम्मिलित होंगे,

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 को वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (संशोधन) विधेयक 1990 को वापस लेने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "चूंकि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 1990 को पारित किया गया और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, के संबंध में सचिव, विधान सभा द्वारा इस सदन को दिनांक 15 जून, 1990 को संविधान के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 150 (1) के अधीन सूचना दी गयी है, कि विधान परिषद् की मेज पर रखने से तीन माह की अवधि व्यतीत होने पर भी इसे विधान परिषद् द्वारा वापिस नहीं किया गया है, अतः उक्त अनुच्छेद और नियमों के अधीन उक्त विधेयक इस सदन में लम्बित हो गया है, और

चूंकि उक्त विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी उपबन्ध सम्मिलित होंगे,

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।"

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह कि "चूंकि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 1990 को पारित किया गया और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, के संबंध में सचिव, विधान सभा, द्वारा इस सदन को दिनांक 15 जून, 1990 को संविधान के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 150 (1) अधीन सूचना दी गई है कि विधान परिषद् की मेज पर रखने से तीन माह की अवधि व्यतीत होने पर भी इसे विधान परिषद् द्वारा वापिस नहीं किया गया है, अतः उक्त अनुच्छेद और नियमों के अधीन उक्त विधेयक इस सदन में लम्बित हो गया है और

चूंकि उक्त विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी उपबन्ध सम्मिलित होंगे,

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 1990†

शिक्षा मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री पंचायन राय–

मान्यवर, मा0 शिक्षा मंत्री जी ने जो विधेयक पुरःस्थापित किया है या जिस अध्यादेश के स्थान पर यह लाया गया है उसके अनुमोदन का प्रस्ताव मैंने आपको दे रखा है। जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाय तो पहले उस पर सदन की राय ले ली जाय। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यह विश्वविद्यालय के कुलपतियों के संबंध में है। विश्वविद्यालय के कुलपतियों का दर्जा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भी बदतर बना दिया गया है इस अध्यादेश के द्वारा और इस अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक लाया जा रहा है। इसको पुरःस्थापित करने से पहले इसके अननुमोदन की सूचना सदन में पहले ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न पुरःस्थापित करने से रोका नहीं जा सकता। जब पारण के लिये आये तब आप अपनी बात कह सकते हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

---

†दिनांक 30-6-90 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990†

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करती हूं ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 †

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करती हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अतर्गत आज 17 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । जिसमें से 10 सूचनायें चयनित की गयी हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें ।

---

†दिनांक 30-6-90 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले मैं बता दूं कि कौन-कौन सी सूचनायें किस-किस विषय पर हैं ।

पहली सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री कल्यान सिंह की आगरा शहर व देहाती क्षेत्रों में वर्ग संघर्ष के कारण दंगों व पुलिस फायरिंग में 10 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु व सैकड़ों के घायल होने से उत्पन्न अत्यंत गंभीर स्थिति के संबंध में है । श्री प्रमोद कुमार जी ने भी इसी विषय पर सूचना दी है ।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सरकारी एजेंसियों को गेहूं आपूर्ति करने वाले किसानों को चालू सत्र में मूल्य वृद्धि का अवशेष न प्राप्त होने से किसानों में व्याप्त असंतोष के संबंध में है ।

तीसरी सूचना श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा श्री कुंवर सिंह नेगी की जनपद बांदा के अंतर्गत पाठा क्षेत्र के कोल परिवारों की लड़कियों का डाकुओं और सामन्तों द्वारा शोषण किये जाने के संबंध में है ।

चौथी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की हरिजनों की बरात ग्राम रोरा थाना लहचूरा जनपद झांसी से निकलने पर कथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा मारपीट एवं बरात लौटा दिये जाने के संबंध में है ।

पांचवी सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की जनपद इलाहाबाद के हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपये की कथित घोटाले पर पर्दा डालने की नीयत से आग लगाकर अभिलेख नष्ट करने के संबंध में है ।

छठी सूचना श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की जनपद बांदा के माणिकपुर क्षेत्र में अवैध शिकार किये जाने से काले हिरनों की प्रजाति खत्म हो जाने की आशंका के सम्बन्ध में है ।

सातवीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह श्री शिव बहादुर सक्सेना तथा श्री राम सेवक सिंह की प्रदेश में फर्जी स्टाम्प पेपर की बिक्री एवं इस्तेमाल से सरकार को करोड़ों रुपये के नुकसान के संबंध में है ।

आठवीं सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की अपट्रान में करोड़ों रुपये के घोटाले एवं धन के दुरुपयोग किये जाने के संबंध में है ।

नवीं सूचना श्री अमर नाथ यादव की दिनांक 6-6-90 को वाराणसी जनपद में औराई थानान्तर्गत मटकीपुर गांव के कल्लू दुबे की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीट कर हत्या किये जाने के संबंध में है ।

दसवीं सूचना श्री पंचानन राय की लखीमपुर खीरी जनपद के थाना इटौली स्थित ग्राम बाजरखा में चार हरिजनों को जिन्दा जला दिये जाने के संबंध में है ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैंने भी कार्य स्थगन की सूचना दी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना थी, उसको अस्वीकार किया है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मेरी कार्य स्थगन की सूचना बहुत गंभीर विषय के बारे में है ।

(मा0 संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 विकल जी जरा रूक जायं, संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात रखना चाहते हैं, उसको सुन लें तब अपनी बात रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कार्य स्थगन की ग्राह्यता के बारे में तो नहीं कहना चाहते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आगरा के संबंध में जो माननीय सदस्य प्रश्न उठाना चाहते हैं, उसी के बारे में मैं कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने माननीय विकल जी को बुला लिया है, आप पहले विकल जी को सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी, आप पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात सुन लें, बाद में आपकी बात सुनूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आगरा के विषय में परसों भी यहां पर यह प्रश्न आया था, आपने वक्तव्य देने के लिए निर्णय लिया था । इसको मैं बहुत गम्भीर मानता हूं । आज मुख्य मंत्री जी वहां पर, मौके पर गये हैं । हमारा पूरे सदन से अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री जी वहां से निरीक्षण करके आ जायं, कल माननीय मुख्य मंत्री जी भी सदन में रहेंगे और इस घटना पर अपना विचार व्यक्त करेंगे । मेरा अनुरोध है कि आज इसको स्थगित कर दें और इसे कल ले लें ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, वह अपनी जगह पर उचित हो सकती है, लेकिन हम लोग जो सूचना देना चाहते हैं, उसको आज ही सदन में उपस्थित हो जाना जरूरी है । इसलिए आप आज ही हमें सुन लें । यह अधिकार आपका है । आपने माननीय विकल जी को बुला लिया है, आप पहले माननीय विकल जी को सुन लें, उसके बाद हम लोगों को सुन लें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, इस पर वह पूर्ण रूप से चर्चा कराना चाहते हैं । वह शासन की तरफ से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि चूंकि कल फिर सदन का समय बर्बाद होगा, इस सदन के कीमती समय को नष्ट होने से बचाने के लिए यह ठीक रहेगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी के आने के बाद कल इसको ले लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, हरिजनों के उत्पीड़न से संबंधित यह मामला है । विषय की गम्भीरता को देखते हुए वहां की स्थिति का मूल्यांकन करना आवश्यक है । वहां पर हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी स्थल निरीक्षण के बाद आते हैं, वह क्या उत्तर देते हैं, वह अलग बात है । आपके मुख्य सचिव वहां पर गये थे, अभी तक क्या रिपोर्ट रही है, इस विषय की गम्भीरता को आप देखिये, नहीं तो प्रदेश इस आक्रोश से जल जायगा । उस दिन भी विकल जी ने और हम लोगों ने इस प्रश्न को उठाया था । उसकी पृष्ठभूमि पूरे प्रदेश के अन्दर व्याप्त है ।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने ठीक ही कहा है । हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, एक-एक बात के बारे में हम लोगों को जानकारी है । मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और माननीय सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आगरा की संवेदनशीलता को देखते हुए, जो वहां पर प्रशासन शान्ति-व्यवस्था में लगा है, माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गए हुए हैं, इसलिए यहां पर माननीय सदस्य आवेश में आकर ऐसी बात न कर दें, जिससे वहां की स्थिति और गम्भीर हो जाय । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे आज स्थगित कर दें और इस पर कल चर्चा करा लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, मैं आपको सुन रहा हूं, जरा सदन को व्यवस्थित करने दीजिए । वर्मा जी आपका क्या सुझाव था, मैं सुन नहीं पाया ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आगरा की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए और जो प्रशासन वहां की शान्ति व्यवस्था कायम करने में लगा हुआ है, इसको देखते हुए मेरी मांग है कि कल इस पर चर्चा करा ली जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी आ जायं । मान्यवर, विकल जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि इस पर कल चर्चा करा ली जाय ।

(व्यवधान)

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, यह जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा है, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं और मैं यह जानता हूं कि यह बड़ा संवेदनशील विषय है । मैं समझता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं कि अगर इस पर आज चर्चा नहीं होती है तो हमारे प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और सदन स्थिति की जानकारी से वंचित रह जायगा । आज के तीन दिन पहले जब मैं यह प्रस्ताव लाया था तो मुझे खेद है कि उस समय भी संसदीय कार्य मंत्री ने इस विषय को बहुत गम्भीरता से नहीं लिया । मैं कहना चाहता हूं कि आगरा में जो चिंगारी लगी यदि इसे न रोका तो यह आग बनकर पूरे प्रदेश को जला सकती है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस घटना को मैं और सभी माननीय सदस्य तथा शासन भी पूरी चिन्ता के साथ ले रहा है और पूरे सदन की भावना से मैं भी परिचित हूं इसलिए मैं स्वयं इस बात को चाहता हूं कि चर्चा की जाय और चर्चा होगी भी लेकिन चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गये हुए हैं और शासन की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने तथ्य प्रस्तुत किया है कि चर्चा हो, जरूर हो लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी घटनास्थल से लौट आये तो चर्चा हो ।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, पहले आपने मुझे बुला लिया और उसके बाद यह कह रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

विकल जी, मैंने आपसे अनुरोध किया कि जब पूरे तथ्य सामने आ जायेंगे और यह शासन के संज्ञान में भी है, सरकार के संज्ञान में भी है इस मामले की गम्भीरता को सरकार समझ भी रही है, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से यह भी आ गया कि चर्चा करायेंगे तो जब चर्चा स्वीकार कर ही ली और सदन के संज्ञान में बात आ गयी है, घटना का विवरण आ भी गया है शासन के संज्ञान में और चर्चा स्वीकार कर ही ली तो उस पर काहे को बल दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

इस सदन में चर्चा होगी और सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को कोई जानकारी नहीं दी है कि पिछले 2–3 दिनों में वहां क्या हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं (व्यवधान) सैकड़ों लोग वहां पर गये हुए हैं । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह बात सदन के संज्ञान में आये । पूरा आगरा पिछले चार दिन से अनिश्चित कालीन कर्फ्यू की गिरफ्त में है । घटनायें बराबर हो रही हैं । दस से अधिक लोग मर चुके हैं । सेना फ्लैग मार्च कर रही है । (घोर व्यवधान के मध्य) हम चाहते हैं कि यह प्रकरण शासन के संज्ञान में आए, इस मा0 सदन के संज्ञान में आए, ताकि इसकी जानकारी हो सके कि आगरा की वास्तविक स्थिति क्या है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 विकल जी बैठिये ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, अभी मुझे बोलने दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

बोलने का अवसर प्रदान नहीं किया है । मा0 मुख्य मंत्री जी आज ही किसी वक्त आयेंगे । हम इस पर चर्चा करा देंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि हम शासन की मंशा को समझते हैं । हमारा दल पूरी तरह से इस मामले को शान्तिपूर्वक हल करना चाहता है । हम शासन के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी मंशा सुन ली जाय । यह प्रकरण पहले भी आया था और कहा गया था कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति यह रही कि फिर से 4 हरिजनों की हत्या इस शासन की पुलिस ने कर दी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जब चर्चा होगी तो अपनी बात कह लीजियेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उनकी दल की अन्दरूनी लड़ाई के कारण हरिजनों के ऊपर सुनियोजित ढंग से हमले किये जा रहे हैं । प्रधान मंत्री के क्षेत्र में एक हरिजन महिला कुच्ची देवी के साथ बलात्कार हुआ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जब चर्चा हो तो अपनी बात कहें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हम मुख्य मंत्री का इन्तजार नहीं करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

सभी मा0 सदस्यगण बैठ जायं । मा0 मुख्य मंत्री जी आज ही किसी वक्त आने वाले हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें । हमें इस सरकार में विश्वास नहीं है । एक बार यह प्रश्न इस सदन के सामने आया था, उसके बाद से 4 हरिजनों की हत्या हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा स्वीकार तो कर ली है । अब चर्चा होगी . . .

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपको बोलने की अनुमति दी थी, आप बोले नहीं । जब संसदीय कार्य मंत्री बैठे तो आपको बोलने को कहा था । आप बोले नहीं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

(घोर व्यवधान)

माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय विकल जी, माननीय उप नेता कांग्रेस (आई0) ने आगरा की घटना के सम्बन्ध में कुछ चिंता व्यक्त की है, उससे कम चिन्ता हमको नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें । उनकी बात सुनें ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । कृपया करके बैठ जायें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आगरा के संबंध में जो चिन्ता माननीय उप नेता जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी और विकल जी ने व्यक्त की है, उससे कम चिन्ता सरकार को नहीं है । श्रीमन्, शुक्रवार को भी यह घटना सदन के समक्ष आयी थी और हमने कहा था कि स्थिति पर पूरी तरह से नजर है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, शांति बनाये रखें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय मुख्य मंत्री जी मौके पर गये हैं, मौके से स्वयं आने के बाद वे स्वयं स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी सदन का जिम्मेदार व्यक्ति इस घटना का राजनीतिक लाभ न लेने की कोशिश करे । इस घटना में गम्भीरता आयी है । कुछ लोग इस मामले में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, यह सरकार सख्ती से उनसे निपटेगी, उनके साथ कोई रियायत नहीं की जायेगी ।

(घोर व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सरकार सच्चाई को छिपाना चाहती है, मैं निवेदन करूंगा कि समस्त कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय । यह सरकार हरिजनों की हत्यारी है, तत्काल इस पर चर्चा करायी जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह जो घटना घटी, मैं उसके सम्बन्ध में न कहकर दो बातें कहना चाहता हूं । हम आपकी व्यवस्था को शत प्रतिशत स्वीकार कर लेंगे । लेकिन मैं कहना चाहता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, मैंने माननीय गुप्त जी को अनुमति दी है, उन्हें सुन लें । कृपया बैठ जाइये । इस सदन को व्यवस्थित होकर चलने दीजिये । व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती है । एक व्यवस्था का प्रश्न निपटने के बाद दूसरी व्यवस्था की बात उठेगी। आप लोग बैठ जाइये ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं एक विशेष बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आगरा में जो घटना घटी उसके संबंध में कुछ नहीं कहूंगा । आपने एक व्यवस्था दी माननीय वर्मा जी ने कहा माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गए हुए हैं विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखकर, वहां से आने वाले हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं । एक गम्भीर बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन के संज्ञान में यह घटना है, उस घटना के बारे में सरकार पास वही सूचना है जो शुक्रवार तक सदन में आ गयी थी । शनिवार रविवार दो दिन बीच में बीत गये कई घटनायें अपने क्रम में घटीं । इसलिये यह आवश्यक है कि शुक्रवार के बाद विगत दो दिनों में जो घटनायें घटी वह भी सदन के संज्ञान में आ जायं । माननीय विकल जी आगरा के हैं माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी भी पड़ोस के हैं, यह पूरे प्रदेश के जानकार व्यक्ति हैं, पूरी स्थिति से अवगत हैं । दो दिन की जो बातें हैं वह सदन के संज्ञान में आ जायं माननीय मुख्य मंत्री जी आयेंगे तो उनको भी दृष्टि में रख लेंगे उसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो पूछने में आसानी रहेगी । इसलिये मान्यवर, मेरा एक सुझाव है । चूंकि इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावनायें बड़ी उग्र हैं, जातिवाद के कारण, इस सरकार के कारण। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जिन-जिन सदस्यों के नोटिस पर दस्तखत हैं, उन आदमियों को आप संक्षेप में सुन लें ।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन् माननीय सदस्य, सीतापुर इस सम्मानित सदन के कुछ इने-गिने सदस्यों में हैं, जिन्हें नियमावली पर महारत हासिल है । इसलिए उन्होंने न केवल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात का समर्थन ही किया, बल्कि उसका स्वागत भी किया है, क्योंकि चाहे नियम–51 हो, चाहे नियम-56 हो । जब हम कोई सूचना देते हैं, तो हमारे पास जितनी जानकारी होती है, उसके आधार पर सूचना देते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार की तरफ से पूर्ण जानकारी और सरकार का पक्ष सामने आ जाय । श्रीमन्, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि शासन भी इस घटना की गम्भीरता को समझता है, तभी स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी सम्पूर्ण जानकारी लेने के लिए वहां गये हैं, इसलिए उनके आने तक इस पर चर्चा न करायें । जहां तक ग्राह्यता का सवाल है, ग्राह्यता में माननीय सदस्य यही तो साबित करते हैं कि घटना बड़ी गम्भीर है और उसका सुनना बड़ा आवश्यक है । जब संसदीय कार्य मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया और सरकार के आचरण से भी स्पष्ट है तथा स्वयं मुख्य मंत्री घटनास्थल पर गये हुए हैं, ऐसे में ग्राह्यता पर कोई बात कहना ठीक न होगा, क्योंकि प्रेस के माध्यम से या अन्य किसी मीडिया से यह बात प्रचारित हो और कटुता का वातावरण बढ़े, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए । एक बात और कहना चाहता हूं, यह बड़ी गम्भीर घटना है, इस पर हम सब लोगों को दुख है, लेकिन मिलजुलकर सत्य की जानकारी उपलब्ध हो और अपराधी को दण्डित करने का काम होना चाहिए, उसी के साथ-साथ अच्छा वातावरण बनाने की ओर भी अग्रसर होना चाहिए, जिससे भाईचारा स्थापित हो सके । इसलिए चर्चा की जो मंशा होती है, वह जब तक मुख्य मंत्री जी न आ जायें, तब तक इस सरकार की तरफ से भी कोई जवाब साधिकार नहीं दिया जा सकेगा, इसलिये मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कल ही आप लोग इसकी ग्राह्यता पर भी बोल लीजियेगा और मुख्य मंत्री भी सरकारी पक्ष से सारा विस्तृत ब्यौरा दे देंगे तथा वह क्या करने जा रहे हैं, यह भी आप सभी को मालूम हो जायेगा । आज नियम–56 में और दूसरे भी काम हैं, इसलिए मैं सभी सम्मानित सदस्यों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चर्चाओं की जो मंशा होती है, वह तभी पूरी होगी, जब इस पर दोनों पक्ष आ जायें, इसलिए इसको कल के लिए स्थगित कर दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार सच्चाई से भाग रही है ।

श्री राम लखन वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं, कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । मान्यवर, शुक्रवार दिनांक 22 जून को . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसको नहीं ले रहा हूं, कृपया आप बैठें ।

अगली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सरकारी एजेन्सियों को गेहूं आपूर्ति करने वाले किसानों को चालू सत्र में मूल्य वृद्धि में अवशेष न प्राप्त होने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है। श्री गुप्त जी अपनी बात कहें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह सरकार कातिल है, खूनी है। हरिजनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। यह सरकार वास्तविकता का सामना करना नहीं चाहती है। इस पर इसी समय चर्चा की जानी चाहिए।

(माननीय उप नेता, विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय सदस्य को शिष्टाचार सीखना चाहिए। जब आपके नेता खड़े हुए हैं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, अभी सम्मानित सदस्य फैजाबाद के श्री तिवारी जी ने कहा। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी की भावना से सदन का हर सदस्य सहमत है, जिसका पूर्वाभ्यास भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री गुप्ता जी ने किया। एक मूल भावना है, जिसे लेकर सदस्य व्यग्र हैं। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि आपके मुख्य सचिव भी वहां गये, आपके पुलिस विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी भी वहां गये, उनके पास घटना की कोई न कोई सूचना तो होगी ही। उसे सम्मानित सदस्य जानना चाहते हैं। दूसरी चीज यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त किये। आप कार्यवाही में देखें, ऐसी जो घटनायें होती हैं, बड़ी दुखद होती हैं। ऐसी घटनाओं पर चाहे वह इधर के बैठने वाले सदस्य हों, या उधर बैठने वाले सदस्य हों, चिन्तित होते हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील घटना है। यह आगरा शहर में ही नहीं पूरे प्रदेश में व्याप्त हो रही है। उस पर जब माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का यह उद्बोधन होता है कि राजनैतिक लाभ आप लोग लेना चाहते हैं। आप हत्या करायें और हमसे कहें कि आप राजनैतिक लाभ के लिए यह कर रहे हैं। यह कितनी घिनौनी घटना है। प्रदेश में आज हरिजन जलाये जा रहे हैं, हमारे दल के श्री राय साहब ने कहा। प्रदेश के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को यदि हम इस फोरम पर व्यक्त नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, विधान सभा के अन्दर हम प्रदेश की स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं तो फिर किसलिए इस सदन को आहूत किया गया है। आज हरिजन कल्याण का बजट है। हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप उसे हरिजनों के उत्थान में लगायें, उनका विकास हो। मगर हरिजनों के उत्पीड़न में आप इसे लगायें, या उनके साथ व्यभिचार करें, इसे हम सहन नहीं कर सकते हैं। आप पैसा लेने के लिए केवल इस पर मोहर लगवाना चाहते हैं। हरिजनों पर आज बर्बरतापूर्वक तरीके से व्यवहार हो रहा है, हरिजन, निर्बल वर्ग व पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि अब तक की जो सूचनायें हैं, सदन में उपस्थित करें ताकि सदस्य सन्तुष्ट हो सकें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

एक सदस्य–

आपकी व्यवस्था पर बोल रहे हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री की बात पर एक नया बिन्दु उठाया था, मेरी व्यवस्था पर नहीं बोले हैं । एक विशेष बिन्दु पर बोले हैं ।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, यह विषय संवेदनशील है और मैं इस बात से सहमत हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात कही है कि ऐसे कुछ मसलों पर बहुत ही संयम और संतुलन से काम लेने की आवश्यकता है । इस बात से भी सहमत हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, जिनका राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिये । मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने कहां से उद्धृत कर दिया कि कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहता है । मैं नहीं मानता हूं कि यह सब राजनीतिक लाभ लेने के कारण हुआ है । यह हमारी सामाजिक विकृति का कुपरिणाम है । जो सामाजिक विकृति है, जो समाज के थोड़े से लोग ऊंच नीच की, छुआछूत की भावना से ग्रस्त हैं, इसका निदान इस समाज को स्वस्थ रखने के लिये आवश्यक हो गया है । मैं उस सारी घटना की चर्चा नहीं करूंगा । जहां तक इस विषय की गम्भीरता का प्रश्न है, शासन ने स्वीकार कर लिया है कि मामला गम्भीर है, तात्कालिक है, इस नाते से ग्राह्य भी है । आपका कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी आगरा गये हैं और जानकारी करके आयेंगे । कदाचित उसी सन्दर्भ में कहना है कि उसके आधार पर सदन को अवगत करायेंगे । मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें बहुत गहराई के साथ, सभी पक्ष राजनीति से जरा ऊपर उठें वोट की राजनीति से ऊपर उठकर देखें इस सामाजिक विकृति के कारण जो हिंसा भड़क रही है, समाज को तोड़े डाल रही है, काटे डाल रही है, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इसका निराकरण करने के लिये प्रयास करें अन्यथा एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाता रहेगा और समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी, लोग कटते रहेंगे । सदन को एक स्वर से इसकी निन्दा करनी चाहिये, पक्ष और विपक्ष का कोई प्रश्न नहीं है । मैं अपनी भावना व्यक्त करे दे रहा हूं, मैं नहीं जानता कि कितने लोग इससे सहमत होंगे । इस पर आज ही सदन में चर्चा करा दें ऐसी कोई जिद नहीं है लेकिन आप आश्वस्त कर दें कि मुख्य मंत्री जी आज आ जायेंगे और कल प्राथमिकता के आधार पर चर्चा का समय देंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय कल्यान सिंह जी ने जो बात कही उससे मैं किसी हद तक सहमत हूं कि जाति और धर्म के आधार पर जो बातें होती हैं वे नहीं होनी चाहिये और यह घटना भी जाति और धर्म के आधार पर ही घटी है, आगे जानकारी करेंगे तो सच्चाई मिलेगी । जाति और धर्म के आधार पर हिंसा कौन फैलाता है यह माननीय कल्यान सिंह जी भी जानते हैं, सभी जानते हैं । अगर जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव होता

*—वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है तो उससे निपटा जायगा और इस स्थिति को खत्म किया जायगा । स्थिति की गम्भीरता के बारे में मैंने पहले ही निवेदन किया कि मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गये हुए हैं । वहां से उनके आ जाने के बाद, हमारा अनुरोध है कि इस घटना की पूरी जानकारी माननीय सदस्यों को मिलेगी और उस पर उनको प्रश्न करने का मौका भी दिया जायेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि आज इस पर चर्चा न हो ।

(विरोधी पक्ष की ओर से व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, ऐसे एक-एक सदस्य को यदि आप सुनेंगे तो कैसे कार्यवाही चल पायेगी?

श्री उपाध्यक्ष–

अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, कल पूरी सूचना आपको मिलेगी । कल हम प्राथमिकता के आधार पर इसको सुन लेंगे ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शासन के पास अब तक की जो सूचना है, कल इस पर चर्चा हो जायेगी, परन्तु आज जो शासन के पास सूचना है और उसके अनुसार जो वहां घटना हुई है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी है उसको तो आज आप सदन में बतला दें । आपके पास सारे साधन हैं जानकारी प्राप्त करने के लिये, हॉट लाइन है, सारे साधन हैं सम्पर्क स्थापित करने के लिये तो जितनी जानकारी है उसे तो दे दें । मैं सरकार को इसके खिलाफ जो उसने विषय को गम्भीरता से नहीं लिया है, मैं कल फिर चर्चा में भाग लूंगा, लेकिन शासन की इस प्रवृत्ति के साथ, मैं अपने दल के साथ सदन का बाइकाट करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, उप नेता विरोधी दल जो सूचना चाह रहे हैं वह सदन में विरोध पक्ष के नेता हैं इस समय मैं उनका आदर करते हुए संक्षेप में सूचना दूंगा कि दो लोगों की पुलिस की गोली से मृत्यु हुई है और 26 पी0ए0सी0 की व्यवस्था वहां लागू हो चुकी है और अब पूरी स्थिति नियंत्रण में है । हमारा पूरा प्रयास है पहले आप लोग सुन तो लीजिये । मा0 मुख्य मंत्री जी वहां पहुंच गये हैं, इस समय स्थिति नियंत्रण में है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कल जब माननीय मुख्य मंत्री जी आ जायें, आज इस पर चर्चा न हो, मा0 मुख्य मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में रहे, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस पर कल चर्चा करायी जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, मैंने जो पहले ही निवेदन किया था कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी पूरी सूचना सदन में नहीं दे रहे हैं इसलिये कल मैं चर्चा में भाग लूंगा परन्तु इस समय मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(उप नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री सत्य प्रकाश विकल अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे ।)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त बोल चुके हैं, उसके बाद आपके नेता मा0 कल्याण सिंह जी भी बोले । मैं अब आपको अनुमति नहीं दूंगा । नेता भा0ज0पा0 के सुझावों को मैंने स्वीकार कर लिया, अब मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा, कृपया आप बैठें ।

(व्यवधान)

उसके बाद बोलने का प्रश्न नहीं उठता है । यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

आपके नेता कल्याण सिंह जी को मैंने समय दे दिया और उनको सुन लिया है और उनके सुझाव को भी स्वीकार कर लिया है इसलिये आपके बोलने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की पीड़ा सदन में व्यक्त करना चाहता हूं। सदन को यह जानकारी है कि 23 मई को सरकार ने एक अच्छा काम किया था कि गेहूं की खरीद मूल्य में वृद्धि की थी । जिस दिन से वृद्धि की गयी, उस दिन से किसान को गेहूं की कीमत 215 रुपये मिल रही है । मान्यवर, क्रय केन्द्र तो बहुत पहले खुल गये थे और इस वृद्धि के पहले भी किसानों ने गेहूं को बेचा था, जिस की कीमत उनको 200 रुपये प्रति कुन्तल दी गयी । सरकार ने जब यह वृद्धि की तो उस समय यह व्यवस्था की कि जिन किसानों ने इससे पहले गेहूं को बेच लिया है, उनको 15 रुपये अवशेष के दिये जायेंगे । लेकिन आज तक उन किसानों को अवशेष धन दिया नहीं गया है, जिससे उनमें रोष व्याप्त हो रहा है । जितनी भी आपकी एजेंसियां हैं, किसी ने भी अवशेष धन का भुगतान नहीं किया है । इसके कारण मैंने शासन का ध्यान कई बार आकृष्ट कराया है । उस अवशेष के न मिलने के कारण पूरे उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं । सरकार कहती है कि गांव की ओर चलो, लेकिन सरकार खुद ही किसानों का शोषण कर रही है । जिन किसानों को दो सौ रुपया दिया गया, उनको 15 रुपया और मिलना चाहिये, लेकिन सरकार उनको वह अवशेष धन नहीं दे रही है, जिससे किसान परेशान हैं । किसान क्रय केन्द्रों पर अपना गेहूं लेकर जाता है, उसको कोई न कोई आपत्ति लगाकर वापस कर दिया जाता है । इस प्रकार से किसान का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है । इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर चर्चा करायें ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, जो विषय माननीय गुप्ता जी ने उठाया है, वह ऐसा नहीं है जिसमें काम रोक कर चर्चा करायी जाये । मैंने उनको अवगत भी कराया था, लेकिन न मालूम किस कारण से वह इसको यहां पर ले आये । उत्तर प्रदेश में गेहूं की जो मूल्य वृद्धि

हुई है वह 23 मई से हुई है । उसके पहले जितना गेहूं खरीदा गया है वह 200 रुपये प्रति कुन्तल की दर से खरीदा गया है, लगभग 14 लाख 70 हजार टन खरीदा जा चुका है और 1.5 प्रतिशत ही मूल्य वृद्धि के पहले खरीदा गया है । भारत सरकार से अनुमति मिल गयी है कि 1.5 प्रतिशत गेहूं जो मूल्य वृद्धि के पहले खरीदा जा चुका है, उसको भी रु0 215 प्रति कुन्तल की दर से दिया जाये । जो शेष धन है, वह किसानों को भुगतान किया जायेगा । मान्यवर, स्थिति यह है कि भुगतान किस रूप में किया जाय इसके लिये हम भारत सरकार से सम्पर्क बनाये हुये हैं और उनके मार्गदर्शन कर रहे हैं । हम कोशिश कर रहे हैं कि भुगतान जल्दी से जल्दी कर देंगे । जैसे ही भारत सरकार से मार्ग दर्शन प्राप्त हो जायेगा हमें भुगतान करा देंगे क्योंकि इसके लिये अनुमति भारत सरकार ने दी है । जो गेहूं पहले खरीदा गया था उसका भुगतान कैसे किया जायेगा, इसकी प्रक्रिया क्या हो, यह अभी नहीं आया है । हमारे आदमी वहां गये हुये हैं । जैसे ही हमें सूचना मिल जायेगी हम भुगतान करा देंगे ।

(श्री किरनपाल सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना नोटिस में नहीं है । . . . (व्यवधान) आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं । इस पर हम वक्तव्य दिला देते हैं . . .

श्री किरन पाल सिंह–

नोटिस में नाम होने की बात नहीं है । . . .

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर हम वक्तव्य दिला देते हैं । उस समय आप पूछ लें । कोई और बात इस सम्बन्ध में हो आप मंत्री जी के कक्ष में चले जायं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करके आज की कार्यवाही स्थगित करके, उस पर चर्चा कराकर, उसका निराकरण करके दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की आपसे मांग करता हूं ।

मान्यवर, एक तरफ यह सरकार महिलाओं के लिये शौचालय बनाने की बात करती है और वहीं दूसरी तरफ महिला उत्पीड़न इस प्रदेश में आज चरम सीमा पर पहुंच गया है।

मान्यवर, बांदा जनपद में एक पाठा क्षेत्र है, जिसमें कोल जाति के परिवार रहते हैं। इन कोल जाति के परिवारों की लड़कियों को वहां के दादू और डाकू शोषण कर रहे हैं। वहां पर 13/14 वर्ष से ऊपर की लड़कियों, युवतियों और नव बधुओं के साथ जबरन बलात्कार करके ये डाकू और दादू लोग शोषण कर रहे हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं जब कोई महिला अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये पुलिस के पास जाती है तो पुलिस के कर्मी भी वही घिनौना कृत्य इन युवतियों के साथ करते हैं जो डाकू और दादू (सामन्त) लोग करते हैं। कोल जाति की लड़कियों और नव वधुओं के बारे में उस क्षेत्र में यह कहा जाता है कि उन्हें तब तक पवित्र नहीं माना जाता है जब तक कि वह शादी करने के बाद इन डाकुओं और दादुओं सामन्तो के पास नहीं भेज दी जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि वहां पर एक सौंठिया नाम की युवती ने इसके विरोध में आवाज उठायी तो उसे जबरन पकड़ा जाने लगा। वह अपने मायके चली गई। जब उसे वहां भी सुरक्षा नहीं मिली तो उसकी फरियाद लेकर पुलिस के पास गई। किन्तु पुलिस कर्मियों ने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। यह कहा जाता है कि उस क्षेत्र में नई युवतियों की कली तोड़ने और फोड़ने का रिवाज है। इसलिये मान्यवर, इस सरकार से इस बेरहम और घिनौने कृत्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर मैं कार्य स्थगित करके चर्चा की मांग करता हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, बांदा जनपद के शंकरगढ़ से मिला हुआ पाठा क्षेत्र पड़ता है जिसमें कोल जाति के, अनुसूचित जन जाति के लगभग 5 हजार परिवार निवास करते हैं। मान्यवर, वर्षों से आज तक वहां के लोग सामंतों के बंधुआ मजदूर बने हुये हैं और उनकी जो बहुयें हैं वे भी परम्परानुसार शादी के बाद पहली रात सामंतों के पास जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

जो बातें उपाध्याय जी ने कह दी हैं उनको न दोहरायें।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

उनके साथ यौन अत्याचार हो रहा है। वहा डाकू और सामंत मिल कर जनजाति के लोगों को सता रहे हैं और उन पर अत्याचार हो रहा है। आज यहां हरिजन एवं समाज कल्याण का बजट आ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के अपराध हो रहे हैं..

श्री उपाध्यक्ष–

आज बजट पर कह लीजिये। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष जी ने यह सब बातें कह दी हैं। अब जो आप बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। (व्यवधान) आप कृपया बैठें।

श्री कुंवर सिंह नेगी –

[xxx]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप स्वयं सूचना को देख सकते हैं किसी निश्चित घटना की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है एक बात सामान्य रूप से कही गयी है कि कोल परिवार की लड़कियों के साथ दादू और डाकू लोग अत्याचार कर रहे हैं और इस सूचना के साथ अखबार की कटिंग लगाई गयी है तो अखबार की सूचना को आधार नहीं माना जा सकता है । इसके बावजूद हमने बांदा के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दे दिये हैं कि इस तरह की कोई घटना हो तो उस पर सख्ती से कार्यवाही की जाय और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय । यह कोई निश्चित घटना पर आधारित सूचना नहीं है इसलिये यह नियम 56 के अंतर्गत नहीं आती है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कोई निश्चित घटना नहीं है तो वहां पर जो महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनायें होती हैं उसको लिखा नहीं जाता है और कोई महिला जाती है तो एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बजट पर कहें समाज कल्याण का बजट आ रहा है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

इस पर चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें (व्यवधान) अब जो आप कहेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

उनकी एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं । अपनी बात कह चुके हैं ।

माननीय प्रागी लाल जी आप अपनी बात कहें । बार-बार वही रिपीट कर रहे हैं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा स्वीकार नहीं की गयी हम अपनी इस भावना के साथ इस बेरहम सरकार की नीति के विरोध में सदन का त्याग करते हैं

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री प्रागी लाल अहिरवार–

मान्यवर, ग्राम रोरा थाना तहचरा जनपद झांसी के जयराम तनय हीरे चमार की लड़की की शादी दिनांक 1-6-90 को थी उसी दिन बारात गांव की आम गली से गुजर रही थी . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप एक मिनट में खत्म करें ।

नोट :–[xx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रागी लाल अहिरवार–

तो जब बारात गिरबर सिंह के मकान के सामने आयी तो गिरबर सिंह ने लड़की सहित व गांव के ठाकुरों के सहयोग से बरातियों के साथ मारपीट की और कहा कि साले चमार अछूत होकर ठाकुरों के द्वारों से बरात निकालते हो और बरातियों को मारपीटकर अपने द्वारों से वापिस लौटा दिया । (व्यवधान) थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी गयी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायं । आपका समय समाप्त हो गया है । संसदीय कार्य मंत्री जवाब देंगे क्या ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने नियम 56 में जिस सूचना का जिक्र किया है उस तरह की कोई घटना झांसी में नहीं घटी है और न पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट ही दर्ज है और न पुलिस अधीक्षक के यहां कोई शिकायत हुई है । हो सकता है कि (व्यवधान) गांव में कोई कहा सुनी हुई हो और मामला रफा दफा हो गया हो । (व्यवधान) मेरे पास कोई इस तरह की घटना की सूचना नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं शासन पक्ष से जवाब को आप लोग सुन लें । उत्तर आप लोग सुनें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, पुलिस थाने में इस तरह की घटना का कोई उल्लेख नहीं है लेकिन नियम 56 में दिया है और इसके अंतर्गत यह मामला नही आता है लेकिन फिर भी हम जांच करवा लेंगे और कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

[व्यवधान के मध्य सुन्दर लाल (बाराबंकी) बोलने लगे ।]

श्री उपाध्यक्ष–

श्री सुन्दर लाल दीक्षित आप बैठ जायं । आप पुराने सदस्य हैं । आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

मैं नेता भारतीय जनता पार्टी, श्री कल्याण सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह इनको (श्री दीक्षित को) बैठा दें । (व्यवधान)

एक सदस्य–

(श्री दीक्षित को) बैठा दें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । अभी हम दीक्षित जी को बिठला चुके हैं । अब यहा कोई व्यवस्था की बात नहीं है । मैंने विद्यार्थीजी को मौका दिया है ।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, इलाहाबाद जनपद के हरिजन कल्याण विभाग में (व्यवधान) इस सदन में चाहे इस दल के सदस्य हों और चाहे उस दल के सदस्य हों, उन सबकी किसी गम्भीर प्रक-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रण पर दलगत राजनीति में पड़कर हमें कोई आचरण नहीं करना चाहिए, जिससे अपराधियों या भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा मिले मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष से कुछ अच्छे कार्य किये जा सकते हैं, उनकी हमें सराहना करनी चाहिए, और कभी-कभी विपक्ष से कोई गम्भीर बात उठाई जाती है तो दलगत राजनीति की बात लेकर उसे दबाने का आप लोगों को प्रयास नहीं करना चाहिए । (व्यवधान) रविवार के दिन साढ़े 10 बजे जनपद इलाहाबाद के हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय की, करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार जहां वर्षों से पनप रहा था, आग लगाकर उसके अभिलेखों को मिटाने का प्रयास किया गया । उससे चाहे छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार के मामले हों या विधवा पेंशन में लूटमार के मामले हों, सदा छिपाने का कुकृत्य किया गया है । इसमें करोड़ों का गोलमाल होने की सम्भावना है । वर्तमान मंत्री जी ने सख्ती से कार्यवाही भी की है । किन्तु मैं चाहता हूं कि इस मामले को बचाया न जाए और उसकी जांच विजिलेंस विभाग से कराई जाए, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए . . (व्यवधान)

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं विद्यार्थी जी ने इलाहाबाद के जिस प्रकरण के सम्बन्ध में आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है । श्रीमन्, उस सम्बन्ध में मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं । माननीय विद्यार्थी जी ने आज ही नहीं वर्ष 88-89 में भी नियम 301 की सूचना के अन्तर्गत यहां करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का मामला अपने ही शासन काल में दिया था और आज भी उस ओर वह सचेत हैं, इसलिए वह बधाई के पात्र हैं । लेकिन उस समय उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, पर आज मैं माननीय सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब मुझे इस मामले की जानकारी मिली है, मैंने अपने निदेशक को घटनास्थल पर भेजा और इस मामले की जांच जिलाधिकारी से करा रहा हूं । जैसे ही रिपोर्ट आएगी, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे । श्रीमन्, जहां श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी जी ने सतर्कता विभाग से जांच कराने की बात कही है, मैं उनकी भावना का आदर करते हुए, इसके आदेश आज ही दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 में जो सूचना आगरा प्रकरण पर माननीय सत्य प्रकाश विकल, श्री कल्याण सिंह और फिर प्रमोद तिवारी ने दी है, उस पर चर्चा स्वीकार कर ली गई है । दूसरी सूचना जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सरकारी एजेंसियों को गेहूं आपूर्ति करने वाले किसानों को चालू सत्र में मूल्य वृद्धि का अवशेष न प्राप्त होने के सम्बन्ध में दी है, उस पर शासन को वक्तव्य के लिए निर्देशित करता हूं ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, जो चार-चार हरिजन जला दिये गये. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं बोल रहा हूं, तो आप बोलें, पंचानन राय जी यह ठीक नहीं है । जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पीठ से निर्णय सुनाया जा रहा है या कोई महत्वपूर्ण मामला है तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए । आप तो पुराने सदस्य हैं ।

श्री पंचानन राय–

आपने व्यवस्था देना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उसके पहले ही खड़ा हो गया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जाएं ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

श्री पंचानन राय–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की गेहूं आपूर्ति के सम्बन्ध में जो सूचना थी उस पर वक्तव्य के लिए निर्देशित करता हूं । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और कुंवर सिंह नेगी की सूचना के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं श्री प्रागी लाल अहिरवार की सूचना के सम्बन्ध में मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दे दिया है । ईश्वर शरण विद्यार्थी जी ने जो मामला उठाया है शासन की ओर से उसका सन्तोषजनक उत्तर आ गया है और जो पांच सूचनायें रह गयी हैं उसमें मैं मा0 पंचानन राय जी से कहूंगा कि अपनी बात एक मिनट में कहें ।

(शोर)

श्री पंचानन राय–

चार हरिजन जलाये गये । ऐसे ही होता रहेगा । इनको अच्छा लगता है । यह शोर मचायें । मेरा तो दिल बैठा जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)–

मान्यवर, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 पंचानन राय की सूचना पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 91–सैनिक कल्याण, अनुदान संख्या 92–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण), अनुदान संख्या 93–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) अनुदान संख्या 99–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,85,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91–सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,99,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92–हरिजन एवं समाज कलोाण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 99,55,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,90,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,27,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

बजट चर्चा विलम्ब से आरम्भ होने पर सदस्यों को बोलने हेतु पूर्व निर्धारित समय दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

सुनाइये पाण्डेय जी ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आप चले जा रहे हैं, सुनेगा कौन ।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 3 बजकर 25 मिनट हो रहे हैं । कार्य मंत्रणा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समिति ने इस बजट पर चर्चा के लिये एक दिन का समय निर्धारित किया है। एक दिन के माने 4 घंटे होते हैं। अगर यह चर्चा, 4 घंटे चले तो 7 बजकर 25 मिनट तक बजट चर्चा समाप्त होनी चाहिए। मान्यवर, शून्य प्रहर में बहुत सा समय चला जाता है। यह सही है कि सदन का नियमन और संचालन व्यवस्थित ढंग से चले यह जहां हमारा कर्तव्य है वहां आपका भी उत्तरदायित्व है। बहुत से सदस्य जो शून्य प्रहर में नहीं बोल पाते हैं वह बजट पर बोलना चाहते हैं। अब बजट चर्चा के लिए समय कम रह गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आज बजट पर 4 घंटे चर्चा करायी जायगी या नहीं?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, किसी भी हालत में, 5 बजे अनुदानों की मांगों पर मतदान होना है, उसके बाद 2 विधेयक हैं। प्रत्येक दिन अनुदानों की मांगों पर मतदान 5 बजे होगा यह कार्य मंत्रणा समिति ने निर्धारित किया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

तो फिर मान्यवर, शून्य प्रहर का समय कम किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

कार्य मंत्रणा समिति समय तय कर चुकी है। जो आपने कहा उसके लिये संसदीय कार्य मंत्री जी से कहें।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 91–सैनिक कल्याण, अनुदान संख्या 92–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण), अनुदान संख्या 93–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) अनुदान संख्या 94–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जन जाति कल्याण)–(क्रमागत)

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

श्रीमन्, मैं आज आदरणीय सदन में इतने बड़े महत्वपूर्ण विभाग का बजट रखते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूं और इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इस विभाग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है उसके लिये मैं उनका बहुत ही आभारी हूं। श्रीमन्, आज इस बजट में समाज की बेसहारा माताओं और बहनों, बिकलांग बच्चों, बिकलांग लोगों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा तमाम जन जातियों के लोगों के लिए ऐसी योजनायें इस विभाग से संचालित हैं और मैं समझता हूं कि उन योजनाओं के कार्यान्वियन से ही जो हमारे यहां एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, जो इसकी कल्पना है, इस विभाग की योजनाओं के द्वारा वह कल्पना साकार होती है, तो मैंने अनुभव किया कि विगत वर्षों में तमाम ऐसी योजनायें हैं उन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा है, जिन्हें उसका लाभ मिलना चाहिये। मैं आज इस आदरणीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा प्रयास है कि यह तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी राज्य के क्रियान्वयन को फलीभूत करने के लिए हरिजन और समाज कल्याण की जो तमाम योजनाएं हैं, प्रदेश की जनता इन योजनाओं का

नाम ही न जाने, बल्कि इस पर जो समय-समय पर धन व्यय होता है, यह आदरणीय सदन जिस धन को पास करेगा, मैं आश्वस्त करता हूं कि एक-एक पैसे का सदुपयोग होगा और एक-एक पैसा उन महिलाओं को दिलाने का प्रयास करूंगा । अगर एक भी रुपया कोई खाता है, तो खाने वाले को जेल की हवा खिलाने का काम किया जायेगा । हमने जो अनुभव किया, जब आदरणीय [illegible]य मंत्री जी ने हमें इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी और हमें जानकारी हुई, तो पिछली सरकार का 23 करोड़ रुपये जो छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति और जनजाति के स्कालरों को मिलनी थी, वह 31 मार्च, 1989 तक नहीं बंट पाई थी, तो जनता दल की सरकार ने, 10 करोड़ 63 लाख रु0 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की स्कालरशिप का बकाया था, इस दिशा में तत्काल अपने अधिकारियों को आदेश दिया । जनता दल की सरकार ने प्रदेश की जनता के सामने यह विश्वास दिया है कि हम सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ जो व्यवस्था परिवर्तन का विश्वास हमारे मुख्य मंत्री जी मुलायम सिंह यादव ने रखा है, उसी को ध्यान में रखकर हमने अपने अधिकारियों से पूछा कि यह जो 10 करोड़ 63 लाख रु0 छात्र और छात्राओं का बाकी रखा था, अभियान चला कर इसको दो महीने के अन्दर वितरित किया जाय। आज इस आदरणीय सदन में मुझे हर्ष हो रहा है कि इस पुनीत कार्य में हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने बहुत बड़ी दिलचस्पी लिया और उन्होंने इस काम को दो महीने के अंदर किया । इसके लिए हमारे अधिकारी और कर्मचारी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं । व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने निवेदन किया, हमारी कथनी और करनी में अन्तर न हो तथा इस आदरणीय सदन को बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने जब अपना बजट प्रस्तुत किया तो सवा 3 लाख प्रदेश के उन तमाम निराश्रित माताओं और बहनों का, विकलांगों को 100-100 रु0 पेंशन देने की घोषणा की । हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बात का वादा किया था जब जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनेगी, तो प्रदेश की तमाम निराश्रित माताओं और बहनों को उनके भरण-पोषण के लिए हम 100-100 रु0 देंगे । मुझे आज बड़ी खुशी है कि वह व्यवस्था आज कार्य रूप में, व्यवहारिक रूप में दिखाई पड़ रही है । और पहली जून, 1990 से 100 रुपये की घोषणा ही नहीं किया है बल्कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में यह बांटने का काम किया गया है । श्रीमन्, हमारे विभाग से संबंधित सैनिक कल्याण परिषद् है । पिछले दिनों में हमारे सेना के भूतपूर्व जवानों का मन गिरा हुआ था लेकिन हमारी सरकार ने उनके मन को उठाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए काम किया । द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिक उनकी विधवाएं इस बात की लगातार मांग कर रही थी अपने पेंशन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की विधवाओं को, भूतपूर्व सैनिकों को जिसके पेंशन के लिए काफी दिनों से मांग चल रही थी, पेंशन देने की घोषणा की और मैं आदरणीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहली अगस्त से उन तमाम द्वितीय विश्व युद्ध की विधवाओं को भूतपूर्व सैनिकों को 100-100 रुपये मासिक पेंशन दिया जायेगा । यही नहीं मैंने निवेदन किया कि हमारी सेना में लगे हुए भूतपूर्व सैनिकों का मन पिछले दिनों गिरा था, उनके सम्मान पर पिछले दिनों चोट आई थी यह प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है, इसीलिए उनको सम्मानित करने के लिए हमारी सरकार ने उनकी पुरस्कार की धनराशि

को बढ़ा दिया है । जो पुरस्कार पिछले दिनों साढ़े बाइस हजार रुपये था उसको हमारी सरकार ने एक लाख रुपये कर दिया और जो 15 हजार रुपये थे उसको 25 हजार कर दिया, 75 हजार कर दिया और इस तरह से उनके सम्मान को बढ़ाया गया । यही नहीं एकता और अखण्डता के स्वस्थ वातावरण को कायम करने के लिए इन विभाग द्वारा बहुत प्रयास किया गया । श्रीमन्, हमारे विभाग में जनजाति समुदाय के लोग हैं उनकी खुशहाली के लिए उनको स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था के लिए हमने प्रबन्ध किया है । यही नहीं हमारे तमाम गांवों में बसने वाली माताएं बहनें हैं हमारे विभाग में समन्वित बाल विकास परियोजना है । श्रीमन्, अब तक जनता दल की सरकार के पहले प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद थे जहां पर यह योजना नहीं लागू थी लेकिन हमारी सरकार ने प्रदेश के समस्त जनपदों में इस योजना को लागू करके एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है । श्रीमन्, मुझे सम्मानित साथियों को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष 83 बाल विकास परियोजनाएं खोलने की व्यवस्था की गयी है और इस व्यवस्था के चलते रहते लगभग 17,632 महिलाओं और पुरुषों को जिसमें लगभग 95 प्रतिशत तादाद महिलाओं की होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे नेताओं ने और हमारे मुख्य मंत्री हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो रोजगार की बात कही थी उस रोजगार को देने में एक नया कदम है । 17,632 महिलाओं को हम निकट भविष्य में रोजगार देंगे। श्रीमन्, यही नहीं जनता दल की सरकार बनने के पहले हरिजन कल्याण विभाग जो कि इतना बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है इसमें अधिकारियों के लिए जीपें नहीं थीं, शासन की नीतियों और कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी आवश्यक अंग हुआ करते हैं उनके पास कोई जीप नहीं थी । इस वर्ष 30 जनपदों में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के लिये जीप देने की व्यवस्था की है, जिसमें 56 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है । यही नहीं, हमारे विभाग में सेवा नियमावली नहीं थी । हमने सेवा नियमावली बनाने का काम किया है । यही नहीं हमें जो पिछला ढांचा मिला, वह बहुत गड़बड़ था । प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिये तमाम कड़ी कार्यवाही की गयी । हमारे अधिकारी और कर्मचारी जो अच्छे हैं, उनको सम्मानित करने की, प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति है, लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी अपने काम के प्रति वफादार नहीं हैं, जिनके ऊपर गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप थे और पिछले दिनों जिन आरोपों पर पर्दा पड़ा था, मैं इस आदरणीय सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, कितना भी बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा. उसके खिलाफ शासन की ओर से किसी प्रकार की मुरौवत न होगी । श्रीमन्, हमारा मतलब यह नहीं है कि हमारा रवैया दण्डात्मक है, हमारा रवैया सुधारात्मक है । हम मानते हैं कि हमारे कार्यक्रमों का सम्पादन अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा होगा, इसीलिये उनको सम्मान देने के लिये, काफी दिनों से ऐसे कर्मचारी जिनकी पदोन्नति रुकी हुई थी, उनको प्रोन्नति देने का काम किया है । श्रीमन्, कई बार ऐसा होता था कि अधिकारी निलम्बित हो गया और दो साल तक उसको आरोप पत्र नहीं दिया जाता था, तीन साल तक नहीं दिया जाता था । उसके साथ नाइंसाफी होती थी । कोई भी अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित होता है तो निलम्बन के साथ-साथ अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर, आरोप पत्र दिया जाय और जांच जल्द की जाय, तभी उसके साथ न्याय हो सकेगा, यह तमाम ऐसी योजनाएं हैं, जिनके द्वारा जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने गांव की ओर चलो का नारा दिया है, हमारी

सरकार की कथनी और करनी में अन्तर नहीं होगा । यह उसी की तरफ एक क्रान्तिकारी कदम है और मुख्य मंत्री जी ने विकास का क्रांतिरथ चलाया है, उसको आगे बढ़ाने में हमारा विभाग सहयोगी होगा और जो यह कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गयी थी, उसको हमारा यह विभाग साबित करेगा । सार्थक करेगा । मैं चन्द शब्दों में विभाग द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं। श्रीमन्, अनुसूचित जाति, जनजाति की शिक्षा को ऊंचा उठाने के लिये, उसकी आर्थिक तरक्की करने के लिये, समाज में उसको ऊंचा स्थान देने के लिये हमारे विभाग की ओर से तमाम अच्छे काम किये गये हैं, जिनके बारे में मैं विनम्र शब्दों में बताना चाहता हूं। श्रीमन्, भारत में अनुसूचित जाति की साक्षरता का प्रतिशत 31.38 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 14.96 परसेंट है । अनुसूचित जाति की स्त्रियों में 3.09 परसेंट है, जबकि भारत में स्त्रियों की साक्षरता 10.98 परसेंट है । स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के शैक्षिक स्तर में सुधार की आवश्यकता है । इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिये बहुत प्रयास किये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 बजे बजट पास हो जायेगा, जरा संक्षेप में कहें और माननीय सदस्य भी बोल लें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, कार्य योजनायें सुन लेने दें ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, जल्दी समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ।

छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में मैं कह रहा था, मान्यवर, रिटेंशन रेट 27.07 प्रतिशत था । यह वह है जैसे बच्चा कक्षा पहली में दाखिल हुआ, जो प्रतिशत की बात है, 5वीं में पहुंचते-पहुंचते 27.07 प्रतिशत ही रह जाता है । बच्चा जो कक्षा एक से पढ़े कक्षा 5 तक पहुंचे उसको प्रोत्साहित किया जाय । हमने उसको छात्रवृत्ति देने का प्रयास किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं आदरणीय सदन में घोषित किया था, इस साल 20 प्रतिशत अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया । इससे स्पष्ट है कि जो हमारा रिटेंशन रेट है, वह इससे रुकेगा । वर्तमान वर्ष में कक्षा 1 से दशमोत्तर कक्षाओं के लिए 17.89 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जायेगी। गत वर्ष 14.51 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गयी थी । गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान वर्ष में 17.15 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि छात्रवृत्ति पर खर्च की जायेगी जिसमें 3.38 लाख अतिरिक्त छात्र लाभांवित होंगे । छात्र और छात्राओं के लिये छात्रावास पिछले दिनों में छात्रों के लिये 48 छात्रावास और छात्राओं के लिये 20 छात्रावास थे । इस साल हमनें 12 नये छात्रावास बनाने का प्रयास किया है । आदरणीय सदन को बताना चाहूंगा कि पहले तमाम छात्रावास भूमि के अभाव में नहीं बनते थे । 59 बगैर बने हुए भूमि के अभाव में छात्रावास की योजना पड़ी रही । इसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गयी है कि भूमि को क्रय करके छात्रावास बना

योंगे । इससे यह स्पष्ट है कि पिछली सरकार के जमाने के 59 छात्रावास बकाये थे उनको बनायेंगे और उसके साथ-साथ 12 छात्रावास हम और बनायेंगे । श्रीमन्, आश्रम पद्धति के विद्यालय हमारे यहां चल रहे हैं प्रदेश में जिनकी संख्या 33 है जिसमें पढ़ने वालों को छात्रों को शासन की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा, निःशुल्क खाना, निःशुल्क कपड़ा और निःशुल्क बिस्तर की हमने व्यवस्था की है । पिछले दिनों श्रीमन् खाने का 125 रु0 दिया जाता था इस साल बढ़ाकर 200 रु0 कर दिया गया है कपड़े पर पिछले दिनों केवल 70 रु0 थे इसको हमने कम समझा इसको 300 रु0 वार्षिक कर दिया गया है । बिस्तर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, हमने 100 रु0 की व्यवस्था कर दिया है पुस्तक का 30 रु0 था उसको बढ़ा कर 100 रु0 कर दिया गया है, जो 35 रु0 था उसको बढ़ाकर 150 रु0 कर दिया गया है । इसी तरह से 4 और नये आश्रम पद्धति के विद्यालय खोलने की हमारी योजना है । औद्योगिक शिक्षा-हमारे विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के लिये इस साल औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है । लखनऊ, गोरखपुर नैनीताल में, लखनऊ में जो पालिटेक्निक है या औद्योगिक शिक्षा का विद्यालय है इसमें और अधिक ट्रेड चलाने की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं । कोचिंग शिक्षा के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को परीक्षा के समय कक्षा 10 और 12 की कोचिंग शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे विधान द्वारा की गयी है जिससे हमारे अनुसूचित जाति के छात्र अच्छे नम्बर से उत्तीर्ण होंगे और प्रदेश में स्थान कायम कर सकेंगे ।

श्रीमन्, हमारे विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की विधवाओं की लड़कियों के लिए, तथा अन्य अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए, जो गरीब हैं, की शादी के लिए शासन की तरफ से 1 हजार रुपये और गंभीर बीमारी के लिये 1 हजार रुपये देने की व्यवस्था की गयी है। पिछले दिनों इस मद में 37 लाख 37 हजार की व्यवस्था थी। हमने इसको बढ़ाकर 50 लाख 75 हजार रुपये कर दिया है । यहां पर इस आदरणीय सदन में हरिजन अत्याचार पर बड़ी बात हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार न हो, उनको सताया न जाये, इसको रोकने के लिये हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है, कृत-संकल्प है, इस बात को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने एक नया एक्ट बनाया है, यह एक्ट अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम, 89 है, इसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि अगर कोई अत्याचार करता है तो अत्याचारी के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जायेगी, इसमें जो कानूनी धारायें हैं, उसकी जो मंशा है, वह जाब्ता फौजदारी के विधान से हटकर है, इसमें अत्याचार से पीड़ित को साबित नहीं करना है, बल्कि जो मुलजिम है, उसको साबित करना होता है कि वह निर्दोष है । अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटनायें हो जाती हैं, तो हमारे विभाग द्वारा उसको आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन इसमें मेरा एक विनम्र निवेदन है, चाहे इधर के बैठे सम्मानित सदस्य हों, चाहे उधर के सदस्य हों, कि आज एक वातावरण बनाने की जरूरत है, बहुत से कानून बनते हैं, लेकिन कानून ही नहीं, समाज में एक ऐसा वातावरण हमें और आपको मिलकर बनाना होगा, जिससे हरिजनों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार न होने पाये । मान्यवर, इस बार सभी

विमुक्त जाति के छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने का प्राविधान किया गया है और इस बार 57 हजार, 278 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी, इस हेतु एक करोड़ 20 लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, आपने सभी सदस्यों को साहित्य उपलब्ध करवा दिया है और वह सभी इसका अवलोकन करेंगे, इसलिये आप संक्षेप में अपनी बात कहकर समाप्त करें ।

श्री अवधेश प्रसाद—

अधिष्ठाता जी, बस 15 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठता—

मंत्री जी, मैंने पहले ही आग्रह किया कि आपने साहित्य उपलब्ध करवा दिया है, आप समाप्त करें, समय बहुत कम रह गया है ।

श्री अवधेश प्रसाद—

ठीक है, मान्यवर, मैं जल्द ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने पिछड़ी जाति के छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है और इसके तहत पिछले वर्ष 11 करोड़, 79 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गयी, इस वर्ष 90-91 में हमने 6 लाख 91 हजार 802 छात्रों के लिये 15 करोड़ 82 लाख 20 हजार रुपये की छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है, इससे श्रीमन्, 1 लाख 70 हजार अतिरिक्त छात्रों को शासन ने लाभान्वित करने का निर्णय लिया है । इसी तरह श्रीमन्, सवा 3 लाख बेसहारा माताओं, बहनों तथा निराश्रित विधवाओं को भी सरकार द्वारा पेंशन देने की व्यवस्था की गयी है। और इस तरह की व्यवस्था की गई है, कि उन्हें हर हालत में पेंशन मिले, अनुदान मिले । उसके लिए हमने परिचय पत्र की व्यवस्था की है । यह भी व्यवस्था की गई है कि जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाय, जिससे दलालों को मौका न मिले। बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं । बच्चों की उन्नति के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 6 बाल सदन, 4 बालिका निकेतन, 8 शिशु सदन तथा श्रमजीवी महिलाओं के शिशुओं के लिए 53 शिशुशालायें हैं, 59 सम्प्रेक्षण गृह हैं । गत वर्ष बाल कल्याण योजना पर 3 करोड़ 96 लाख 19 हजार रुपये व्यय किये गये थे । इस वर्ष 4 करोड़ 66 लाख 23 हजार रु0 व्यय किये जाने का प्रस्ताव है । संवासी के रहन-सहन व उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पहले जो 145 रुपए दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर हमने 240 रुपए कर दिया है। हमारे यहां तमाम शिक्षण संस्थायें हैं, अरबी मदरसे हैं, जिन पर बाल एवम् महिला अधिनियम लागू होता था, हमने उस कानून को समाप्त कर दिया है । अब इन्हें लाइसेन्स लेने में दिक्कत नहीं होगी । महिला कल्याण के कार्यक्रम के अंतर्गत, एक महिला आश्रम है, तीन नारी निकेतन हैं, 5 कर्मशालायें हैं और 6 संरक्षण गृह हैं । विकलांगों की शिक्षा के लिए भी हमारे विभाग में व्यवस्था है । इस वर्ष इस हेतु 8 करोड़ 33 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव करने का प्रस्ताव है ।

प्रशासनिक सुधार के बारे में मैंने पहले ही निवेदन किया है कि हमारे विभाग में अनुसूचित वित्त विकास निगम है, जिसके द्वारा समाज में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमने निर्णय लिया है कि उनको अब तक जो अनुदान मिलता था, हमने उस अनुदान में बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है। यही नहीं हमारे यहां निर्बल वर्ग आवास निगम है ।...

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री अवधेश प्रसाद—

इस निगम द्वारा 1666 आवास बनाने का लक्ष्य है । मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि प्रायः निगम घाटे में जाते हैं, लेकिन जनता दल के शासन में आते ही 5 महीने के अन्दर इस विभाग ने बहुत ऊंचे पैमाने पर लाभ प्राप्त किया है, इसमें बढ़ोत्तरी हुई है । अब तक इस निगम को 1 करोड़ 66 लाख रुपए का फायदा हुआ है । यही नहीं हमारे विभाग में जन जाति के विकास के लिए तमाम योजनायें संचालित की गई हैं, उनको पानी मुहैया करवाना, उनको घर देना, उनको रोजगार देना तमाम इस प्रकार की कई योजनायें हैं। जहां तक महिलाओं के उत्थान का सवाल है, हमारे यहां कहा भी जाता है "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः", उनके उत्थान के लिए उनके विकास के लिए कृषि पर आधारित व्यवस्था की गई है । जिससे इस वर्ष हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए इधर बैठे हुए माननीय सदस्यों व उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों का आभारी हूंगा/कृतज्ञ हूंगा कि वह अपना बहुमूल्य सुझाव व मार्ग दर्शन हमें देंगे ।

मैं तो इसमें विश्वास रखता हूं कि—

निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय,
बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय ।

मैं आपके विचार चाहूंगा, दिशा निर्देशन चाहूंगा, जिससे हम और आप मिलकर इस विभाग के द्वारा कल्याण कर सकें और कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है, उसको साकार कर सकें और माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो विकास का क्रान्तिरथ चलाया है, उसे गांव में जाने और विकास करने का अवसर मिले । मैं आपको अपने विचार प्रगट करने के लिये आमन्त्रित करता हूं ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि अनुदान संख्या 49—महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

---

*वक्ता ने भाषण के पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 91-सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 92-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 93-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 94-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने आंकड़ों का जाल, जो हमारे अधिकारियों द्वारा बनाया गया है, प्रस्तुत किया। इसमें कोई नयी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी जरूर इसमें कुछ सक्रिय हैं लेकिन सारी व्यवस्था पुरानी ही व्यवस्था तक सीमित है । इसमें मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी ने इतना प्रयास किया लेकिन इस बजट में हरिजन और समाज कल्याण के लिये जो व्यवस्था की गयी है, 1 अरब 68 लाख 65 हजार रु0 था 1989 में हमारी सरकार में, यह घटाकर 99 करोड़ 55 लाख 91 हजार रु0 हो गया है, समाज कल्याण विभाग में पहले 57 करोड़ 62 हजार रु0 था अब 39 करोड़ 90 लाख 47 हजार रु0 हो गया है, यह इनका हरिजन और समाज कल्याण है । अब इसमें माननीय मंत्री जी अपनी सक्रियता को दिखाते हैं, अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम ने कोई काम ही नहीं किया, इसकी जो किताब मिली है उसको देखने से पता चलता है, तो घाटा होने का सवाल ही नहीं है। वहां पर कुछ काम बन्द कर दिये गये हैं। छात्रवृत्तियों में भी व्यवस्था वही है । कुछ चीजें ऐसी हैं छात्रवृत्ति के लिये सदन के सदस्य जानते हैं कि छात्रों की व्यवस्था वही है । छात्रों को साल भर विद्यालय में पढ़ने के बाद भी छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है । विद्यालयों में फर्जी हस्ताक्षर करके प्राचार्यों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है । इन्होंने घोषणा की है कि दो महीने में कर देंगे । यह अच्छी बात है कि इनकी सक्रियता से प्रयास से यह होगा लेकिन सत्ता के दलाल हर जगह पहुंच जाते हैं ।अगर माननीय मंत्री जी इस तरह से करते रहेंगे तो ये सत्ता के दलाल जो हैं वह सब सत्ता के साथ ही चले जाते हैं ।

एक सदस्य–

(सत्ता पक्ष की ओर से)–ये आप बीती बतला रहे हैं ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

पेंशन के बारे में मा0 मंत्री जी ने बतलाया कि इसे 100 रु0 कर दिया गया है । यह सब हमारी सरकार की घोषणायें थीं जो आज इन्होंने किया है । यदि यह 100 रु0 पेंशन का मिलने लगे, तो फिर ये बधाई के पात्र होंगे ।

अभी आश्रम पद्धति के विद्यालयों की बात कही गयी । यह आश्रम पद्धति के जितने विद्यालय खुले हुये हैं उनमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है । वहां पूरे का

पूरा सामान हड़प लेते हैं और बच्चों की संख्या को कम करके दिखला देते हैं । यह जो आश्रम पद्धति के विद्यालय खुले हुए हैं, इनके बारे में आप शिकायतों को देखिये और प्रयत्न करिये कि यहां धन का दुरुपयोग न होने पाये । इलाहाबाद में ईश्वर शरण नाम का एक आश्रम पद्धति का विद्यालय है, वहां काफी दिनों से झगड़ा चल रहा है, लड़के भाग जाते हैं, पढ़ाई कुछ नहीं हो पाती है । मा0 मंत्री जी ने हाईस्कूल पास करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया है । पहले हाईस्कूल के छात्रों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता था, यह व्यवस्था बन्द नहीं की जानी चाहिये क्योंकि उससे छात्रों में उत्साहवर्धन होता है और इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है ।

इसी तरह से मान्यवर, बाल विकास परियोजना की बात है, कोई भी ऐसा जन-प्रतिनिधि नहीं होगा जिसके क्षेत्र में यह योजना जारी न की गयी हो लेकिन जनप्रतिनिधि को इसके संबंध में शिकायत भी है जो कि यहां पर नियम 301 के जरिये या फिर नियम 56 के जरिये शिकायत बराबर उठायी जाती रहती है कि कितना भ्रष्टाचार बाल विकास परियोजना में है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

माननीय विद्यार्थी जी, मैंने आपके शासन काल में इसके संबंध में प्रश्न उठाया था तो आपने इसमें कितना भ्रष्टाचार दूर किया ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आप कृपया बैठें और बिना आज्ञा न बोलें ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मैं यहां पर हरिजन एवं समाज कल्याण के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं न कि कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूं न अन्ताक्षारी कर रहा हूं । तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि बाल विकास परियोजना में सुधार होना चाहिये । मिर्जापुर में बाल विकास परियोजना में एक जीप दी गयी थी, जो कि गायब हो गयी है या कर दी गयी है । मैं चाहता हूं कि जब मा0 मंत्री जी जवाब दें तो अपने मुखारबिन्दु से मिर्जापुर के बाल विकास परियोजना की जीप के बारे में भी बतलायें ताकि यहां पर सभी माननीय सदस्यों को भी पता चले कि मिर्जापुर की बाल विकास परियोजना की जीप का क्या हुआ?

इसी तरह से आप पुष्टाहार के संबंध में भी देखिये । हमारे माननीय सदस्य जानते होंगे कि गांवों में पुष्टाहार गाय और भैंस को दिया जा रहा है वहां बच्चों को पुष्टाहार नहीं दिया जाता है बल्कि गाय और भैंस को दिया जा रहा है । मेरे पास समय अधिक नहीं है, अन्यथा मैं आंकड़े देना चाहता था । जहां तक आपकी तकनीकी प्रशिक्षण योजना बनाने की बात है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण दें, तो इस पर जरूर प्रकाश डालें । जो हरिजन नलकूपों की स्कीम है, उसको बन्द कर दिया गया है । हरिजन स्कीम से नल कूप पहुंच जाते थे, तो बहुत सुविधा हो जाती थी । मेरा निवेदन है कि सोशल कम्पोनेंट प्लान के द्वारा नलकूपों को लाया जाये । मान्यवर, जमीन आपके पास है नहीं और आप कानून बना कर उनको जमीन देना चाहते हैं । आप जमीन का पट्टा तो दे सकते हैं, लेकिन उनको वास्तविक रूप में जमीन नहीं दे पावेंगे । कागज पर भले ही आप घोषित कर दें कि इतनी जमीन हरिजनों की दी गयी है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने, तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने बजट भाषण में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि हरिजन विद्यार्थियों के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे और 12 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाया जायेगा उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि 42 अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिये छात्रावास बनाये जायेंगे और 10 लड़कियों के छात्रावास बनाये जायेंगे और इनके अतिरिक्त 34 निजी संस्थाओं को छात्रावास बनाने के लिये अनुदान दिया जायेगा, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में हरिजनों के लिये कोई उल्लेख नहीं किया है।

यह सरकार लोहिया जी की बड़ी हामी भरती है। लोहिया जी ने कहा था कि सिर्फ वजीफे के आधार पर हरिजनों की हालत नहीं सुधरेगी। समाज को बदलना बड़ा जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का आदमी प्रधान मंत्री पद से हट जाये तो हरिजनों का फायदा होगा और उनकी हालत सुधर सकती है। चौधरी चरण सिंह ने अपनी किताब भारत की अर्थ नीति में आखिर में यह कहा है कि जनता पार्टी ऐसी अर्थ व्यवस्था बनायेगी जिसमें आदमी की तीनों जरूरतें—रोटी, आजादी और समानता पूरी होंगी। आप आज उन्हीं की बात करते हैं, लेकिन उनके जो आदर्श थे, उनको आप नहीं मानते हैं। मान्यवर, सरकार की जो हरिजनों के प्रति नीति है, उसमें शंका उत्पन्न होने लगी है। रामधन को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है मान्यवर, उन्होंने लिखा है—जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में राष्ट्रीय मोर्चा ने एलान किया था कि उनकी सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलायेगी। आयोग के अध्यक्ष पद पर मेरी नियुक्ति की घोषणा अप्रैल, 1990 में की गई। इस पद का कार्यभार संभालने के पूर्व मुझे प्रधान मंत्री वी0 पी0 सिंह ने आश्वासन दिया था कि संसद के बजट अधिवेशन के दौरान ही अनुच्छेद 338 का संशोधन कराकर आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया जायेगा। आगे उन्होंने कहा कि मुझे प्रधान मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया था कि मेरे सभी सुझाव स्वीकार कर लिये जायेंगे और तद्नुसार कल्याण मंत्रालय को परामर्श दिया गया। अतएव यह आश्चर्य की बात थी कि जिस रूप में संविधान (अड़सठवां) विधेयक 1990 संसद में प्रस्तुत किया गया था उसमें मेरे द्वारा सुझाये गये तीन महत्वपूर्ण प्राविधानों में एक भी शामिल नहीं किया गया था।

मान्यवर, यह हमारे विपक्ष के जो हरिजन नेता हैं उनकी पीड़ा है। उन्होंने आगे लिखा है कि राजीव गांधी ने हरिजन सांसदों की एकाध बैठक बुलाई और मुख्य मंत्रियों तक से परामर्श किया कि संवैधानिक दर्जा आयुक्त के पास रहना चाहिए या आयोग के पास। 30 जुलाई, 1987 को लोक सभा में तथा 31 जुलाई 1987 को राज्य सभा में एक विस्तृत वक्तव्य दिया गया जिसमें उन्होंने सरकार के इस निर्णय को घोषित किया कि संवैधानिक अधिकारी के रूप में आयुक्त ही रहेंगे और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों में परिवर्तन किया जायेगा।

एक सदस्य—

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, उसमें यह भी लिखा कि प्रथम बार किसी प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस

के अपने भाषण में 15 अगस्त 1987 को लाल किले पर बोलते हुए श्री राजीव गांधी ने घोषणा की कि उनकी सरकार ने आयुक्त के हाथ मजबूत करने का फैसला किया है।

मान्यवर, इसी तरह से आप देख लीजिये आज प्रदेश के अन्दर हरिजन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। (व्यवधान) हमारे हरिजन समाज कल्याण मंत्री सक्रिय हैं। ऐसे सक्रिय आदमी हैं कि जो हरिजनों के साथ हुए उत्पीड़न और अपराधों की जांच करा सकते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि जो हरिजन उत्पीड़न के लिए विशेष शैल बना है वह उनके संरक्षण में नहीं है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आप हरिजनों की भलाई चाहते हैं तो अपने मंत्री को अधिकार दीजिये, तभी वे उत्पीड़न की स्थिति को रोक सकते हैं। उन्हें अधिकार दीजिये जिनको हरिजनों से दिलचस्पी हो। इसलिए मान्यवर, हम चाहेंगे जो यह विशेष शैल है वह आज जेल विभाग से सम्बद्ध है, उसे आप अपने अधिकार में लें। तभी आप हरिजनों की भलाई कर सकते हैं और उनका उत्पीड़न दूर हो सकता है।

आज उत्तर प्रदेश के अन्दर, जगह-जगह पर और आपकी नाक के नीचे भी, अम्बेदकर की प्रतिमा लगाई जा रही है। प्रतिमा लगाने के साथ-साथ कहीं वह तोड़ी भी जा रही है। मैं समझता हूं कि अम्बेदकर के नाम से एक भूत आपके दिमाग में सवार है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो मूर्ति को तोड़ देते हैं। इसका पता लगाना चाहिए (व्यवधान)

एक सदस्य–

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप संक्षेप में कहिए।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, एक दिलचस्प बात है। एक हरिजन डाक्टर की नियुक्ति को लेकर मामला इतना उलझा दिया गया कि आयोग से चयनित होने के बाद भी उसे के0 जी0 मेडिकल कालेज में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। इस बात की शिकायत वर्तमान प्रधान मंत्री से भी की गई है। पत्र की प्रति मुख्य मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी दी गई है जो उनके यहां प्राप्त है। किन्तु अफसोस की बात यह है कि उस हरिजन डाक्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को पत्र भेजा गया उसकी प्रति स्वास्थ्य मंत्री जी को भी प्राप्त हुई है। तो उसके जबाब में पत्र भेजने वाले सदस्य को यह लिखा गया है कि हम जल्दी ही डा0 अम्बेदकर के बारे में विचार कर रहे हैं। तो मान्यवर, यह एक डाक्टर की नियुक्ति का मामला है। जिसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने भी लिखा है कि इसे नियुक्त किया जाय तो उनका जवाब अम्बेदकर जी के बारे में जाता है कि उनके बारे में विचार जल्दी करने जा रहे हैं। तो इस तरह से यह सरकार काम कर रही है सवाल कुछ और जवाब कुछ जाता है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय विद्यार्थी जी क्या हरिजन कल्याण पर बोल रहे हैं या बाबा साहब की बातें कर रहे हैं मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा बजट पर अपने सुझाव दें (व्यवधान) और लोगों को भी बोलना है।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, माननीय सदस्य विद्यार्थी जी बोलें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, यह एक डा0 एस0 एम0 कुरील जो भारत में सर्जरी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर डिग्री लिये हैं और उनमें कोई कमी नहीं है इसके बाद भी उनको नहीं लिया जा रहा है इस प्रकार डाक्टर अम्बेदकर का नाम लिया जा रहा है। ऐसे योग्य हरिजन लोगों के मामलों को उलझाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आपके यहां बहुत सारे डिप्टी डायरेक्टर के पद बनाये गये हैं आप बचत की बात करते हैं आपके यहां डिप्टी डायरेक्टर का कोई काम नहीं है। इस पर साल में तीन करोड़ रुपया खर्च हो रहा है जिले में समाज कल्याण अधिकारी काम करते हैं डिप्टी डायरेक्टर के आफिस में उसकी मेंनटीनेंस में जो खर्च हो रहा उसको आप दूसरे कामों में लगा सकते हैं। जिला स्तर की योजनाओं में लगा सकते हैं और विधवाओं और महिलाओं के कल्याण में लगा सकते हैं।

जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो उसमें इस बात को भी बता दें कि हरिजन छात्रों की छात्रवृत्तियों में जो घपले हुए हैं आपने सुना होगा लखनऊ में ही काफी घपला हुआ है। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी जैसा मैंने कहा मिर्जापुर में आंगन-बाड़ी बाल विकास परियोजना और जीप का जो घपला हुआ है उसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

विद्यार्थी जी अगर आप समाप्त करें तो अच्छा होगा। और माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, एक बात सैनिक कल्याण के बारे में जो बहुत गम्भीर है बताना चाहूंगा। (व्यवधान) मैं भाषण नहीं दे रहा हूं संक्षेप में कह रहा हूं। लखनऊ में एक सैनिक कल्याण कार्यालय है इसमें अधिकारियों ने अपने वेतन सीमा से कहीं अधिक वेतन निकला लिया है। काफी रुपया का घोटाला किया है। अगर उनको जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लें कि कितने रुपयों का घोटाला हुआ है और उस पर क्या कार्यवाही हुई। और ऐसे लोगों के विरुद्ध वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं इस बात का वह सदन में बतायें। मान्यवर, अब मैं समाज कल्याण विभाग में महिला और बाल संस्थाओं के बारे में जो बताया था कि भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए मैं चाहूंगा आप ऐसी संस्थाओं पर विशेष ध्यान दें।

मान्यवर, हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जहां डकैतियां पड़ती हैं उन हरिजन लोगों की थानों में एफ0 आई0 आर0 तक नहीं लिखी जाती हैं। हरिजन के मरने के बाद विभाग से जो उनको पांच हजार रुपये देने का प्राविधान है उसमें एक लेकुना है जिसके कारण वह मृतक के परिवार को नहीं मिलता, इसलिए इसमें सुधार लायें। चूंकि हरिजनों की कोई आय नहीं होती है और वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, इसलिये लेकुना शब्द कमाऊ हटा दिया जाये।

मान्यवर, मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इस बजट में और बढ़ोत्तरी की जाये चूंकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, इसलिए इस विभाग के बजट को दुगुना और तिगुना किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे सुझावों पर वह अमल करें। माननीय सदस्यों ने हमारी बात को ध्यान से सुना इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

5 बजे इस बजट को पास होना है और इसके पूर्व कटौती के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य को और फिर मंत्री जी को बोलना है। इसलिए दो-दो मिनट में मा0 सदस्य अपने-अपने सुझाव दे दें।

श्री जयराज गौतम–

मान्यवर, दो मिनट बहुत कम है इसमें सुझाव नहीं आ पायेंगे। इससे अधिक समय दें।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, दो-दो मिनट ही दें।

(व्यवधान)

श्री जयराज गौतम–

मान्यवर, महत्वपूर्ण बजट है, इसलिए समय और बढ़ा दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

दो मिनट, समय का निर्धारण हो चुका है इसलिए आप लोग बैठ जायें। (व्यवधान) ऐसी स्थिति में मात्र सुझाव के लिए ही मैं माननीय सदस्यों को बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा चूंकि 4.55 पर हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

इस समय तक जितने भी लोग बोल सकें, उनसे मैं कहूंगा कि वह संक्षेप में बोल लें...

(व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज माननीय हरिजन कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों पर मुझे बोलने का समय दिया है। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी जब विद्यार्थी जी बजट पर बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि उन्होंने धन के आंकड़े को अच्छी तरह देखा नहीं है और उन्होंने किताबें देखकर इधर-उधर की बातों में अपना सारा समय लगा दिया। मेरा तो कहना यह है कि पूर्व सरकार की अपेक्षा इस सरकार ने विभाग की मदों में कहीं अधिक वृद्धि की है। जो पुस्तिका है, उसमें आप देखें, इसके प्रथम पृष्ठ के बाद दूसरा वाला जो ब्यौरा दिया हुआ है, उसमें आप अनुसूचित जातियों के कल्याण की बात देख लें। कांग्रेस शासन काल में वर्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1989–90 में यानी अभी पिछले ही साल कुल प्लान और नान-प्लान में 4680.19 लाख रुपये की धनराशि रखी गई थी, जो पुनरीक्षित होकर आ गई 5751.05 लाख रुपये पर, लेकिन नई सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु धन बढ़ाकर अब प्राविधान किया है 7558.06 लाख रुपये का । मैं नहीं समझ पाया कि इसमें जो धन बढ़ाकर इस बार रखा गया है, वह उन्हें कम कहां से दिखायी पड़ा । विमुक्त एवं खानाबदोश जातियों के कल्याण के लिए पिछली सरकार ने 268.78 लाख रुपये रखा था और खर्च हुआ 89–90 में 272.29 लाख रुपया । उसको बढ़ाकर अब नई सरकार ने 289.02 लाख रुपया कर दिया । जब आप थे, आपकी सरकार थी, उस समय जितने धन का प्राविधान किया गया था, उसकी अपेक्षा इस बार 20 परसेंट बढ़ाकर धन रखा गया है । (व्यवधान) आप पूरा बजट ठीक से पढ़ लीजिये। धन का प्राविधान ज्यादा किया गया है । मान्यवर, आपने सुझाव देने को कहा है, उस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो यह धन है, जो विधान सभा से हम पारित करते हैं, इसकी स्वीकृतियां यहां से जारी होने के बाद शीघ्र ही उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक से उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए । पिछली सरकार ने उसको सही ढंग से खर्च नहीं किया है । जब हमारा बजट स्वीकृत हो जाए और वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो जाएं, तो निश्चित समय में इसको आगे खर्च करना चाहिए । मेरा तो यह कहना है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हरिजन कल्याण विभाग में था और मैं स्वयं और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे जिले में जो इनके संयुक्त मंत्री थे, एक प्रधानाचार्य थे, उन्होंने 60 हजार रुपया हरिजनों के नाम पर अवैध ढंग से विभाग का निकाल लिया था । जहां कोई हरिजन नहीं, हरिजन आबादी नहीं, वहां के लड़कों के नाम पर यह धन निकाला गया और हम इसके लिए कहते रहे, लेकिन कोई कार्यवाही कांग्रेसी हरिजन मंत्री ने नहीं की । किन्तु नई सरकार आने के बाद अब यह मामला हमारे मंत्री जी की जानकारी में आया तो वह बिगड़ गये और सरकार मामले में छानबीन के बाद 4 अधिकारियों और 13 कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया । इस सरकार ने पुरानी सरकार की इस प्रकार की तमाम कारगुजारियों का पर्दाफाश किया, जो पहले विभाग का सरकारी पैसा गरीबों के पास न जाकर गलत तरीके से बड़े लोगों और इनके स्वयं की जेब में जाता था । इसके साथ मैं इसका पुनः समर्थन करता हूं ।

श्री कुंदर सिंह नेगी–

हरिजन समाज कल्याण मंत्री अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक योग्य हैं, कुशल हैं और अच्छे ढंग से अपने विभाग का कार्य कर रहे हैं पर जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर जो बजट रखा है उससे यह लगता है कि उनमें हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान करने की जो भावना पर इसका क्रियान्वयन करने की इनमें इच्छा शक्ति नहीं है । मान्यवर, पिछले वर्ष चमोली जिले में राजीव गांधी, तत्कालीन प्रधान मंत्री गये थे । उन्होंने जो हमारे प्रदेश का आखिरी गांव माण है वहां की भोटिया जन जाति के लिए 6 लाख रुपये वहां पर दिए थे । यह लोग ऊन का काम करते हैं। उनके पास बागेश्वरी चर्खे उपलब्ध नहीं हैं । वह लोग चाहते थे कि उनको 2 लाख रुपये के बागेश्वरी चर्खे खरीद दिए जायें और 4 लाख रुपये से कारडिंग

प्लान्ट लगाया जाय । कारडिंग प्लान्ट के लिए उनको अभी तक रुपया रिलीज नहीं हुआ है । मान्यवर, आप पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात करते हैं । पिथौरागढ़ में अनवाल जाति के लोग रहते हैं । यह लोग अनुसूचित जन जाति के लोगों की भेड़ बकरियां चराकर अपना जीवन यापन करते हैं । इनके पास रहने को घर नहीं हैं यह बन्धुआ मजदूरों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं । यह लोग जिनकी भेड़ बकरियां चराते हैं उनको तो अनुसूचित जन जाति में रखा गया है । लोग जो नौकर हैं उनको पिछड़ी जाति में नहीं रखा गया है इनका शोषण हो रहा है । ये अनवाल जाति के लोग हैं । मान्यवर, इनको आप पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखने की कृपा करें । मान्यवर, उत्तरकाशी की तहसील पुरोला, चमोली की तहसील जोशीमठ तथा पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला और मुन्स्यारी जनजातियों का बाहुल्य है । इन तहसीलों को जन जाति तहसीलें घोषित नहीं किया गया । इन्हें जनजाति तहसीलें घोषित करें । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस पर ध्यान दें । मान्यवर, आश्रम पद्धति के जो विद्यालय हैं वहां पर भोजन के लिए केवल 200 रुपये की व्यवस्था है । यही व्यवस्था हमारे पहाड़ में भी है । मान्यवर, जैसा कि आपको मालूम है कि वहां पर सारी चीजें महंगी होती हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो भी अनुदान देते हैं तो अनुदान की राशि के प्रत्येक मद में रुपये अधिक देने चाहिए । मान्यवर, हमारे यहां आश्रम पद्धति का एक विद्यालय चमोली में है । अनेक विद्यालयों का आपने उच्चीकरण किया है लेकिन यह विद्यालय अभी तक जूनियर हाई स्कूल तक ही है । इसका उच्चीकरण हाई स्कूल में किया जाय । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री ऊदल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हरिजन कल्याण विभाग की जिम्मेदारी पहले के मुकाबले आज ज्यादा बढ़ गयी है क्योंकि इसका काम अब बहुत ज्यादा व्यापक हो गया है । विधवाओं को पेंशन देना, असहाय और वृद्ध स्त्री पुरुष हैं उनको पेंशन देना इस विभाग के काम हैं । इसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, जो धन विभाग द्वारा दिया जाता है उसका एक बड़ा भाग बिचौलिये खा रहे हैं । मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी किया था जिसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है । मेरा निवेदन है कि जिन लोगों को विभाग द्वारा सहायता दी जाती है उनका पोस्ट आफिस में खाता खुलवायें और उसमें रुपया जमा किया जाय ताकि उनके पैसे का दुरुपयोग न हो सके और वह उनके खाते में जमा हो जाय । मान्यवर, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल जो जिला परिषद् के हैं उनमें पढ़ने वाले पिछड़ी जाति और हरिजनों के बच्चों की जो छात्रवृत्ति है उनके फार्म को हेड मास्टर नहीं भेजते हैं जिससे पैसा बच्चों को नहीं मिल पाता है । इसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे । ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बच्चों का फार्म पहुंच सके । इसके अलावा एक बात का मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लोगों को जमीनें पट्टे पर दी गयी हैं, मकान बनाने के लिए और कृषि कार्य के लिए । लेकिन बड़े पैमाने पर इन जमीनों पर लोगों को कब्जा नहीं मिला है । यह कार्य रेवेन्यू विभाग का है लेकिन इसके लिये मंत्रिमंडल में आप फैसला लीजिये

कि कम से कम हरिजन कल्याण विभाग का अधिकारी किसी जमीन की जांच करके रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट देता है तो तुरन्त उस पर कार्यवाही होनी चाहिए । मान्यवर, मेरा एक निवेदन यह है कि हमारे पूर्वी जिलों में मुसहर जाति के लोग पाये जाते हैं । इन लोगों के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं । समाज में यह सबसे गिरे हुए हैं । आप इनका सर्वे करवाइये और सर्वे कराकर इनको अनुसूचित जनजाति में रखें तथा इनके लिए मकान, पेयजल, शिक्षा की व्यवस्था करें तो मैं समझता हूं कि समाज के इन वर्गों के लोगों का बहुत बड़ा कल्याण होगा । मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया ।

*श्री रमापति शास्त्री–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बजट में हरिजनों की जिन समस्याओं की सूचना दी है । (शोर) मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्थायें आपने की हैं उनको आप लागू कराने में अक्षम हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पिछली सड़ी गली सरकार द्वारा जिस प्रकार से तमाम अव्यवस्थायें करके केवल कागज पर योजनायें रह गयी थीं उसी प्रकार से आपके विभाग की योजनायें, आपके ऊपर दबाव पड़ने के बाद, आपकी योजनायें भी केवल कागज पर रह जायेंगी ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, पिछली सरकार ने जिस प्रकार से मकान और दुकान बनवायी थी, वह मैदानों में बनवायी थी, गांव से दूर बनवायी थी, जिनका आज तक आवंटन नहीं हो पाया । मान्यवर, शौचालय की जो व्यवस्था की जा रही है, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शौचालय के साथ पानी की भी व्यवस्था होना अति आवश्यक है । लेकिन मान्यवर, जो भी घोषणा की जाती है, आज तक हम लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है, हरिजनों के नाम पर तमाम पैसा बरबाद किया जा रहा है, तमाम पैसा खर्च किया जा रहा है इसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी एवं इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज तक हरिजनों के नाम पर पैसा बरबाद किया गया था, उस प्रकार से अब पैसा न बरबाद किया जाय । मान्यवर, जो हरिजनों का शोषण किया जा रहा है, उसे तुरन्त रोका जाय ।

*श्री मूल चन्द–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, यह क्रांतिकारी बजट है । मान्यवर, पिछली सरकार 40 साल तक हरिजनों का उत्थान नहीं कर पायी । हमारे मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है, वह ईमानदारी, क्रांतिकारी, गरीबों के उत्थान का बजट है । पिछली सरकार की यह रवैया रही है कि हरिजनों के नाम, दलितों के नाम पर तमाम योजनाएं बनायी गयीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और हरिजनों तथा दलितों के नाम पर तमाम दुकानें खोली गयीं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए । जहां तक आश्रम पद्धति विद्यालय हों, उसमें जो गड़बड़ियां की गयी हैं, उसकी जांच होनी चाहिए । मान्यवर, 40 वर्ष तक जो कांग्रेस की हुकूमत रही है, वह हरिजनों के बल पर ही रही है और जब हरिजनों ने यह पहचान लिया कि हमको कांग्रेस के लोग धोखा दे रहे हैं, तब उसने कांग्रेस शासन को बदलना आवश्यक समझ लिया और उसने जनता दल को अपना समर्थन दिया । माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अन्याय करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित करने की बात कही है । मान्यवर, कांग्रेस सरकार ने हरिजनों के साथ अन्याय किया है । हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जो हरिजन सेल है, जो हरिजनों की समस्याओं जांच करता है, उसको पूरा अधिकार दिया जाय कि वह स्वतः मुकदमा कायम करे और कार्यवाही करे ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए, इसमें बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं, अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इसे पारित करने का जो 5 बजे का समय रखा गया है, इसे बढ़ा दिया जाय । वह आपको बल प्रदान करेगा, हरिजन समाज कल्याण के उत्थान में सहयोगी होगा ।

श्री मूल चन्द्र–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि हरिजन सेल के अधिकारियों को पूरा अधिकार दिया जाय ।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय नेता ने समय के बारे में कहा, मैं जानता हूं माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं . . (घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, शासन की ओर से एक घंटा बढ़ाने का प्रस्ताव आप करेंगे . . (व्यवधान) सभी सदस्यों से मेरा विशेष आग्रह है कि बजट पास हो जाय (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष की ओर से कोई उत्तर नहीं आया)

श्री फौजदार–

मान्यवर, बी0एस0पी0 का कोई नहीं बोला है इसलिए इनको मौका दिया जाय ।

श्री उदराज गौतम–

मान्यवर, मैं माननीय विद्यार्थी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, समयाभाव के कारण मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के विकास के लिए इस विभाग की स्थापना 1948 में हुई थी और इसलिए हुई थी कि यह वर्ग ऐसा रहा है जो धरती के सीने को चीरकर गल्ला भी पैदा करता रहा है, यह वर्ग ऐसा है जो खेतों और खलिहानों में खून पसीना लगाकर पैदावार करता रहा

लेकिन उनके सामने रहने की समस्या, पेट भरने की समस्या उनको शरीर ढकने की समस्या रही है जिसके कारण सरकार, कांग्रेस सरकार बहुत अर्से से पंच वर्षीय योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्रान्तिकारी योजनाओं के माध्यम से इन वर्गों को उठाने में प्रयत्नशील रही है। आज भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आजादी के 44 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज इस प्रदेश में 45 लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुन लीजिए 45 लाख गरीब परिवारों को उठाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया था। आज हरिजन कल्याण विभाग का बजट है, माननीय मंत्री जी ने इसे बड़े उत्साहपूर्वक पेश किया है। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की धारा, 15(4), 16(5) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की थी; आज बदकिस्मती से माननीय मंत्री जी ने जिस विभाग का बजट इतना लम्बा चौड़ा पेश किया है (व्यवधान) मान्यवर, यह सरकार वैसे भी कहती है, माननीय मुलायम सिंह की सरकार कहती है कि हमने नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगाया है। यहीं संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बैठे हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि फरवरी के महीने में 1200 कर्मचारियों को विद्युत विभाग में लिया गया, जिसमें से अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं लिया गया। अब मान्यवर, मैं कुछ अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र कादीपुर जिला सुल्तानपुर में एक आश्रम टाइप स्कूल है। वहां का अधीक्षक बच्चों को पीटता है, ताकि वे बच्चे वहां न आएं। मैं वहां गया तो रजिस्टर में 68 बच्चे दिखाए गये थे, वहां पर उपस्थित 35 लड़के दिखाए गये थे, लेकिन एक भी नहीं था। बच्चों के लिये वहां पर 20 कम्बल खरीदे गये जिसमें से 6 अधीक्षक उठा ले गये। वहां पर बच्चों के खाने पीने की जो व्यवस्था है, उसके लिये सामग्री तहसील हेडक्वार्टर से न खरीद कर सुल्तानपुर से खरीदी जाती है। अन्त में मैं मा0 विद्यार्थी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 ईश्वर शरण विद्यार्थी जी आप अपनी कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

जी नहीं।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी को भी बुलवा लें।

श्री अधिष्ठाता–

पांच बजे बजट को पास होना है।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है आधे घंटे का समय बढ़ा दें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं मा0 सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे बजट पर अपने गम्भीर सुझाव दिये। (व्यवधान)

श्री फौजदार–

मान्यवर, आपने हमारे दल के सदस्यों को बोलने का समय नहीं दिया, इसलिए अपने दल के सदस्यों के साथ बहिष्कार करता हूं ।

(श्री फौजदार अपने समुदाय के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता–

मा0 विद्यार्थी जी आप कुछ कह रहे हैं?

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी अभी जवाब देंगे।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं मा0 ईश्वर शरण विद्यार्थी जी का बहुत ही आभारी हूं और सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं जिन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये । जो मा0 सदस्य अपने सुझाव नहीं दे पाए, वे मुझे लिखकर दे दें, हम उनके सुझावों का सम्मान करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,85,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान 91 सैनिक कल्याण विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91 सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,99,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 99,55,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93 हरिजन एवं समाज कल्याण (समाज कल्याण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-93 हरिजन एवं समाज कल्याण (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,90,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,27,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

(माननीय ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मद संख्या अगली ले लीजिये, ग्राम्य विकास मंत्री जी परिषद् में हैं, अभी आ रही हैं । मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह बहुत साधारण सा संशोधन विधेयक है । जो प्रशासक नियुक्त हुये हैं, उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है, जिला स्तर पर चुनाव हो गये हैं, लेकिन शीर्ष समितियों के चुनाव होने अभी बाकी हैं और आज 25 जून हो गयी है, 30 जून, तक इनका चुनाव कराना संभव नहीं है, इसलिए इस विधेयक के माध्यम से यह व्यवस्था की जा रही है कि 31 दिसम्बर तक शीर्ष समितियों के चुनाव करा दिए जायें

और पहले की तरह नहीं, बल्कि राय साहब आश्वस्त रहें, कि 31 दिसम्बर तक चुनाव अवश्य करा दिये जायेंगे। अभी तक हम लोगों को समय मिला ही नहीं, चुनाव ही चुनाव कराते रहें, सरकार बनने के बाद से। इस विधेयक में दूसरी बात यह है कि अभी तक समिति के कर्मचारियों को लोक सेवक का दर्जा नहीं था, जिससे भ्रष्टाचार करने पर हमें उनके खिलाफ कार्यवाही करने में दिक्कत आती थी। अब इस (इस समय 5 बजकर 6 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए) विधेयक के जरिये उनको लोक सेवक का भी स्वरूप दे दिया गया है, यही दो हमारे संशोधन हैं। इस पर कोई विशेष बात नहीं है, इस पर माननीय राय साहब अपना प्रस्ताव भी दिए हैं, मैं चाहूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे और इस विधेयक को पास कर देंगे।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कहा, उससे मैं भी सहमत हूं कि चुनाव नहीं हुये हैं और कार्यकाल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जो बोर्ड हैं, उनको मनमाने तरीके से भंग नहीं किया जाय। हमारे यहां जनपद आजमगढ़ में जिला सहकारी बैंक है, इस पर इन्हीं की पार्टी का कब्जा है, उस घटक का नहीं है, जिसका यहां राज है, इसलिये भंग कर दिया वह लोग हाईकोर्ट से स्टे लेकर काम चला रहे हैं। इसी तरह मैनपुरी में भी बोर्ड को भंग कर दिया गया।

*श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय पंचानन राय जी बड़े विद्वान सदस्य हैं, इनको जानकारी नहीं है कि मैनपुरी का जिला सहकारी बैंक का बोर्ड भंग नहीं हुआ है। इन लोगों ने करोड़ों रुपये का घपला किया है, इसलिये इनको निलम्बित किया गया है और जांच कराई जा रही है, इनको इस तरह की बात सदन में नहीं करनी चाहिये।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं कि यादव जी ने मेरा ज्ञानवर्धन कर दिया।

(बीच में सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, जब इधर का कोई सदस्य कुछ कहने के लिये खड़ा होता है, तो उधर के सदस्य उसको बोलने नहीं देते हैं। जबकि शासक दल को संवेदनशील होना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये प्रतिदिन यही होता है कि जब इधर से कोई कुछ कहता है, तो वाक्य पूरा नहीं होने पाता है, कुछ लोग उधर से हंगामा करने लगते हैं।

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जो निर्वाचित बोर्ड हैं, उनको राजनीतिक तौर से भंग न किया जाय क्योंकि इनको तो अब हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ में इनके जनता दल के ही वहां अध्यक्ष थे, जब इसका मर्जर नहीं हुआ था तब जनता पार्टी के अध्यक्ष थे।

मान्यवर, इन संस्थाओं का राजनीतीकरण न किया जाय। सत्ता पक्ष और विपक्ष-दोनों को मिलकर इन संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। तभी इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश का कल्याण होगा । राजनीतीकरण करने से इस प्रदेश का नुकसान ही होगा । इन्हीं बातों के साथ मैं प्रवर समिति को भेजने का अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

(अनुज्ञा प्रदान की गयी)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 5, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" रख दिये जायेंगे ।

धारा 34 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (2) के पश्चात् और वर्तमान स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी अर्थात्—

"(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित नाम निर्देशन का अधिकार उसके द्वारा किसी ऐसे प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ।"

धारा 35 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "30 जून, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" रख दिए जायेंगे ।

धारा 134 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 124 में शब्द "निबन्धक द्वारा प्राधिकृत हो" के पश्चात् शब्द "या सहकारी समिति का कोई अधिकारी" बढ़ा दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990

*ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, हमारे यहां प्रदेश में कुछ नये जिले बने थे । उसमें बहुत से जिलों में परिसीमन की समस्या व अन्य समस्यायें रह गई थीं, जिनकी वजह से इन जिलों में चुनाव नहीं हो पाया था । महराजगंज सबसे बाद में बना था । उस जिले में सीमा व कुछ अन्य विवरण की समस्या थी, जिसकी वजह से हम यहां चुनाव नहीं करा पाये, इसीलिए थोड़ा समय बढ़ाने के लिए हमने कहा है । जैसे ही कार्य पूरा हो जायेगा, हम शीघ्र से शीघ्र इसका चुनाव भी करा देंगे ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, वैसे तो जो विधेयक माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने रखा है, उसमें विरोध नहीं होना चाहिए । श्री पंचानन राय जी कह रहे हैं, मैं भी अपने प्रस्ताव को वापस कर लूंगा । कुछ अहम् बातें हैं, जिनकी ओर माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक ओर तो चुनाव कराने की अवधि बढ़ा रहे हैं यह कह करके कि जिन नये जिलों को बनाया गया है, उनमें परिसीमन आदि कई समस्यायें हैं, लेकिन जहां चुनी हुई संस्थायें हैं, उन्हें आप अस्थिर कर रहे हैं । कांग्रेस ने जिन लोगों को नामजद किया था, उनका कार्यकाल आपने एक साल कर दिया ।

आपकी सरकार के द्वारा जो नामजद हैं, उनका कार्यकाल आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा । मेरे अपने जनपद में जो नामजदगियां हुई तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नामजद होता है, राजेन्द्र गुप्त जी बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि वह सुन लें, माननीय बंश गोपाल चतुर्वेदी, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, भूतपूर्व विधायक थे, उनको मनोनीत किया गया, 24 घण्टे के अन्दर जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के पास दूसरा आदेश पहुंचता है कि चूंकि माननीय बंश गोपाल चतुर्वेदी जी स्वर्गवासी हो गये हैं, अतः दूसरे श्री होरी लाल यादव को नामजद किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि यह एक जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का घोर अपमान है । आपके पास जिलाधिकारी मौजूद थे, जिला प्रशासन मौजूद था, आप हाट लाइन से जिलाधिकारी को कह सकते थे अगर किसी ने कहा था कि माननीय श्री बंश गोपाल चतुर्वेदी स्वर्गवासी हो गये हैं तो आप पूछ सकते थे कि 31 मार्च तक उन्होंने अपनी पेंशन ली है, वह जीवित हैं या नहीं । जिलाधिकारी भी एक घण्टे के अन्दर खबर दे सकते थे । मैं अपने संशोधन को रखता हूं और कहता हूं कि शासन की नीयत साफ नहीं है । शासन ऐसे औंधे काम कर रहा है, जिससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ही अपमान नहीं हो रहा है बल्कि जनतंत्र की मर्यादाओं का भी अपमान हो रहा है । मैं इस संशोधन के साथ अपना प्रस्ताव वापस भी ले लेता हूं ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जहां तक आदरणीय सदस्य फर्रुखाबाद ने कहा कि जो समय घटाया है, प्रजातंत्र पर कुठाराघात है और प्रजातंत्र को कम करने की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि जहां तक एक साल की अवधि करने का प्रश्न है, तो यह जो प्रजातंत्र को बढ़ावा देना है । पहले दो साल की अवधि थी, अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता था तो चार साल हो जाते थे और धीरे-धीरे पांच साल का समय निकल जाता था । इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर एक साल का समय रखा गया था जिससे ज्यादा प्रजातांत्रिक तरीके से काम कर सकें ।

जहां तक कहा है कि जो मेम्बर नामजद हुए हैं उनको हटा सकते हैं . . .

(व्यवधान)

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैंने यह कहा था कि कांग्रेस शासन काल में नामजद व्यक्तियों का कार्यकाल एक साल था और आप जिन्हें नामजद करें वे आपकी इच्छा पर ।

(श्री बाबू राम यादव के खड़े होने से व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि नामजदगी के बाद वर्तमान सरकार को यह अधिकार नहीं था कि एक साल के पूर्व हटायें इसलिए आपने जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को स्वर्गवास करके दूसरे को नामजद किया । यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री बाबू राम यादव—

मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा । सदन नियम के तहत चलता है, आप भी नियमों से बंधे हुए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रस्ताव को माननीय सदस्य वापस ले चुके हैं, क्या उस पर यह पुनः बोल सकते हैं ? आपने इनको इजाजत किस नियम में दी है ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैंने तो संशोधन प्रस्तुत किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, अब मैंने मा0 मंत्री जी को बुला लिया है, बीच में मा0 बाबू राम यादव खड़े हो गये थे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दीजिये ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी मा0 तिवारी जी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है किन्तु अभी दो-चार बातें आवश्यक हैं जिनका उत्तर देना मैं आवश्यक समझती हूं । कहा गया है कि नामजद सदस्यों का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया । इसके लिये एक साल का नियम है जब उनका एक साल हो गया तो उनका कार्यकाल स्वयं ही समाप्त हो गया और उनकी जगह पर दूसरे लोगों को नामजद किया गया । उनकी सदस्यता की अवधि भी अध्यक्ष की ही तरह एक वर्ष की है जब उनके 365 दिन पूरे हो जायेंगे तभी उनकी भी कार्यकाल समाप्त होगा ।

अभी फर्रुखाबाद के बारे में मा0 सदस्य ने कहा कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की नियुक्ति हुई थी और बाद में उसमें परिवर्तन कर दिया गया । हम विधान सभा में इस बात को कहना चाहते हैं हमें इस पर खेद है क्योंकि हमको गलत सूचना मिली थी कि वह मा0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित नहीं हैं । मैंने आदेश दिया था कि हर सदस्य के बारे में पूरी जानकारी पता करना आवश्यक है । इसी पता लगाने की सूचना के तहत मुझे गलत जानकारी दे दी गयी । इसलिये हमको आदेश में परिवर्तन करना पड़ा और उनकी जगह पर एक बहुत ही सम्मानित सदस्य को नामजद किया गया । जहां तक प्रजातंत्र पर कुठाराघात करने की बात कही गयी है तो इससे प्रजातंत्र पर कोई कुठाराघात नहीं हुआ है । इसके साथ ही मैं मा0 तिवारी जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । यद्यपि इसको माननीय विमल प्रसाद तिवारी ने वापस ले लिया है, क्या सदन इस को वापस लेने के लिये सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2

2–उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक "28 फरवरी, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1990" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर अधि संख्या सन् 1 की धा का सं

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 में, अंक और शब्द "30 जून" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर" रख दिए जायं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में, अंक और शब्द "30 जून" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थि किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 3

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1990

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ के खण्ड 3 के पार्श्व शीर्षक में, शब्द और अंक "अध्यादेश संख्या 3" के स्थान पर शब्द और अंक "अध्यादेश संख्या 7" रख दिये जायं और उप खण्ड (1) में, कोष्ठक और शब्द "(संशोधन" के स्थान पर कोष्ठक और शब्द "(द्वितीय संशोधन)" रख दिये जायें ।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 के पार्श्व शीर्षक में, शब्द और अंक "अध्यादेश संख्या 3" के स्थान पर शब्द और अंक "अध्यादेश संख्या 7" रख दिये जायं, और उप खण्ड (1) में कोष्ठक और शब्द "(संशोधन)" के स्थान पर कोष्ठक और शब्द "(द्वितीय संशोधन)" रख दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड–3 इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

क्षप्त
न और
रम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायगा।

(2) यह 22 फरवरी, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, और जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विवेकानन्द पालीक्लीनिक, लखनऊ में कर्मचारियों के शोषण, अत्याचार सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की जो विवेकानन्द पालीक्लीनिक, लखनऊ में कर्मचारियों के शोषण, अत्याचार, सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध है, को स्वीकार किया गया है। शेष को अस्वीकार किया गया है।

दिनांक 9 मई 1990 को करैली (इलाहाबाद) में साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा श्री अशोक कुमार की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, वह तो उपस्थित भी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

*नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश) —

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 9.5.90 को रात्रि लगभग 8 बजे, श्री अशोक कुमार गुप्त की हत्या करैली स्कीम डी ब्लाक इलाहाबाद में कर दी गई थी । इस संबंध में थाना खुल्दाबाद में श्री शरद कुमार गुप्त, एडवोकेट की सूचना पर दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग मु0 अ0 सं0-434/90 धारा 302 भा0द0वि0 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचना के मध्य विदित हुआ कि साम्प्रदायिक विवाद के कारण उसकी हत्या दूसरे पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा की गई ।

2–वर्ष 1988 में करैली में मस्जिद के निर्माण के विवाद के कारण तनाव हो गया था और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी । विवादित निर्माण स्थल पर शान्ति व्यवस्था हेतु स्थायी रूप से पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाती रही है ।

3–निर्माण पक्ष के लोगों द्वारा 10 व्यक्तियों की हत्या करने हिट लिस्ट बनाने और उसमें मृतक का नाम नम्बर 2 पर होने की कोई सूचना पुलिस को नहीं है ।

4–श्री अशोक कुमार गुप्त की मृत्यु के पश्चात् मृतक के भाई श्री शरद कुमार गुप्त व तीन अन्य व्यक्तियों को दो-दो सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराने के साथ ही मृतक के मकान पर एक सशस्त्र गार्ड लगायी गयी है ।

5–हत्या के तुरन्त बाद जिला प्रशासन ने मौके पर जाकर मामले में त्वरित विवेचना किए जाने एवं हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने का आश्वासन दिया । घटना की विवेचना तत्परता से की जा रही है एवं अभियुक्तों का पता कर गिरफ्तार करने के पूर्ण प्रयास जारी हैं ।

6–मुझसे दिनांक 14-5-90 को इलाहाबाद यात्रा के दौरान, एक प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मृतक के आश्रितों को पांच लाख रुपए की धनराशि राहत के रूप में प्रदान किए जाने की मांग की गई थी । मेरे द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि यदि प्रतिनिधि मण्डल चाहे तो मृतक के आश्रितों को तत्काल 25 हजार रुपए जिलाधिकारी द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं तथा अधिक राशि दिए जाने पर बाद में विचार किया जा सकता है । प्रतिनिधि मण्डल इस आश्वासन से सहमत नहीं हुआ ।

7–मेरे द्वारा करैली में शीघ्र ही एक थाना खोले जाने का आश्वासन भी दिया गया था । इस आश्वासन की पूर्ति में करैली स्थित रिपोर्टिंग एवं इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर थाना बनाए जाने के आदेश पारित किए जा चुके हैं । घटना में किसी पुलिस कर्मी को दोषी नहीं पाया गया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

8—करैली स्कीम में काफी संख्या में शरणार्थी के रूप में बसे हुए बिहारी मुसलमानों को हटाए जाने की एक वर्ग की मांग में कोई औचित्य नहीं पाया गया है। साम्प्रदायिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पुनः निर्माण चालू करने की किसी साजिश का पता नहीं चला है। पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखने की पूरी व्यवस्था की गयी है। स्थिति नियंत्रण में है।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक मिनट केवल लेना चाहता हूं। यह बात इसलिये कह रहा हूं कि जो अद्यतन कार्यवाही वहां पर हो चुकी है, एक अच्छा काम हो चुका है। लेकिन अधिकारियों ने सूचना सरकार को नहीं दी। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि सरकार की पकड़ नहीं है। जब पकड़ लिया गया उसके साथ प्रोबिंग करके जानकारी प्राप्त नहीं कर पाये, सरकार ने छिपा दिया।

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, प्रश्न करवायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अपनी कमजोरियों को न छिपायें। मान्यवर, अपने वक्तव्य के दूसरे पैरे में आपने स्वीकार किया है कि वर्ष 1988 करैली में मस्जिद के निर्माण के विवाद के कारण तनाव हो गया था और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि अवैध निर्माण हो रहा। बाद में पता लगाया गया कि साम्प्रदायिक विवाद के कारण उसकी हत्या कर दी गई। मान्यवर, यह एक संवेदनशील मामला है। सरकार ने स्वीकार भी किया है कि यह अवैध निर्माण कार्य हो रहा था और साम्प्रदायिक दृष्टि से उनकी हत्या कर दी गई। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस तनाव के स्थायी हल के लिए कोई प्रयास किया है? यदि हां, तो क्या?

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, सदन की जानकारी में यह बात बताना जरूरी है कि मंसूर अली नाम का एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ और दो-तीन और जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कुर्की के आदेश भी अदालत से प्राप्त कर लिये गये हैं और यह प्रयास किया जा रहा है कि इस पर जो भी प्रभावी कार्यवाही हो वह की जाय। मान्यवर, निश्चित रूप से यह साम्प्रदायिक विद्वेष का नतीजा था, जिससे यह अफसोसजनक घटना हो गई। यह अच्छा नहीं हुआ। यह बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखद भी था। मान्यवर, यह घटना 9 मई को 8 बजे रात में हुई। अशोक कुमार गुप्त एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। अपने विचारों के प्रति आबद्ध भी थे। उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या में, जो अभी तक तथ्य प्रकाश में आये हैं उनसे यह नतीजा निकलता है कि साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण उनकी हत्या की गई जब वे अपने घर लौट रहे थे। उसके बाद स्थानीय क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया। उसमें जैसे हमारे केशरी नाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं, पुराने साथी तीरथ राम कोहली, धवन साहब और श्रीवास्तव आदि लोग जो हैं, इन लोगों ने वहां पर इस साम्प्रदायिक तनाव को कम

करने का प्रयास किया । और भी लोग हैं जैसे राकेश धर त्रिपाठी जी हैं, व्यक्तिगत तौर पर जानकारी ली गई, इसके अलावा और भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, सबने मिलकर इस समस्या को तनावरहित करने का प्रयास किया । सरकार का पूरा प्रयास है कि इस समस्या का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास हो, साम्प्रदायिक तनाव न हो । लेकिन इस प्रयास को सफल करने में हम सभी सम्मानित सदस्यों का सहयोग चाहते हैं । आप सुझाव दें । आपके सुझावों के अनुसार हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि पिछले कई वर्षों से इलाहाबाद अवैध बम बनाने का एक अड्डा बन गया है और इस हत्या में भी बम का ही इस्तेमाल किया गया है । चार साल और उससे भी पहले वहां पर बम पकड़े भी गये थे । इसलिए यह पहली घटना नहीं है, आगे भी इस तरह की कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न होने पाये इसके लिये क्या सरकार इस प्रकार के बम बनाने वालों के घरों चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय के हों, हिन्दू हों, मुसलमान हों, वह कोई भी हो सकता है तो ऐसे लोगों के घरों की तलाशी लेकर अवैध बम बनाने वालों को सामने लाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, इस संबंध में माननीय कल्यान सिंह जी की चिन्ता वाजिब है और यह सच है कि पिछले एक साल से इलाहाबाद में बम चलाने की काफी घटनायें प्रकाश में आई हैं और यह अफसोस की बात है कि इधर 6 महीनों में और उससे पहले के 6 महीनों में भी किसी अपराधी को इस संबंध में नहीं गिरफ्तार किया गया यह एक तरह से असफलता मैं मानता हूं । हम कोशिश करेंगे बम बनाने वाले अपराधियों को चाहे जो भी हों उनके खिलाफ कार्यवाही हो । तीन चार रोज पहले शासन स्तर पर बड़े अधिकारियों की मिटिंग बुला कर कह दिया गया खास कर इलाहाबाद के बारे में कि पिछले डेढ़ दो सालों में जो बम फटने की वारदातें हुई हैं और उसमें कोई पकड़ा नहीं गया इस संबंध में पूरा प्रयास किया जाये और कहा गया है कि इस बात का पता लगाया जाय कि कौन-कौन से अपराधिक गुट हैं जो इस तरह के काम में माहिर हैं और अगर ऐसे अपराधियों को बाहर से बुलाकर इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं तो उन पर नियंत्रण करने की कार्यवाही की जाय और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं अभी जैसा आपने कहा कि पिछले 6 महीने में और उससे पहले कोई गिरफ्तार नहीं हुआ तो जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्या उनकी कुर्की की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैंने पहले ही बात दिया कि जो भी कानूनी कार्यवाही पुलिस के द्वारा और सरकार द्वारा की गयी लेकिन गिरफ्तारी नहीं की जा सकी यह चिंता की बात है

इसीलिये सदन के सामने आश्वासन दिया कि हम पूरी कोशिश करेंगे उनका पता लगायेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर आखिर इलाहाबाद में बम विस्फोटक की जो घटनायें हो रही हैं उनके पीछे कौन लोग हैं और उनको रोका जाय ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं उन्होंने अपने वक्तव्य के कंडिका 8 में कहा है कि करैली स्कीम में काफी संख्या में शरणार्थी के रूप में बसे हुये बिहारी मुसलमानों का हटाये जाने की एक वर्ग की मांग में कोई औचित्य नहीं है तो हमने जो सूचना दी थी उसमें बिहारी मुसलमानों का कहीं जिक्र नहीं किया है वह भी देश के नागरिक हैं उनको भी रहने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

कुछ बंगला देश के शरणार्थी वहां आकर अनधिकृत रूप से बस गये हैं जो अपराध करते हैं जिनके कारण साम्प्रदायिक तनाव हो रहा है हमने उनके बारे में कहा है उनको हटाने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जो प्रश्न किया गया है उसका परीक्षण कराना बहुत जरूरी है क्योंकि बंगला देश से जो लोग 1970-71 में मजबूरी के कारण वहां से भाग कर चले आये हैं, त्रिपाठी जी इससे सहमत होंगे कि सारे के सारे साम्प्रदायिक नहीं हो सकते हैं और सारे के सारे अपराधिक नहीं हो सकते हैं तो उनमें से कौन साम्प्रदायिकता को फैला रहे हैं इसका परीक्षण किया जा रहा है । वह भी उसमें योगदान दें ।

प्रदेश के कई जिलों में पेयजल के घोर अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

एक प्रश्न और कर लेने दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं मैं आगे की मद ले चुका हूं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

मान्यवर, जल ही जीवन है लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 42 वर्षों के बाद भी हमारे उत्तर प्रदेश में पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है । प्रदेश के कई जिलों में जैसे वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, हरदोई मथुरा आदि में जहां जल का अभाव चल रहा है भयंकर हा-हाकार मचा हुआ है ।

मान्यवर, मैं अपने जनपद वाराणसी की पेय जल समस्या के सम्बन्ध में विशेष-रूप से कहना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों से पानी का हाहाकार मचा हुआ है और इसके लिये वहां की जनता ने धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन, जेल भरो आदि सारे कार्यक्रम किये हैं किन्तु पेयजल समस्या वैसी की वैसी ही बनी है । वाराणसी में हाईजोन के मोहल्ले जो पक्के मोहल्ले के नाम से जाने जाते हैं वहां पानी की विशेष

दिक्कत है । लोगों को गड्ढे से मग द्वारा पानी भरना पड़ रहा । एक तरफ पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ नगर में गन्दे और बदबूदार पानी की आपूर्ति हो रही है जिससे संक्रामक रोग फैल रहे हैं । वाराणसी के सारे डाक्टर कह रहे हैं कि अतिसार और पीलिया के रोगियों की वृद्धि हो रही है इसका मुख्य कारण गंगा के गन्दे पानी की आपूर्ति है । जो भदेवो पंपिंग स्टेशन है जहां से मुख्य रूप से पानी की सप्लाई होती है वहां 5 पम्पों में से तीन खराब हैं, सिर्फ 70 के0 एल0 के दो पम्प काम कर रहे हैं वो भी बहुत कम दबाव पर । इसी प्रकार वाराणसी शहर में 62 नलकूप हैं जिसमें से 28 या तो खराब हैं या बन्द पड़े हैं । जो काम कर रहे हैं वो कम पानी उठा रहे हैं जिससे नगर में कम दबाव में पानी की आपूर्ति हो रही है । जो स्कूल और आफिस जाने वाले लोग हैं उनको नित्य क्रिया किये बिना ही बाध्य होकर काम पर जाना पड़ता है ।

मान्यवर, रत्नाकर पार्क रेणुका मन्दिर, मानस नगर कालोनी, राजघाट, मछोदरी आदि हैं, इन स्थानों के नलकूप नगर को ज्यादातर आबादी को पानी की सप्लाई करते हैं और वे अधिकतर खराब हैं या कम पानी उठाते हैं ।

दूसरी तरफ पानी की जो आपूर्ति है उसको सुचारु रूप से चलाने के लिये हैन्ड पम्पों की शासन द्वारा जो व्यवस्था हुयी है उसमें से 90 प्रतिशत हैण्ड-पम्प खराब हैं और उनके मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है जो दुख की बात है । मरम्मत की सूचना जल संस्थान को दी जाती है तो वह कहते हैं कि यह जल निगम का काम है और जल निगम को कहा जाता है तो वह कहते हैं कि दूसरी जगह जायें चूंकि हमारे पास धन नहीं है । इस तरह से वहां के नागरिक पानी के लिये तड़प रहे हैं । विगत माह में सेटलिंग टैंक टूट गया था जिससे पानी की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है । वाराणसी में इसलिये पानी का हाहाकार मचा हुआ है ।

मान्यवर, एक तरफ वाराणसी में जहां लोगों को पानी के लिये तड़पना पड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ पानी का टैक्स 90 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये कर दिया गया है जो घोर अन्याय है । जिससे लोगों में भयंकर असंतोष व्याप्त है । मेरा अनुरोध है कि जल कर जो न्यूनतम 90 रुपया लिया जाता था उसे पुनः लागू करें ।

मान्यवर, एक तरफ पानी के लिये तमाम योजनायें बन रही है और पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन तमाम योजनायें बन रही हैं और पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन जा रहा है लेकिन उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग नहीं हो रहा है । ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत से विश्व बैंक परियोजना की 12 करोड़ की योजना को बढ़ाकर $13\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया गया है और इस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई की लूट खसोट जारी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें और संक्षेप में कह दें । चूंकि श्री देव कुमार यादव जी का भी नाम है एवं दूसरे मा0 सदस्य भी बोलना चाहेंगे ।

श्री श्याम देवराय चौधरी दादा–

ठीक है . . . ।

और मान्यवर, पानी को सुचारु रूप से सप्लाई करने के लिए जो ओवर हैड टैंक बने हुए हैं, उनमें से एक जो मोंगावीर नामक स्थान पर बना हुआ है, जिस पर 30 लाख रुपया लगा है, वह काम शुरू करने से पहले ही बेकार होकर पड़ा है, और आजकल वह बिल्कुल बेकार पड़ा है। पानी के साथ जो मिट्टी मिलकर आती है, उसको नीचे बिठालकर साफ पानी करने के लिए जो एलूमिनस फेरिक प्लान्ट एक लगाई गई थी, उसमें 13 लाख रुपये की लागत आई थी, वह प्लान्ट भी मात्र 4-5 महीने काम करने के बाद बेकार पड़ा हुआ है। इस तरह वह 13 लाख रुपया भी बेकार चला गया. . (व्यवधान) अधिकारियों की मिलीभगत से वहां पर बड़ी लूट घसोट है और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। इसके लिए मैं यह मांग करना चाहता हूं कि वहां जो भ्रष्टाचार पनप रहा है और प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए एक उच्चस्तरीय विशेष जांच कराई जानी चाहिए, और वहां पर जो काम हो रहा है, हुआ है, उसमें घोटाले के लिए जिम्मेदार लोग दण्डित किये जायं अन्त में मान्यवर, वाराणसी की जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु सभी आवश्यक प्रभावी कदम उठाये जाने एवं जलकर वृद्धि को अविलम्ब वापस लेकर उसे पूर्ववत 90 रुपये करने की मैं पुरजोर मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं, अब जो बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, आपने चर्चा स्वीकार करके प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया है। मान्यवर, यह सोचनीय स्थिति है कि आजादी की लगभग आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद भी इस प्रदेश की हमारी सरकार पीने तक का पानी लोगों को नहीं दे सकती है। मान्यवर, पहाड़ों से लेकर बुन्देलखण्ड तक ऐसे हजारों गांव हैं, जहां के कुवें और तालाब दिसम्बर माह में ही सूख गये हैं। एक नई चिन्ताजनक परिस्थिति सामने आ गई है कि प्रदेश के बहुत से अंचलों में जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, खासकर बुन्देलखण्ड और बांदा की स्थिति बहुत चिन्तनीय है। इसके लिए समय से प्रदेश सरकार द्वारा कदम नहीं उठाए गए तो वहां के करोड़ों लोगों को पीने के पानी बिना जिन्दा रखना मुश्किल हो जाएगा। बुन्देलखण्ड के बारे में अखबारों में छपा है कि वहां पर एक डिग्री, दो डिग्री तापमान हर साल बराबर बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते इस समय 48-49 डिग्री तक पहुंच गया है, और वहां का जल स्तर घटते घटते नीचे चला जा रहा है। इसके फलस्वरूप वहां पहले के हैण्डपम्प बेकार हो गये हैं। साथ ही कुयें और तालाबों की स्थिति इतनी खराब है कि वे दिसम्बर में ही सूख जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार को पर्यावरण विशेषज्ञों या भूगर्भ वैज्ञानिकों के माध्यम से इस गम्भीर मानवीय समस्या की जांच हेतु जांच बिठालनी चाहिए और समय से इसकी जांच कराकर इसकी रोकथाम के उपाय निकाले जाने चाहिए। प्रदेश में हर जगह और यहां तक कि प्रदेश की राजधानी में पानी का घोर संकट है, जिससे कि वहां भी रोज घड़ा फोड़ आन्दोलन हो रहे हैं। 12 जून को बांदा में भी हजारों महिलाओं ने रोते घड़े लेकर कलेक्टर के सामने बड़ा मार्च कर पानी की समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था। वहां के पाठा क्षेत्र की पानी की समस्या के निवारण के लिए जो 250 से अधिक [illegible] में भ्रमण का पर्यवेक्षण नहीं किया।

कुयें दिए गये थे, वह भी पूरी तरह असफल रहे हैं । पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं है । इसी तरह से जो पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं वह सभी असफल रहीं हैं । सबसे बड़ी गम्भीर बात यह है कि जिन गांवों में सम्मिलित पेय जल योजना में इंडियन मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये जाने हैं उनका आवंटन भी नहीं हो रहा है जिसके कारण पेयजल की समस्या बड़ी गम्भीर होती जा रही है । मान्यवर इस समस्या का पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल है । पेय जल की समस्या को दूर करने के लिये हैण्ड पाइप लगवाये जाने चाहिए और पेयजल संकट को समाप्त करना चाहिए ।

मान्यवर, मैं इस संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जो बांदा जिले में पाइप लाइन डाली गई थी वह सन् 1945 के आस-पास डाली गई थी । वह गन्दी नालियों में से होकर जाती है । इतनी गन्दी नालियों से होकर जाने की वजह से उनमें जंग लग जाने के कारण छेद हो गये हैं जिसके द्वारा मल मूत्र इत्यादि पाइप लाइन के माध्यम से पीने के पानी में चला जाता है । मान्यवर वहां पर एक डाक्टर ने बताया कि 10 मरीजों में से 6 मरीज वह टी0 बी0 के देख रहे हैं और वहां पर 60 प्रतिशत लोग फाइलेरिया, मलेरिया, टी0 बी0 आदि रोग से पीड़ित हैं । इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम शुद्ध पीने का पानी देने की व्यवस्था करें और उन जंक लगे हुए पाइप लाइन को बदलवायें ।

श्री सोमांश प्रकाश–

मैं आपका आभारी हूं कि मा0 उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस समस्या पर इस समय यहां बोलने का मौका दिया । मा0 नगर विकास मंत्री जी यहां मौजूद हैं और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वह इस समस्या पर पूरा ध्यान देंगे और शासन भी इस पर ध्यान देगा । मेरे विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फर नगर में ढाई लाख की आबादी थी । यह व्यवस्था उस समय की थी । अब पानी की समस्या आ रही है । अब जब वहां चार लाख की आबादी हो गई है वहां पर पानी की समस्या और भी गम्भीर हो गयी है । गर्मी में पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मा0 नगर विकास मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पीने के पानी की इस भीषण समस्या की ओर ध्यान देते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर में चार ट्यूबवैल की बोरिंग आवश्यक है । मैं इसके लिये आपका आभारी रहूंगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

कृपया मुझे भी बोलने का मौका दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी मा0 सदस्य मुजफ्फर नगर इस बारे में अपने जिले की समस्या को बता चुके हैं। अतः आप बैठें ।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया । मान्यवर, मैं आपका ध्यान इलाहाबाद जनपद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मेरा निर्वाचन क्षेत्र तहसील चायल जिनमें तीन ब्लाक हैं चायल, नेवादा, मूरतगंज जो गंगा और यमुना के दोआब में बसा हुआ है लेकिन फिर भी वहां की जनता प्यासी है यह दुर्भाग्य की बात है । मैं आपका ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 टाउन एरियाज हैं, मराय अकिल, भरवारी,

तथा चायल । जहां पर पेयजल की भीषण समस्या है । इसके अलावा दो व्यापारिक स्थान हैं, मूरतगंज तथा भनौरी जहां पर पेयजल की समस्या गम्भीर है । पूर्व में हम लोगों ने वहां पर कुछ इंडिया मार्क–11 हैंड पम्प लगवाये थे परन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वाटर स्ट्रेटा 30 फीट डाउन चला गया है जिससे पेयजल का घोर संकट है । वहां पर जो ट्यूबवेल और हैण्ड पंप पहले लगे हुये थे उनका वाटर स्ट्रेटा डाउन हो गया है और वह बिगड़ गये हैं । इसके पूर्व भी मैंने कई बार मंत्री जी से निवेदन किया था तथा मैंने नियम 301 में भी यह मामला उठाया था । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शासन से जिला प्रशासन की तरफ से इधर कुछ हैण्ड पम्प दिये गये हैं । पहले हम लोगों से हैण्ड पम्प लगाने के समय पूछा जाता था कि कहां पर लगेगा । गांवों की सूची मांगी जाती थी लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन को इतना अधिकार दे दिया गया है कि लेखपाल तथा पटवारी से सर्वे कराया जा रहा है जबकि उनको पता ही नहीं है कि कहां पर पेयजल की समस्या है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि जन प्रतिनिधि जिनको गांवों की जानकारी रहती है और गांवों से जिनका संपर्क रहता है उनका सहयोग इसमें लिया जाना चाहिये तथा जन-प्रतिनिधियों के कहने पर ही लगाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठिये ।

*श्री जय शंकर पांडेय–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। फैजाबाद और अयोध्या विश्व के विशेष सांस्कृतिक विन्दु हैं । वहां पर पिछले 3 वर्षों से पेयजल की अत्यधिक गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है । फैजाबाद में ट्यूबवेलों की बोरिंग फेल हो गयी है जिससे दर्जनों मोहल्ले पानी को तरस रहे हैं । इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराया जा चुका है । मेरा सुझाव है कि फैजाबाद के अन्दर 4 नये ट्यूबवेलों की बोरिंग करायी जानी चाहिये जो शासन में प्रस्तावित है और विचाराधीन है । मान्यवर, फैजाबाद में जो पाइप लाइन है वह 1935 में बिछायी गयी थी । यह पाइप लाइन टूट गयी है जिससे 30 प्रतिशत पानी रिसाव होने के कारण बेकार चला जाता है और कम से कम 10 साल से फैजाबाद में दूसरी मंजिल पर पानी नहीं पहुंचता है । मेरा सुझाव है कि जो टूटी हुयी पाइप लाइन है उसको बदलवाया जाय तथा नये ट्यूबवेलों की बोरिंग करवायी जाय और अयोध्या का सर्वे करने के लिए तत्काल जल निगम को निर्देश दिया जाय । यही मेरी आपसे मांग है । धन्यवाद ।

*श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने पेयजल संकट पर अपनी बात कहने का अवसर दिया । मान्यवर, बाराबंकी जनपद लखनऊ से मिला हुआ है । बाराबंकी जनपद में पेयजल का काफी संकट पैदा हो गया है । मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जगहें हैं जहां पर गर्मियों के दिनों में गांवों में पानी सूख जाता है और वहां पर पानी की समस्या बनी रहती है, लोग नदी से लेकर पानी पीते हैं। मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार पेयजल की व्यवस्था हमारे निर्वाचन क्षेत्र सुदेहा, सरीफाबाद, असंदरा, फतेगंज, भेलवल, भिटरी, मंझूपुर, खैराकनकू, राम नगर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और उसमानपुर आदि स्थानों पर यथाशीघ्र करा दें। वहां पर पेयजल संकट बहुत बड़ा है। हमारा यह भी निवेदन है कि दलगत राजनैतिक भावना से ऊपर उठकर इन स्थानों पर पेय जल की समस्या को दूर करने की कृपा करें।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पेय जल की समस्या पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, लखनऊ की आधी जनता प्यासी है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, यहां पर दूर-दूर से लोग अपना काम करवाने के लिए आते हैं, परन्तु यहां पर पानी का बहुत बड़ा गम्भीर संकट है। दुर्भाग्य है कि आजादी के 42 साल के बाद आज प्रदेश की जनता पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। अनेकों मुहल्लों में एकआध घंटे भी पानी नहीं आता है, जिससे जनता भयं रूप से परेशान है। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर माननीय मंत्री जी गये। कालिदास मार्ग, जहां पर मंत्री लोग रहते हैं, उसके सामने मार्टिन-पुरवा की पाइप लाइन में गड्ढा खोद कर लोग पानी भर रहे थे, वहां पर पीने के लिए पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी मेरे क्षेत्र में पीने के पानी का बहुत बड़ा संकट है और जो पानी मिल रहा है, वह शुद्ध नहीं मिल रहा है, उसके पीने से अधिकांश लोग बीमार हो जाया करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लखनऊ शहर में ट्यूबवेल लगवाये जाय और स्थान-स्थान पर हैण्ड पम्प लगवाये जायं। जो हैण्ड पम्प बिगड़ गये हैं, उनको ठीक करवाया जाय। जो कुए टूट गये हैं, गन्दे हो गये हैं, पट गये हैं, उनकी सफाई करवाई जाय और उन्हें ठीक करवाया जाय। तथा पेय जल संकट को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये जायं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने जनहित की इस ज्वलंत समस्या पर दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठ कर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए चर्चा कराया, चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के बैठने वाले हों, सभी अपने-अपने क्षेत्र की इस ज्वलंत समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, किसी का कोई आलोचना करने का इरादा नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ के युग्म नगरों में कई हजार लीटर पानी की टंकी 1983 में निर्मित की गयी, परन्तु आज तक उसका उपयोग नहीं हो सका। जल कल विभाग के अधिकारियों से बात करने पर वह कहते हैं कि जल कल विभाग के नलकूप इतने पुराने और खराब हो चुके हैं कि इस टंकी से भरने की क्षमता उनमें नहीं है। अतः मेरा आपसे, माननीय मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि वह जल कल व्यवस्था सुधारने के लिए नये नलकूप लगवाने के बजाय, जिसमें लागत भी बहुत आती है, इंडिया मार्क-टू हैण्ड पम्प अधिक से अधिक संख्या में प्रत्येक शहर में लगाने की व्यवस्था करें, जिससे शुद्ध जल भी प्राप्त होता है और गरीब तबके के लोग जो पानी का कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, उनकी भी पेय जल समस्या हल हो जाय।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मे पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। मान्यवर, जो दो ढ़ाई सौ की आबादी पर पूरे प्रदेश में एक हैण्ड पम्प लगाने की राज्य सरकार की योजना है वह बुन्देलखण्ड के लिए ठीक नही है। बुन्देलखण्ड की आबादी बहुत ही छितरी

हुई और दूर दूर है इसलिए यह दो सौ और ढाई सौ पर एक हैण्ड पम्प लगाने के बजाय वहां पर 100 व्यक्ति के आबादी पर एक हैण्ड पम्प लगाया जाय अतः अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड के लिए यह नीति शासन से तैयार करायें ।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि बांदा जनपद में आबादी के हिसाब से हैण्ड पम्प बहुत कम लगाये गये हैं । ललितपुर को 525 हमीरपुर को 550 हैण्ड पम्प दिये गये हैं जबकि बांदा को कुल 750 हैण्ड पम्प जिसमें से 300 हैण्ड पम्प माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के उपरान्त दिये गये हैं शामिल हैं । अतः बांदा की आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से 1000 हैण्ड पम्पों की इस वर्ष व्यवस्था होनी चाहिए । मान्यवर, बांदा जनपद में नरैनी ब्लाक में रंज नदी और बागै नदी के बीच करीब 25 गांव हैं जो गंदा पानी पीते हैं और बीमार होते हैं वहां आवश्यकता के अनुरूप हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं, वह लगाये जायं। मान्यवर, नगर नरैनी अतर्रा में हैण्ड पम्प लगवा कर शहर और कस्बे की पेयजल योजना की समस्या को दूर किया जाय और खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराया जाय और सूखे हैण्ड पम्पों को गहराई से लगवाया जाय तथा हैण्ड पम्पों की संख्या बढ़वाई जाय । मान्यवर, एक सुझाव और है कि बांदा जनपद में 4–6 गांवों के बीच में एक टंकी बनवाया जाय; मान्यवर, कालिंजर ऐतिहासिक किले में पानी उपलब्ध हो गया है अतः वहां पर ट्यूबवेल लगवाकर कालिन्जर किले को पानी सप्लाई किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें कुछ लिखा नहीं जायगा।

श्री राम पाल वर्मा–

मान्यवर, बरई और गानपुर देवी जी के मंदिर में पानी का टैंक बनवाकर पानी की व्यवस्था की जाय ।

*श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर मिला इसलिए मैं आपका आभारी हूं । मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र देव प्रयाग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 विकास खंड आते हैं जिसमें हिंडोलाखाल, कीर्तिनगर, नरेन्द्र नगर और जखोली है। इन 4 विकास खंडो मे 2 विकास खड डिडांलाखाल और नरेन्द्र नगर विकास खंड में पेयजल का बड़ा संकट हो गया है। वहां पर डिण्डोलाखाल में दशरथान्चल पम्पिंग योजना और नरेन्द्र नगर में कोटेश्वर पम्पिंग योजना अभी नहीं बनाई गयी है जबकि जनता बराबर इसकी मांग करती रही है लेकिन न तो पिछली सरकार ने और न इस सरकार ने कोई अभी तक कार्यवाही किया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र का दौरा किया था इन्होंने हमारे क्षेत्र में जाकर नई नई योजनाओं की भी बात कही है इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो रेवन्यू विलेज हैं उनको तो पानी मिलता है और जो नहीं आते हैं उनको पानी नहीं मिलता है। इसलिए मेरी मांग है कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाय और जो रेवन्यू विलेज नहीं है, उनको भी पानी दिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, अलीगढ़ क्षेत्र पेयजल की समस्या से ग्रस्त रहा है और अतिसंवेदनशील नगर रहा है। पानी की समस्या को लेकर वहां पिछले 43 दिनों में 50 बार यातायात अवरोध की घटनायें हो चुकी हैं जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि उसने कई बार घड़े तक फोड़े हैं, यातायात अवरुद्ध किया है। मान्यवर, विशेषकर अलीगढ़ नगर और हाथरस नगर पानी की समस्या से काफी परेशान हैं। मेरी प्रार्थना है कि वहां पर कोई पानी की विशाल योजना तैयार करें। खास तौर से जो हरदुआगंज है वहां से अगर पानी की व्यवस्था करायी जायेगी तो बहुत ज्यादा सुविधा होगी। (व्यवधान)

*श्री रवीन्द्र सिंह चौहान–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान इटावा जनपद के औरैय्या की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र यमुना, सेंगर और अरिन्द के बीच बसा है। हमारे यहां पानी का जल स्तर काफी नीचे चला गया है और पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। हमारे यहां 600 हैण्ड पम्प दिये गये थे जिसमें से 250 मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में और 150 ग्राम्य विकास मंत्री जी के क्षेत्र में दे दिये गये। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मात्र 10 हैण्ड पम्प दिये गये। हमारे इतने बड़े निर्वाचन क्षेत्र में 10 हैण्ड पम्प से पानी की समस्या का निदान नहीं हो सकता। मेरा अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 200 हैण्ड पम्प और दिये जायं जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। इसके अलावा हमारे यहां औरैय्या में भाऊपुर में एक पानी की टंकी के लिए सर्वेक्षण कराया गया था, उस टंकी का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

*श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इस विशाल प्रदेश में पेयजल समस्या के बारे में यह कहना न्यायोचित होगा कि पिछले दिनों पुरानी कांग्रेस सरकार की अदूरदर्शिता के कारण और दिशाहीनता के कारण उग्र रूप धारण कर चुकी है। बुन्देलखण्ड और दूसरे क्षेत्रों में ही नहीं, आज यह समस्या पश्चिम में भी फैल गयी है। मैं पिछले पांच वर्षों में विधान सभा में यह अनुरोध करता रहा, विभिन्न नियमों के अन्तर्गत कि मेरे जनपद में ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था कराई जाय, परन्तु यह सड़ी गली सरकार, जो गांव की दुश्मन सरकार रही, इसने कोई व्यवस्था नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष–

जवाब देने का काम मंत्री जी का है। आप केवल सुझाव दीजिए। इस चर्चा का उत्तर मंत्री जी देंगे।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, अब चुनाव के बाद हमें अपनी नयी सरकार से आशाएं बंधी हैं। मैं मा0 मंत्री जी को बधाई भी दूंगा कि इनके नेतृत्व में इस विभाग ने जन समस्याओं के समाधान हेतु कई कार्य किये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बघरा, जो कि पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, में एक भी नगर पालिका या टाउन एरिया नहीं है। वहां पीने के पानी की समस्या अत्यन्त गम्भीर है। नागरिक पीने का पानी थोड़ा थोड़ा एकत्र करके काम चला पाते हैं। जो पानी उपलब्ध भी है वह हिण्डन और कृष्णा नदी के दूषित जल के कारण दूषित हो गया है। एक तरफ तो भूजल स्तर 55 से 60 फिट नीचे चला गया है, दूसरी तरफ भूजल दूषित हो गया है। वहां के सर्वेक्षण के आधार पर यह स्पष्ट है कि मेरे क्षेत्र के सभी गांव पेयजल की दृष्टि से अभावग्रस्त है। उपलब्ध पानी के सम्बन्ध में सी0 एम0 ओ0 द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिया गया है कि यह पानी दूषित है और नागरिकों और पशुओं के सेवन योग्य नहीं है। मेरे क्षेत्र में मा0 मंत्री जी के आदेश से कुछ हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वहां के सभी गांवों में आबादी के अनुपात में तत्काल राहत हेतु हैण्ड पम्प लगवाये जायं और मेरे क्षेत्र में तात्कालिक प्रभाव से 400 हैण्ड पम्प लगवाने के मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाय। मेरा यह भी अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में जो विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है, में टैपिंग वाटर की तत्काल व्यवस्था कराई जाय और प्रथम चरण में नल बोरिंग का काम प्रारम्भ करा दिया जाय। यदि यह कार्य आरम्भ नहीं हुआ तो मेरे क्षेत्र में सबका जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जायगा और प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र बेकार हो जायगा। मेरे यह भी अनुरोध है कि प्रथम चरण में स्वीकृत पांच ग्राम समूहों जसोई ग्राम समूह, बरवाला ग्राम समूह, ढिंढावली कुटवी ग्राम समूह, हिरनवाडा ग्राम समूह और सिलावर भैंसावल ग्राम समूह, जिनके सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी और एम0डी0 जल निगम आदि ने आश्वासन दिया था, वहां कार्य तत्काल प्रभाव से आरम्भ कराने की कृपा करेंगे। इसके साथ ही मैं मा0 मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं।

*श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस पेयजल की समस्या पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने के नाते वहां की जो समस्याएं हैं, वैसे तो वास्तविकता यह है कि गोरखपुर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजधानी जैसा है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, शुक्ला जी सुझाव रखिये।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, वहां पर इस समय यह स्थिति है कि पांच ट्यूबवेल ऐसे हैं जो पूरे नगर को वाटर सप्लाई कर रहे हैं। वहां पर ट्यूबवेल खराब पड़े हैं और जलकल संस्थान पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात को चाहूंगा कि वे गोरखपुर में, इससे पहले भी जब हैण्ड पाइप के सम्बन्ध में विचार चल रहा था, यह सुझाव दिया था कि जो पुराने व खराब हो गये हैं उनकी व्यवस्था करायी जाय ताकि वह ठीक हो सकें। साथ ही गोरखपुर में जल संस्थान की स्थापना करायी जाय ताकि जो नये गांव आदि नगर-पालिका सीमा में आ गये हैं उनमें भी कम से कम पानी की व्यवस्था हो सके। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि गोरखपुर में जल संस्थान की स्थापना करायी जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि इधर देवरिया, बस्ती, गोंडा में सभी जगहों पर स्थिति यह है कि पानी की समस्या से लोग त्रस्त हैं इस तरफ भी ध्यान देकर व्यवस्था करायी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

*श्री जगदीश लाल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया प्रस्तुत विषय पर । मान्यवर, हमारा जनपद पहले गोरखपुर जनपद में ही था, अब नया जनपद महाराजगंज हो गया है, उसमें मेरा क्षेत्र सिंसवा बाजार पड़ता है । सिंसवा बाजार की जो टाउन एरिया है वह सौ वर्ष पुरानी है और कांग्रेस के राज्य में उस टाउन एरिया की हमेशा उपेक्षा होती रही है । निचलौल एक टाउन एरिया है उसकी भी पहले उपेक्षा होती रही है । इधर एक सप्ताह से सिंसवा बाजार में पानी का संकट व्याप्त हो गया है । वहां की जनता, वहां के लोग, वहां के किसान और वहां जो व्यापार करने के लिये जाते हैं वह वहां पानी के लिये परेशान हो रहे हैं मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था । माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने नगर पालिका का दर्जा बढ़ाने की बात सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करें । और सिंसवा बाजार और निचलौल टाउन एरिया में जो पेयजल संकट है उसका तत्काल उपाय सोचें और तत्काल उसके निदान के लिये कार्यवाही करायें । धन्यवाद ।

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया बोलने के लिये । जसराना विधान सभा क्षेत्र की ओर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में तीन ब्लाक जसराना, एका, खैरगढ़ हैं वहां खैरगढ़ ब्लाक का पानी खारी है । शेखुपुर हाथवंत, नन्दपुर, अकबरपुर, गौतम सिंह, नन्दपुर, भकरि, सोमई, कलहारी, बलीपुर तपस्या. नगला केरू यहां सब खारी पानी हैं । मोहपगढ़ में एक नल है । जहां रात दिन महिलायें पानी भरती हुई मिलेंगी इतनी विकट समस्या है । कुछ ही जगहों पर मीठा पानी उपलब्ध हो पाता है । यहां पर टंकी की व्यवस्था होनी चाहिए । पाढ़म में भी टंकी की व्यवस्था करनी होगी । पाढ़म की 6-7 हजार की आबादी है । खैरगढ़ में भी पानी की टंकी की आवश्यकता होगी । एका ब्लाक हेडक्वार्टर पड़ता है पानी का लेबिल मेरे क्षेत्र में बहुत गहरा चला गया है । और दूसरे खासी पानी बहुत है एम0एल0सी0 के जो चुनाव हुए थे उस दौरान भी यह देखा गया था कि महिलायें 100 घड़े पाइप पर काफी काफी देर तक खड़े होकर पानी भरती रही थी । मेरा निवेदन है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें, समाप्त करें । आप लोग बैठें, मैं मौका दे रहा हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल–

मेरा यह कहना है कि खासतौर से जहां खारी पानी है कुछ ही एरिया में मीठा है, ट्यूबवेल नहीं है, हैण्ड पाइप कम हैं, सब स्थानों को दिखवाया जाय और वहां तत्काल निदान किया जाय समस्या का । कछमई हमीरपुरा में खारी पानी है, कछलई, हुसैनपुर, नामकपुर पुरविया नगला में खारी पानी है । फरिहा इटारी में टंकी की आवश्यकता है । अकबरपुर गौतम सिंह तपस्या बलीपुर यह सब खारी पानी की जगहें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । सरकारी ट्यूबवेल फेल हो गये हैं, टंकी तत्काल लगानी होगी । मैं चाहूंगा कि जहां जहां टंकी की आवश्यकता है, वहां तत्काल पानी की टंकियां बनायी जायं । क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाय, अधिकारियों को मौके पर तत्काल भेजकर स्थिति दिखायी जाय । जनता एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, समस्या का शीघ्र समाधान किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल–

मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अवसर दिया । जयहिन्द ।

श्री चैनसुख भारती–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मेरे जिला जालौन में पानी का स्तर 100 फीट के नीचे चला गया है । मेरे क्षेत्र कोंच में 3 पानी की टंकियां पांच वर्ष से धन्जा, सुलखना व अर्जुनपुरा में बनी हुयी हैं, लेकिन वह अधिशासी अभियन्ता, जल निगम के हाथ में है, यदि उन टंकियों को जल संस्थान को ट्रांसफर कर दिया जाय, तो मान्यवर, 70 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है। यह टंकिया पूर्ण हैं और लाइनें भी बिछ चुकी हैं, लेकिन वह अधिकारी ना सुनी कर देते हैं ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है, सदन में कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया घंटी बजाई जाय ।

(घन्टी बजाये जाने और गणपूर्ति होने पर)

श्री कल्यान सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस पेयजल समस्या पर सभी माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं और एक-एक विधान सभा क्षेत्र का नाम लेकर अपनी-अपनी समस्या का जिक्र कर रहे हैं । चूंकि माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े हो रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश के संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि पेयजल संकट को दूर करने के लिये जो नीति सरकार द्वारा बनाई गयी है कि 250 लोगों की आबादी पर एक हैंड पम्प लगवाया जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प के हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में इस लक्ष्य को कब तक पूरा कर देंगें और जो बड़े-बड़े गांव के साथ मजरे लगे हुये हैं, क्या उन मजरों के लिये अलग से पानी की व्यवस्था करेंगे। अगर मंत्री जी आश्वासन दे दें कि एक निश्चित अवधि में यह व्यवस्था हो जायगी, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है ।

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)–

श्रीमन्, माननीय सदस्य यादव जी और श्री चौधरी जी ने नियम-51 और नियम–56 के माध्यम से उत्तर प्रदेश इस पेयजल संकट की ओर ध्यान दिलाया और आपने मुझे सरकार की तरफ से इसे स्पष्ट करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमान्,

माननीय सदस्यों ने चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, जो कुछ भी बातें कहीं हैं, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । अभी आदरणीय कल्याण सिंह जी ने भी कुछ कहा, मैं उसका स्पष्टीकरण बाद में चाहूंगा । श्रीमन् उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा प्रदेश है और मैं भी इससे सहमत हूं कि जल ही जीवन है । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में 97 हजार, 449 गांव हैं और पर्वतीय क्षेत्र में 15 हजार 117 गांव हैं, इस प्रकार कुल उत्तर प्रदेश में 1 लाख 12 हजार 566 राजस्व गांव हैं ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

श्रीमन्, 31-3-90 तक मैदानी क्षेत्रों में 81,475 एवम् पर्वतीय क्षेत्र में 657 गांव हैं, इस प्रकार प्रदेश के कुल 95,132 गांव पेयजल की सुविधा से लाभान्वित रहे हैं । प्रदेश में अभी भी मैदानी क्षेत्रों में 15968 एवम् पहाड़ी क्षेत्र में 1460 गांव ऐसे हैं, जो पेयजल की व्यवस्था से वंचित हैं । जिन गांवों के बारे में मैंने आपको बताया कि पेयजल से लाभान्वित हैं, उसमें से भी 56302 गांव ऐसे हैं, जो आंशिक रूप से लाभान्वित हैं । ये सभी तथ्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि पेयजल की समस्या है, लेकिन माननीय सदस्य जिस रूप में पेय जल की समस्या को बता रहे हैं और उनकी जो यह मनशा है कि वर्तमान सरकार पेयजल की समस्या को गम्भीरता से नहीं ले रही है और जो वह यह कह रहे हैं कि पानी के लिए हा-हाकार मचा हुआ है, लोग बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं, ऐसी बात नहीं है । पेयजल की समस्या के बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया कि लगभग 17 हजार गांव ऐसे हैं जहां पानी अभी नहीं पहुंचा है, लगभग 56 हजार के आस पास आंशिक रूप से लाभान्वित हैं । मानक के मुताबिक कितने लोगों पर शहर व गांवों में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वह हम अभी नहीं कर पाये हैं । चौथा, माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं । पानी की एक समस्या यह भी है कि पानी का स्ट्रेटा नीचे जा रहा है । मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जब से यह लोकप्रिय सरकार आई है, उसने इस बात को समझा है कि पानी ही जीवन है । हवा के बाद पानी का ही नम्बर आता है । इसके लिए इस लोकप्रिय सरकार ने प्रयास किया है । पहला, स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरवरी और अप्रैल के महीने में सचिवों की एक बैठक बुलाई और उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया और उसका अनुश्रवण भी किया गया । दूसरा, दिसम्बर 89 और अप्रैल, 1990 के मध्य महत्वपूर्ण आदेश दिये गये और दिसम्बर, 1989 में जल निगम के अध्यक्ष तथा जिलाधिकारियों व उच्च अधिकारियों से सम्पर्क किया गया और आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने को कहा गया । श्रीमन्, मैंने स्वयं जनवरी में जल निगम के उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर यह आदेश दिये कि 10 दिन के भीतर जो आपके ट्यूबवेल व हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, उनको ठीक कर दिया जाय, खासकर हैण्ड पम्प हैं उनको तीन दिन के भीतर ठीक कर दिया जाय । मार्च, 1990 में शासन स्तर से जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि सूखा राहत योजनायें तैयार कर प्रस्तुत की जांय ताकि समय रहते सूखे की स्थिति से निपटा जा सके । जिला और मण्डल स्तर पर अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया । जहां भी शिकायतें मिली, चाहे वह अलीगढ़ की हो, झांसी की हो, कानपुर की हो, इलाहाबाद की हो, शंकरगढ़ की

हो, मैं स्वयं गया, हमारे सचिव महोदय भी गये, हमारे अधिकारी भी गये । इससे इस बात का स्पष्ट आभाष होता है कि हमारी सरकार इस विषय की जितनी गम्भीरता से ले रही है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार पानीदार सरकार है, इसलिए जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, उन्हें इस बात से ज्यादा चिन्ता हो रही है ।

श्री पंचानन राय–

जिस सरकार में यह मंत्री रहते हैं वह पानीदार नहीं होती है इसीलिये इन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है ।

(हंसी)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, यह पिछली सरकार का ही पढ़ रहे हैं ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

पानी कितना जरूरी है इसको हम मानते हैं कहा गया है कि–

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून ।

मैं इससे सहमत हूं । आप सहमत हों या न हों । हमारा प्रयास यह सदा रहा है और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं । इस समस्या के समाधान के लिये काम किया गया। अभी आपने भ्रष्टाचार की बात कहीं । आपने कहा कि कर्तव्य के प्रति शिथिलता बरती है । जहां कहीं भी पता चला कि अमुक अधिकारी कार्य ठीक से नहीं कर रहा है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी । वाराणसी, आगरा और इलाहाबाद में वहां के कुछ अधिकारी कर्तव्य के प्रति शिथिलता के दोषी पाये गये, उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की गयी । इस वर्ष सूखे की स्थिति का एहसास करके हमने 10 हजार हैण्ड पम्प स्वीकृत किये हैं जिसके लिये 17·214 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये । ये हैण्ड पम्प कहां-कहा लगाये गये बता सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अपने भाषण को संक्षिप्त करने का प्रयास करें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जो 17·214 करोड़ रु0 स्वीकृत किये गये उसमें पश्चिमी, क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के जितने भी जनपद थे, उनके लिये हैण्ड पम्प दिये गये । सूची देख सकते हैं । इसके अलावा भी हमने तत्परतापूर्वक विशेष ध्यान दिया है । जैसा मा0 उप नेता, विरोधी दल ने कहा कि पिछली सरकार की चर्चा कर रहे हैं तो मैं पिछली सरकार से भिन्न हूं यह कहना चाहता हूं । पिछली सरकार ने 1-4-89 से 31-12-89 तक 9 महीने में, जब आपका कार्यकाल था, उसमें आपने 5695 गांवों को लाभान्वित किया था और इस सरकार ने, जिसके हम प्रतिनिधि हैं 1-1-90 से 31-3-90 तक मात्र 3 माह में 5062 गांवों को लाभान्वित किया है । दूसरी चीज कहना चाहता हूं 1-4-89 से 31-12-89 तक पिछली सरकार ने 16596 हैण्ड पम्प लगाये थे, ये आपके आंकड़े हैं, लेकिन यह सरकार जो आपसे भिन्न है उसने 1-1-90 से 31-3-90 तक

मात्र 3 महीने में 23,342 हैण्ड पम्प लगाये, जो आपके ड्योढ़े हैं । वर्ष 1989-90 में पिछली सरकार ने 10757 गांवों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया और जिसे आपने पारित भी किया उसमें कुल 11802 गांवों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव रखा है और 35060 हैण्ड पम्प लगाने का प्रावधान किया है ।

मान्यवर, इस लोकप्रिय सरकार ने विश्व बैंक से लोन लिया क्योंकि हमने महसूस किया कि समस्या का समाधान होना चाहिये इसलिये हमने विश्व बैंक से 151 करोड़ रु0 को स्वीकृति की है कि जिससे भविष्य में पेयजल की समस्या का समाधान हो सके ।

श्रीमन्, पिछली सरकार ने 1989-90 में नगर योजना के ऊपर 30.85 करोड़ रु0 खर्चा किया था जबकि हमारा प्रयास है–

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, जब आपके विभाग का बजट आयेगा तभी सारे विवरण आप बतला दीजियेगा ।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने पेयजल पर 99.70 करोड़ रु0 खर्च किये थे जबकि हमारी सरकार 144 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है । श्रीमन्, आपने कहा कि कम से कम समय में इसको समाप्त करूं तो जो कुछ मैंने किया है उसका परिणाम यह निकला है कि पिछले वर्ष कर्वी और चित्रकूट में पानी की जो कमी थी इस वर्ष वह कमी दूर करने का हमने प्रयास किया है । गतवर्ष की भांति इस वर्ष पानी नहीं दिया गत वर्ष 172 टैंकर का ही प्रयोग किया गया है जबकि इस वर्ष केवल 52 टैंकर का ही प्रयोग किया गया है और पीने के पानी का समाधान किया गया है । कहीं भी मानव और पशुधन की क्षति नहीं हुई ।

श्री देव कुमार यादव—

माननीय मंत्री जी, बांदा और बुन्देलखण्ड में अभी भी तमाम जानवर पानी के अभाव में मरे हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जल निगम और जल संस्थान की दोहरी व्यवस्था को समाप्त करके क्या मा0 मंत्री जी उसको प्रभावशाली बनायेंगे?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

कुछ माननीय सदस्य नगर से संबंधित हैं जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, फतेहपुर आदि की है । वहां भी पेयजल का कोई संकट सरकार के प्रयास से उत्पन्न नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—

मा0 मंत्री जी जरा झांसी का भी ख्याल रखियेगा ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 9 लोग पानी की कमी के कारण कीचड़ पी कर मर गये हैं । मैं चाहता हूं कि कृपया आप वहां की व्यवस्था को भी देख लें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माता टीला योजना और बराटा बेसिन योजना को स्वीकार किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इनको पूरा होने में कितना समय लग जायेगा ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, आपने निर्देशित किया है कि झांसी के विषय में जरूर कुछ कह दूं । झांसी में भी कहीं पेयजल का संकट नहीं है ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैंने बुनियादी सवाल उठाया था, जो पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू होता है । आपकी नीति है कि 250 की आबादी पर आप एक हैण्ड पम्प लगायेंगे, तो आप इसको कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, 250 की आबादी पर हैण्ड पम्प लगाने का नार्म रखा गया है। हमारा प्रयास होगा 1998 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर केवल इनको लगाया ही नहीं जायेगा, बल्कि स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी की जायेगी । यह सरकार अधूरी योजनायें जैसे आगरा बैराज, गोकुल बैराज, गंगा बैराज, इनको भी पूरा करेगी । इसके लिए हमने धन दे दिये हैं । यह सरकार आश्वासन की भी कार्य की है ।

माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

25 जून, 1990

नत्थी 'क'

(देखिए ता० प्र० सं० 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 20 पर)

संलग्नक "क"

उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड विकास निगम लि० झांसी को प्रतिवर्ष हुई हानि/लाभ विवरण।

(लाख रुपये में)

वर्ष	लाभ	हानि
1971-72	0.06	—
1972-73	0.15	—
1973-74	0.05	—
1974-75	0.44	—
1975-76	—	7.52
1976-77	—	7.88
1977-78	—	10.39
1978-79	—	14.3
1979-80	—	7 66
1980-81	—	6.61
1981-82	—	6.07
1982-83	—	6.68
1983-84	—	3.75
1984-85	—	3.79
1985-86	—	3.70
1986-87	—	2.93
1987-88	—	8.07
1988-89	0.36	—
1989-90	3.23	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

सूची 'क'''

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री धनीराम वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-13 के उत्तर से संबंधित विवरण।

वर्ष 1986 से 1989 की अवधि में तहसील विधूना जनपद-इटावा के अन्तर्गत निर्मित कराये गये प्राइमरी स्कूल भवनों की सूची।

स्वीकृति का वर्ष	उन विद्यालयों का नाम जिनके भवनों का प्रश्न गत अवधि में निर्माण कराया गया।	विकास खण्ड का नाम	निर्माण इकाई का नाम	निर्माण की स्थिति
1	2	3	4	5
1985-86	1-प्रा0 पा0 फैजुल्लापुर	एरवा कटरा	ग्रा0अभि0सेवा इटावा	पूर्णकिन्तु अतिग्रस्त है।
	2-प्रा0 पा0 गुलिरिहा	सहार	,,	,,
	3-प्रा0 पा0 पूरनावली	,,	,,	,,
	4-प्रा0 पा0 बझेड़ा	अछल्दा	,,	,,
1986-87	5-प्रा0 पा0 कुंवरवाट	एरवाकटरा	,,	,,
	6-प्रा0 पा0 रतनपुर	,,	,,	,,
	7-प्रा0 पा0 सहायल	सहार		,,
	8-प्रा0 पा0 धर्मपुरजानी			,,
	9-प्रा0 पा0 नरायनपुर	,,	,,	,,
	10-प्रा0 पा0 बदनपुर	,,	,,	,,
1987-88	11-प्रा0 पा0 सूरचपुर	एरवाकटरा	,,	,,
	12-प्रा0 पा0 क0 सभाईन	,,	,,	,,
	13-प्रा0 पा0 पुरवा हरो	सहार	,,	,,
	14-प्रा0 पा0 दोपपुर	,,	,,	,,
	15-प्रा0 पा0 किचैया गोपालपुर	,,	,,	,,
	16-प्रा0 पा0 शिवगंज	,,	,,	,,
	17-प्रा0 पा0 आशा	अछल्दा	,,	,,
	18-प्रा0 पा0 क0 घसारा	,,	,,	,,
	19-प्रा0 पा0 रूरूखुर्द	,,	,,	पूर्ण होने के बाद ध्वस्त हो गया है।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–10 के संबंध में सदन के पटल पर रक्खी जाने वाली सूचना–

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा, 1985 में प्रधानाचार्य अशोक इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना, देवरिया द्वारा क्रमशः 12 एवं 15 परीक्षार्थियों कुल 27 परीक्षार्थियों का विलम्ब शुल्क रु0 20.00 (बीस रुपये) अतिरिक्त प्राप्त कर लिया गया था, जिसे बाद में वापस कर दिया गया । हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षार्थियों की सूची संलग्न है ।

विधान सभा सचिवालय

हाईस्कूल परीक्षा

क्रम0 सं0	छात्र का नाम	कक्षा
1–	कु0 बिन्दु सिंह	10अ
2–	श्रीमती कानिका यादव	10अ
3–	कु0 बीना अग्रवाल	10अ
4–	कु0 प्रविला मल	10अ
5–	गनेश प्रसाद गुप्ता	10अ 1
6–	मनोज प्रताप सिंह	10ब 1
7–	राधेश्याम सिंह	10ब 1
8–	सफीउल्लाह	10ब 1
9–	सुपमीम अली	10ब 1
10–	अयोध्या प्रसाद	10ब 1
11–	नागेन्द्र सिंह	10ब 1
12–	प्रवीन कुमार पाण्डेय	10ब 1

विधान सभा उत्तर प्रदेश

इण्टरमीडिएट परीक्षा

क्रम सं0 छात्र का नाम	कक्षा
1–कु0 उषा सिंह	12 अ
2–कु0 आशा	12 अ
3–राजेश कुमार श्रीवास्तव	12 अ
4–राधा शर्मा	12 अ
5–शीला यादव	12 अ
6–कु0 नीतू श्रीवास्तव	12 अ
7–हरेन्द्र कुमार चौहान	12 अ
8–कु0 गिरजा	12 अ
9–राव बिन्दर सिंह	12 अ
10–कु0 सरीता सिंह	12 अ
11–कु0 सविता श्रीवास्तव	12 अ
12–शैलेश मिश्र	12 अ
13–कृष्णकान्त राय	12 अ
14–रमाशंकर सिंह	12 अ
15–कु0 सुमन लता मदौसिया	12 अ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी–एल0 245 विधान सभा (419)–1990–813 ।